रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 1987/आश्विन 7, 1909

No. 31] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 1987/ASAVINA 7, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इण्डिया
पोस्ट बाक्स नम्बर 7100, इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110002

(30 सितम्बर, 1987 को प्रकाशित होने वाले भारत के राजपत्र-असाधारण के भाग 3, खण्ड 4 में प्रकाशन हेतु ।

15 सितम्बर, 1987

अधिसूचना

(चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स)

सं. 1—सी. ए. (5)/038/87:—चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 13 की उपधारा (5) के अनुसार 31 मार्च, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के लिए परिषद् (कौंसिल) के अंकेक्षित लेखा तथा प्रतिवेदन की प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित की जा रही है ।

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 18(5) की व्यवस्थाओं के अनुसार परिषद (कौंसिल) को अपना 38वां वार्षिक प्रतिवेदन करते हुए हर्ष है । इस प्रतिवेदन में 31 मार्च 1987 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आंकड़े संबंधी सूचनाओं तथा इंस्टीट्यूट का लेखा जोखा एवं सितम्बर 1987 तक अन्य क्रियाकलापों संबंधी सूचनाओं का समावेश है ।

1. परिषद (कौंसिल)

1.1 परिषद के सदस्य तथा उसकी विभिन्न समितियां:—

13वीं परिषद, जिसमें पांच क्षेत्रीय निर्वाचन मंडलों से चुने गये इंस्टीट्यूट के 24 सदस्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकित 6 सदस्य हैं, का गठन 17 सितम्बर 1985 को किया गया था । इसका कार्यकाल 16 सितम्बर, 1988 तक चलेगा । प्रतिवेदन के अन्तर्गत अवधि के लिए परिषद तथा उसकी समितियों के गठन का उल्लेख परिशिष्ट 1 में किया गया है ।

1.2 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष

श्री पी. ए. नायर तथा श्री आर. बालाकृष्णन क्रमशः अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे और उनका कार्यकाल 16 सितम्बर 1986 तक रहा । सितम्बर 1986 को हुई बैठक में परिषद ने श्री आर. बालाकृष्णन एवं श्री एस. के. दासगुप्ता को 17 सितम्बर 1986 से एक वर्ष के लिए क्रमशः अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुना ।

1.3 परिषद बैठक

वर्ष 1986-87 के मध्य परिषद् की पांच बैठकें हुई : इन बैठकों के विवरण निम्नलिखित तालिका में अंकित है ।

बैठकों की संख्या	दिनांक	स्थान
118वीं	3, 4, तथा 5 अप्रैल 1986	कलकत्ता
119वीं	3, 4, तथा 5 जुलाई 1986	नई दिल्ली
120वीं	15,16 तथा 17 सितम्बर 1986	नई दिल्ली
121वीं	4,5 तथा 6 सितम्बर 1986	नई दिल्ली
122वीं	12,13 तथा 14 फरवरी 1987	मद्रास

2. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

2.1 अन्तर्राष्ट्रीय लेखाधिकारी संघ

(अ) इंस्टीट्यूट अन्तर्राष्ट्रीय लेखाधिकारी संघ (आई. एफ. ए. सी.) का सदस्य बना रहा। भारत आई. एफ. ए. सी. की परिषद् का चुना हुआ सदस्य रहा और भारत ने उसकी शिक्षा समिति, अन्तर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा व्यवहार समिति तथा वित्तीय एवं प्रबंध लेखा समिति का भी प्रतिनिधित्व किया। आगामी आई. एफ. ए. सी. परिषद् के चुनाव अक्टूबर 1987 में होना निश्चित हैं। भारत ने उस चुनाव में खड़े होने संबंधी अपने इरादे तथा उत्सुकता को व्यक्त कर दिया है।

(ब) श्री ए. सी. चक्रवर्ती, कलकत्ता, जो इस इंस्टीट्यूट के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं आई. एफ. सी. की परिषद के भारतीय प्रतिनिधि है। वह श्री बी. एन. कावरा, बम्बई का स्थान ग्रहण करेंगे।

(स) श्री पी. ए. नायर, बम्बई, जो इंस्टीट्यूट के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं आई. एफ. ए. सी. की शिक्षा समिति के भारतीय प्रतिनिधि हैं। वे श्री बसी एस. मेहता, बम्बई का स्थान ग्रहण करेंगे।

(द) श्री आर. बालाकृष्णन्, इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष, आई. एफ. ए. सी. की अन्तर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा व्यवहार समिति के भारतीय प्रतिनिधि हैं। वे श्री वाई. एच. मालेगाम, बम्बई का स्थान ग्रहण करेंगे।

2.2 अन्तर्राष्ट्रीय लेखा-शास्त्र स्तर समिति

(इंस्टीट्यूट एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड्स कमेटी)

यह इंस्टीट्यूट अन्तर्राष्ट्रीय लेखा शास्त्र स्तर समिति का अभी भी सदस्य है।

2.3 एशियाई तथा पैसीफिक लेखाधिकारी संघ

भारत हमारे सहायक इंस्टीट्यूट दि इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स आफ इण्डिया के माध्य से एशियाई तथा पैसिफिक लेखाधिकारी संघ की अधिशासी समिति का प्रतिनिधित्व अभी भी कर रहा है।

2.4 दक्षिणी एशियाई लेखाधिकारी संघ

(साउथ एशियन फेडरेशन आफ एकाउन्टेंट्स)

(एस. ए. एफ. ए.)

दक्षिणी एशियाई लेखाधिकारी संघ (एस. ए. एफ. ए.) की जनसभा की बैठक 17 सितम्बर 1986 को कलकत्ता में हुई। इस बैठक में इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ पाकिस्तान के श्री इब्राहीम एस. एच. दहोडवाला को वर्ष 1987 के लिए एस. ए. एफ. ए. का अध्यक्ष चुना गया। इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ बंगला देश के श्री मोहम्मद यूनुस को उसी अवधि के लिए उपाध्यक्ष चुना गया। एस. ए. एफ. ए. की तकनीकी स्तर समिति का सभापतित्व हमारे इंस्टीट्यूट को प्रदान किया गया था। अनुसारतः श्री एस. के. दास गुप्ता को तकनीकी स्तर समिति का सभापति के रूप में नामांकित किया गया है। इस समिति को संदस्य देशों में तकनीकी स्तर के तुलनात्मक अध्ययन पर कार्य करने का काम सौंपा गया है।

एस. ए. एफ. ए. जनसभा की बैठक तथा द्वितीय एस. ए. एफ. ए सम्मेलन मार्च 1987 में कराची (पाकिस्तान) में सम्पन्न हुए। श्री आर बालाकृष्णन ने उस जनसभा में इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि की हैसियत से जनसभा बैठक में भाग लिया। उन्होंने एस. ए. एफ. ए. सम्मेलन तथा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ पाकिस्तान के रजत जयन्ती महोत्सव में भी भाग लिया। हमारे इंस्टीट्यूट से पाकिस्तान गए प्रतिनिधि मंडल में श्री एस. के. दास गुप्ता, उपाध्यक्ष, श्री आर. एल. चोपड़ा सचिव तथा डाक्टर कमल गुप्ता, तकनीकी निदेशक सम्मिलित थे।

2.5 11वां सी. ए. पी. ए. सम्मेलन

11वां सी. ए. पी. ए. सम्मेलन 9 नवम्बर से 13 नवम्बर 1986 तक मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया) में सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन का आतिथेय आस्ट्रेलियन सोसायटी आफ एकाउन्टेंट्स एवं आस्ट्रेलिया में इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स द्वारा किया गया। सम्मेलन का स्थान मेलबोर्न स्थित प्रदर्शनी भवन में सेन्टेनियल हाल था। सम्मेलन में "लेखा-प्रतिकृति-चुनौती एवं परिवर्तन" विषय पर विचार किया गया। इस विषय पर छै पूर्ण सत्र विचार किया गया। इसके अतिरिक्त चौबीस अंशकालिक सत्र भी इस विषय पर विचार करने के लिए किए गए।

श्री भास्कर बनर्जी, एफ. सी. ए, कलकत्ता, इंस्टीट्यूट के सदस्य पूर्ण कालिक सत्र 1, जो "लेखाधिकारी—उनके व्यावसायिक तथा सामाजिक दायित्व—आज और कल" विषय पर था, के प्रपत्र के संयुक्त लेखक थे। इस सम्मेलन में इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष श्री आर. बालाकृष्णन द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में उपस्थित रहने वाले प्रतिनिधियों की सूची परिशिष्ट-2 में उल्लिखित है।

2.6 13वां लेखाधिकारी विश्व महासम्मेलन

13वां लेखाधिकारी विश्व महासम्मेलन 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 1987 तक टोकियो (जापान में होगा)। महासम्मेलन का विषय "कम्प्यूटर पर्यावरण में लेखाधिकारी की भूमिका" है। इस महासम्मेलन में हमारा इंस्टीट्यूट श्री एस. के. दास गुप्ता के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है। इंस्टीट्यूट के सदस्य श्री आर. एन. राय को "आडिट आफ सिम्पल ई. डी. पी. सिस्टम" विषय के प्रपत्र को बनाने के लिए चुना गया है।

2.7 समुद्र पारीय अध्ययन-गोष्ठी (ओवरसीज सेमिनार)

इंस्टीट्यूट की दुबई चैप्टर द्वारा अप्रैल 1987 में एक अध्ययन-गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें लेखा-शास्त्र, लेखा-परीक्षण तथा निगमित वित्त में वर्तमान प्रणालियों पर चर्चा की गयी। इस अध्ययन गोष्ठी में लगभग 70 सदस्य उपस्थित थे।

2.8 अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी दस्तावेज की जवाबदेही

इंस्टीट्यूट अन्तर्राष्ट्रीय लेखाधिकारी संघ तथा अन्तर्राष्ट्रीय लेखा शास्त्र स्तर समिति द्वारा निर्गमित तकनीकी दस्तावेज के लिए सतत् जवाबदेह है।

2.9 विदेशी उच्च-अधिकारियों का आगमन

जिन प्रमुख विदेशी उच्च अधिकारियों ने इस वर्ष के मध्य इंस्टीट्यूट में पदार्पण किया उनमें श्री राबर्ट एल. मे (आई. एफ. ए. सी. के अध्यक्ष), श्री राबर्ट एन. सेम्पियर (आई. एफ. ए. सी. के अधिशासी निदेशक) श्री कीथ टे। अध्यक्ष सिंगापुर सोसायटी आफ एकाउन्टेंट्स तथा श्री लैम पेक हैंग। (कुल-सचिव/अधिशासी निदेशक, सिंगापुर सोसायटी आफ एकाउन्टेंटस) सम्मिलित हैं।

3. व्यावसायिक विकास कार्यकलाप

3.1 सामान्य

परिषद वर्ष अर्थात् 17 सितम्बर 1986 से 16 सितम्बर 1987 के मध्य इंस्टीट्यूट को परिषद द्वारा गठित विभिन्न गैर-स्थायी समितियों के व्यावसायिक विकास कार्यकलाप का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित अनुच्छेद से स्पष्ट है।

इस विवरण में 1 अप्रैल 1986 से 16 सितम्बर 1986 तक की अवधि के मध्य कार्यकलापों का विवरण सम्मिलित नहीं है क्योंकि इसका समावेश गत वर्ष प्रस्तुत 37वें वार्षिक प्रतिवेदन में कर लिया गया था। इसमें क्षेत्रीय समितियों और उनकी शाखाओं के कार्यकलापों का विवरण भी सम्मिलित नहीं किया गया है।

3.2 एकाउन्टिंग स्टैंडर्डस बोर्ड

जनवरी 1979 में एकाउंटिंग स्टैण्डर्डस के नियेदन की प्रस्तावना के जारी होने से प्रयोनिविधि दस उकीविटी व एकाउन्टिंग स्टैंडर्डस निर्गमित किए हैं :—

(1) एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड-1 डिस्क्लोजर आफ एकाउन्टिंग पालिसीज पर (ए. एस.-1) नवम्बर 1979

(2) एकाउन्टिंग स्टैंण्डर्ड-2 "वैलूएशन आफ इन्वेन्ट्रीज" पर (ए. एस.-2) जून-1981।

(3) एकाउन्टिंग स्टैंण्डर्ड-3 "चेंजेज इन फाइनेंशियल पोजीशन" पर (ए. एस.-3) जून-1981

(4) एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड-4 "कान्टीनजेन्सीज एण्ड इवेन्ट्स अकरिंग आफ्टर दि बैलेंस शीट डेट" पर (ए. एस.-4) नवम्बर 1982

(5) एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड-5 'प्रायर पीरियड एण्ड एक्स्ट्रा आर्डीनरी आइटम्स एण्ड चेंजेज इन एकाउन्टिंग पालीसीज' पर (ए. एस. 5)—नवम्बर 1882

(6) एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड-6 "डप्रीसिएशन एकाउन्टिंग" पर (ए एस-6) –8 नवम्बर 1982

(7) एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड-7 "एकाउन्टिंग फार कन्स्ट्रक्शन कान्ट्रैक्टस" पर (ए. एस.-7)—दिसम्बर 1983

(8) एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड-8 "एकाउन्टिंग फार रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" पर (ए. एस.-8)—जनवरी 1985

(9) एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड-9 "रेवन्यु रिकगनिशन" पर (एस. एस. 9) नवम्बर 1985

(10) एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड-10 "एकाउन्टिंग फार फिक्स्ड एसेट्स" पर (ए. एस.-10)—नवम्बर 1985

उपरोक्त के अतिरिक्त बोर्ड ने "टर्म यूज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स" पर गाइडेंस नोट भी जारी किए हैं।

(ब) एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड का क्रियान्वयन

एकाउन्टिंग स्टैण्डर्डस के क्रियान्वयन के प्रयासों के अनुसार इंस्टीट्यूट के परिषद ने सितम्बर 1986 में हुई अपनी 120वीं बैठक में यह निर्णय किया कि एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड-4 (ए. एस.-4) "कान्टीनजेंसीस एण्ड इवेन्टस अकरिंग आफ्टर दि बैलेंस शीट डेट" पर तथा एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड-5 (ए.एस.-5) "प्रायर पीरियड एण्ड एक्स्ट्रा आर्डिनरी आइटम्स एण्ड चेंजेज इन एकाउन्टिंग पालिसीज" पर इस इंस्टीट्यूट द्वारा निर्गमित निर्देश दिनांक 1-1-1987 को शुरू होने वाली अवधि और उसके बाद के लिए लेखा-जोखा के सम्बन्ध में अनिवार्य माने जाने चाहिए। यह भी निश्चय किया गया कि अन्य स्टैण्डर्डस को भी चरणबद्ध कार्यक्रम के रूप में अनिवार्य माना जाना चाहिए।

एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड को विस्तृत प्रचार देने के विचार से एक प्रचार पुस्तिका बोर्ड द्वारा तैयार की गयी है और उन्हें विभिन्न संगठनों में वितरित किया गया है। पुस्तिका में बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत किए गए हैं तथा एकाउन्टिंग स्टैण्डर्डस को विकसित करने संबंधी उसके उद्देश्य तथा पद्धति का जिक्र किया गया है। इसके अतिरिक्त एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड के विषय पर प्रतिवेदन के अन्तर्गत अवधि के मध्य अधिकतम अध्ययन-गोष्ठियों में विचार किया गया ताकि स्टैण्डर्डस के संबंध में पूर्ण परिचय प्राप्त हो सके।

(स) निर्माणधीन एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड निम्नलिखित विषयों पर स्टैण्डर्डस निर्माणधीन है :—

(1) एकाउन्टिंग फार टैक्सेज आन इनकम।

(2) एकाउन्टिंग फार रिटायरमेंट बेनीफिट्स इन दि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ एम्पलायर्स।

(3) एकाउन्टिंग फार दि इफेक्ट्स आफ चेंजेज इन फोरन एक्सचेंज रेट।

(4) एकाउन्टिंग फार गवर्नमेंट ग्रान्ट्स एण्ड डिसक्लोजर आफ गवर्नमेंट एसिसटेंस।

(5) एकाउन्टिंग फार इन्वेस्टमेंट।

3.3 लेखा परीक्षण व्यवहार समिति

(अ) बैंक लेखा परीक्षण में लाँग-फार्म आडिट रिपोर्ट रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के आदेश पर समिति ने बैंक तथा उनकी शाखाओं के संबंध में लाँग-फार्म आडिट रिपोर्ट्स के साथ व्यवहार संबंधी प्रश्नमाला का पुनरावलोकन किया। प्रश्न माला में संशोधन हेतु समिति के सुझाव उनकी आवश्यकताओं के क्रियान्वयन में सदस्यों के अनुभव पर आधारित हैं और ये सुझाव रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। इस बात का भी उल्लेख कर दिया जाना चाहिए कि स्टेचुअरी तथा ब्रांच आडीटर्स द्वारा लाँग-फार्म आडिट रिपोर्ट्स के लिए आवश्यक बातें रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की सलाह पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अभी हाल में ही लागू की गयीं।

(ब) स्टैण्डर्ड आडिटिंग प्रेक्टिसेज तथा गाइडेंस नोट्स पर स्टेटमेंट्स वर्ष के मध्य समिति द्वारा तैयार किए गए निम्नलिखित प्रारूप के प्रकाशन को परिषद ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।

(1) स्टेटमेंट्स आन स्टैण्डर्ड आडिटिंग प्रैक्टिसेज (एस. ए. पी.) 4 "फाड एण्ड एरर"

(2) गाइडेंस नोट आन "कन्ट्रोल आफ दि क्वालिटी आफ आडिट वर्क"।

उपरोक्त के अतिरिक्त समिति ने निम्नलिखित विषयों के साथ व्यवहृत स्टेटमेंट्स आन स्टैण्डर्ड आडिटिंग प्रैक्टिसेज के एक्सपोजर जारी किए।

(1) आडिट एवीडेंस

(2) किसी आडिट के संबंध में एकाउन्टिंग सिस्टम तथा संबंधित इन्टरनल कन्ट्रोल्स का अध्ययन एवं विकास।

(3) इन्टर्नल आडीटर के कार्य पर विश्वास करना।

निम्नलिखित विषयों पर स्टैण्डर्ड आडिटिंग प्रेक्टिस पर स्टेटमेंट्स निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं :—

(1) आडिटिंग इन एन ई डी पी एनवायरनमेंट।

(2) प्लानिंग।

(3) एनालिटिकल रिव्यू।

(4) यूजिंग दि वर्क आफ एन अदर आडीटर।

निम्नलिखित विषयों पर गाइडेंस नोट भी तैयार किए जा रहे हैं :—

(1) आडिट आफ इन्वेस्टमेंट्स।

(2) आडिट आफ इन्वेंटरीज।

(3) आडिट एन्गेजमेंट लेटर्स

समिति के विचारार्थ स्टेटमेन्ट्स आन स्टैण्डर्ड आडिटिंग प्रैक्टिसेज के प्रारंभिक प्रारूप तैयार करने के लिए समिति ने बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में अध्ययन समूहों का गठन किया है। एक और अध्ययन समूह दिल्ली में कार्यरत है जो "स्टेटमेंट आन आडिटिंग प्रैक्टिसेज" के शीर्षक से इंस्टीट्यूट के वर्तमान प्रकाशन पर आधारित गाइडेंस नोट्स के प्रारंभिक प्रारूप के विकास पर कार्य कर रहा है।

3.4 शोध समिति

(अ) प्रकाशित साहित्य

वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन प्रसारित किए गए।

(1) कम्पेन्डियम आफ गाइडेंस नोट्स—वालयुम—1 (1987) कन्टेनिंग गाइडेंस जो 30 जून 1985 तक जारी किए गए और जिनमें 31 मार्च 1987 तक संशोधन किया गया।

(2) गाइडलाइन्स ग्रान इन्टर्नल ग्राडिट—कंस्ट्रक्शन इन्डस्ट्री निम्नलिखित प्रकाशनों की प्रति शीघ्र प्रसारित किए जाने की संभावना है ।

(3) कम्पेन्डियम ग्राफ गाइडेंस नोट्स-वाल्युम-2 जिसमें 30 जून 1985 के उपरान्त और 31 मार्च 1987 तक जारी गाइडेंस नोट सम्मिलित है ।

(ब) स्टडी इन दि प्रोसेस ग्राफ पब्लिकेशन

(1) उर्वरक उद्योग पर एकाउन्टिंग तथा ग्राडिटिंग टेक्निकल गाइड ।

(2) गाइडलाइन्स ग्रान इन्टर्नल ग्राडिट-चीनी उद्योग ।

(स) समिति द्वारा निर्माण समाप्ति वाले प्रकाशन

(1) उद्योग में ग्रस्वस्थता (सिकनेस) निर्धारण हेतु वित्तीय सूचना के प्रयोग पर ग्रध्ययन ।

(2) ग्रधोलिखित पर एकाउन्टिंग तथा ग्राडिटिंग टेक्निकल गाइड्स

(ग्र) ग्राटोमोबाइल उद्योग

(ब) ड्रग्स तथा फार्मास्यूटिकल उद्योग

(3) पट्टे के लिए एकाउन्टिंग पर गाइडेंस नोट्स ।

(4) फारेन एक्सचेंज रेगुलेशन ग्रधिनियम हेतु एकाउन्टेंटस गाइड ।

(5) गाइडलाइन्स ग्रान इन्टर्नल ग्राडिट—टायर उद्योग ।

(6) गाइडेंस नोट ग्रान एकाउन्टिंग फार म्यूचुअल फंड्स ।

(7) "बोनस ग्रधिनियम-1965 का भुगतान" में संशोधन एक एकाउन्टेंट का ग्रध्ययन ।

(8) "स्टडी ग्रान वैल्युएशन ग्राफ शेयर्स" का संशोधन ।

(द) ग्रन्य ग्राधीन प्रकल्प ।

(1) स्टैटिस्टीकल सैम्पलिंग टेक्नीक्स—एज एड टु ग्राडिट प्रेक्टिसेज ।

(2) गाइडलाइन्स ग्रान इन्टर्नल ग्राडिट—टेक्सटाइल उद्योग ।

(3) एकाउन्टिंग तथा ग्राडिटिंग टेक्नीकल गाइड—होटल उद्योग ।

(4) कम्पनीज के फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स पर इंस्टीट्यूट के प्रोनाउंसमेंट का प्रभाव ।

(5) एकाउन्टेंट्स गाइड ग्राफ-ला ग्राफ कस्टम ड्यूटी ।

(6) निम्नलिखित पर ग्रध्ययन :—

(ग्र) एम. ग्रार. टी. पी. ग्रधिनियम ।

(ब) बीमा ग्राडिट—जीवन बीमा निगम ।

(स) ग्राडिट ग्राफ पब्लिक ट्रस्ट ।

(द) हास्पिटल एकाउन्टिंग तथा मैनेजमेंट कन्ट्रोल सिस्टम्स ।

(ई) कम्प्युटर एण्ड दि ग्राडिटर ।

(7) मैनेजमेंट कन्ट्रोल तथा एकाउन्टिंग सिस्टम्स इन नन-प्राफिट सेक्टर ग्राफ इण्डियन इकानामी ।

(ई) संशोधन की प्रक्रिया में वर्तमान प्रकाशन:—

(1) स्टेटमेंट ग्रान ट्रीटमेंट ग्राफ रिटायरमेंट ग्रेच्यूटी इन एकाउन्ट्स ।

(2) शैक्षणिक संस्थानों के ग्राडिट के लिए टेक्नीकल गाइड ।

(3) सहकारी समितियों के ग्राडिट के लिए टेक्नीकल गाइड ।

(4) भारतीय उद्योग में मूल्य निर्धारण ।

(5) गाइडेंस नोट ग्रान एकाउन्टिंग ट्रीटमेंट ग्राफ रिजर्वस इन एमलगैमेशन ।

(6) स्टेटमेंट ग्रान चेंजेज इन दि मोड ग्राफ चार्जिज डेप्रीसिएशन इन दि एकाउन्ट्स ।

(एफ) शील्ड पेनल

वर्ष 1985-86 के लिए कम्पनी तथा नन-फाइनेंसियल स्टेच्यूटरी कार्पोरेशन के सर्वोत्तम एकाउन्ट्स प्रस्तुति के लिए पुरस्कारों का वार्षिक वार्ड ।

वर्ष 1985-86 के लिए वार्षिक प्रतियोगिता के लिए निर्णायक मंडल ने ग्रधोलिखित कम्पनियों के वार्षिक प्रतिवेदन तथा एकाउन्ट्स के संबंध में ग्रपना निर्णय दिया ।*

भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड

(31 मार्च 1986 को समाप्त हुए वर्ष के लिए) को सर्वोत्तम घोषित किया ग्रौर ग्रनुसारतः इस कम्पनी को ग्रपनी रजत शील्ड प्रदान करने का निर्णय किया ।

निर्णायक मंडल ने ग्रधोलिखित कम्पनियों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन तथा एकाउन्ट्स के संबंध में उच्च प्रसरित से विभूषित किया ग्रौर ग्रनुसारतः उन्हें प्रशस्ति-पट्टिका प्रदान करने का निर्णय किया ।

(1) दि एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनीज लिमिटेड ।

(31 जुलाई 1985 को समाप्त हुए वर्ष के लिए) ।

(2) इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड ।

(31 मार्च 1986 को समाप्त हुए वर्ष के लिए) ।

(3) इण्डियन ग्रायल कार्पोरेशन लिमिटेड

(31 मार्च 1986 को समाप्त हुए वर्ष के लिए) ।

निर्णायक मंडल ने बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के एकाउन्ट्स पर भी विचार किया तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा एकाउन्ट्स के संबंध में ग्रपना निर्णय दिया ।

इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन ग्राफ इण्डिया

(30 जून 1985 को समाप्त हुए वर्ष के लिए)

बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से प्राप्त प्रविष्टियों में सर्वोत्तम घोषित किया तथा ग्रनुसारतः इस कार्पोरेशन को रजत शील्ड प्रदान करने का निर्णय किया ।

निर्णायक मंडल ने कुछ ऐसे संस्थानों जैसे सार्वजनिक न्यास, सहकारी समितियों, शोध एवं शैक्षणिक संस्थानों के एकाउन्ट्स पर पृथक से विचार किया ग्रौर वार्षिक प्रतिवेदन एवं एकाउन्ट्स के संबंध में ग्रपना निर्णय दिया ।

पेट्रोफिल्स कोग्रापरेटिव लिमिटेड

(30 जून 1985 को समाप्त हुए वर्ष के लिए) ।

प्राप्त प्रविष्टियों में सर्वोत्तम घोषित किया ग्रौर ग्रनुसारतः प्रशस्ति पट्टिका प्रदान करने का निर्णय किया ।

*जिस कम्पनी के एकाउन्ट्स के सम्बन्ध में प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुए उनके नाम वर्णमाला क्रम में प्रकाशित किए गए न कि योग्यता के आधार पर किसी क्रम में

3.5 व्यावसायिक विकास समिति राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं के एकाउन्ट्स के लेखा परीक्षण के संबंध में एम्पेनलमेंट प्रक्रिया व ग्रन्य कार्य :—

(ग्र) सम्बन्धित प्राधिकारियों के निवेदन पर उपरोक्त प्राधिकारियों के मार्गदर्शन ग्रनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा उनकी शाखाओं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र के बैंक भी सम्मिलित हैं, में वर्ष 1987 के लिए ग्राडीटर्स के रूप में पैनल बनाने के लिए इस इन्स्टीट्यूट के ग्रंकित करने वाले सदस्यों से समिति ने सूचनाएं एकत्रित की । जिन सदस्यों द्वारा दी गयी सूचना और जिन्होंने ग्रपने ग्रपने ग्रावेदन प्रस्तुत किए उन सबको कम्प्यूटराइज्ड किया गया और फिर उन्हें संबंधित प्राधिकारियों के पास भेज दिया गया । समिति ने सदस्यों से प्राप्त प्रतिनिधित्व के ग्राधार पर प्राधिकारियों के साथ एमपेनलमेंट बनाने संबंधी कई ग्रन्य मामलों पर भी विचार किया ।

(ब) इन्टर्नल ग्राडिट :

(1) इन्टरनल ग्राडिट के कार्य से संबंधित पहलुओं पर विचार करने के लिए 25 ग्रक्तूबर से 29 ग्रक्तूबर तक औरंगाबाद में इन्टरनल ग्राडिट का एक ग्रावासीय पाठ्यक्रम ग्रायोजित किया गया था ।

(2) इन्टरनल ऑडिट पर सातवां अखिल भारतीय सम्मेलन बंगलौर में 5, 6 सितम्बर 1987 को आयोजित किया गया और इन्टरनल ऑडिट के कार्य के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं पर विचार किया और इन्टरनल आडीटर के कार्य की विस्तृत भूमिका पर विचार व्यक्त किए। इस सम्मेलन में 4 तकनीकी सत्र ऐसे थे जिसमें वारह प्रश्न-पत्र के माध्यम से इन्टरनल आडिटिंग के विभिन्न पहलुओं पर ही विचार किया गया।

(स) बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के इन्टरनल ऑडिट पर अध्ययन गोष्ठियां (सेमीनार)

बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के इन्टरनल ऑडिट पर दो एक दिवसीय अध्ययन गोष्ठियों का आयोजन अप्रैल 1987 में बम्बई तथा मद्रास में किया गया। इन अध्ययन-गोष्ठियों में बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से संबंधित इन्टरनल ऑडिट के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया।

(द) बैंक का इन्टरनल ऑडिट

इस आवश्यकता को ध्यान में रखकर राष्ट्रीयकृत बैंकों को कहा गया कि बैंकों तथा उसकी शाखाओं के इन्टरनल ऑडिट और उससे संबंधित सभी कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स की सेवाओं का उपयोग किया जाए। हमारे निवेदन के प्रत्युत्तर में राष्ट्रीकृत बैंकों ने हमें सूचित किया है कि इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वे चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स की सेवाओं का पूरा उपयोग कर रहे हैं। सदस्यों को सहयोग तथा मार्ग-दर्शन प्रदान करने के लिए समिति ने बैंकों के इन्टरनल ऑडिट पर "गाइडेन्सनोट" तैयार करने का निर्णय किया है ताकि उसके सभी कार्यों से संबंधित ऑडिट को सहजता तथा कुशलता के साथ किया जा सके। "गाइडेन्सनोट" निर्माणाधीन है।

(ई) चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स द्वारा सहकारी समितियों के ऑडिट की व्यवस्था हेतु सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन किया जाए।

समिति के निवेदन पर राज्य की राजधानियों में बने क्षेत्रीय परिषद् तथा क्षेत्रीय परिषदों की शाखाओं ने अपने-अपने राज्य में सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन के लिए समुचित प्राधिकारियों से कहा है जिससे सहकारी समितियों के ऑडिट की व्यवस्था के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेंट की सेवाओं का उपयोग किया जा सके। परिषद के सदस्य इस मामले को राज्य के विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष और आगे रख रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस आशय के परिपत्र जारी कर दिए हैं जिसके अनुसार (अ) जिला सहकारी ऑडिट अधिकारी किसी भी संस्थान, जहां ऑडिट का काम बकाया पड़ा है, के मामले में ऑडिट का काम किसी भी चार्टर्ड एकाउन्टेंट को सौंप सकता है; और

(ब) सहकारी चीनी फैक्टरियों के हिसाब का इन्टरनल ऑडिट का काम किसी भी चार्टर्ड एकाउन्टेंट को सौंपे तथा (स) राज्य स्तर पर समिति के गठन में एक सदस्य के रूप में चार्टर्ड एकाउन्टेंट का नियुक्त किया जाएगा। इसी तरह अन्य राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश तथा महाराष्ट्र में भी प्राधिकारीगण इस बात से सहमत हो गए हैं कि सहकारी समितियों के ऑडिट के कार्य में चार्टर्ड एकाउन्टेंट की सेवाओं का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए।

(एफ) आयात तथा निर्यात प्रमाणपत्रों पर मार्ग निर्देशन चीफ कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट द्वारा निर्मित आयात एवं निर्यात पद्धति 1985—88 की हैंड बुक तथा आयात एवं निर्यात नीति में विभिन्न पहलू ऐसे होते हैं जिसको चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया जाता है। प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित विवरण को प्रमाणित करने संबंधी गाइडेंस नोट तैयार करने का समिति प्रयास कर रही है ताकि सदस्य को इस संबंध में सहायता मिल सके।

(जी) सेल्फ रगूलटरी—मेजर्स मैंडटरी तैयार करना समिति समय-समय पर कतिपय सेल्फ रेगूलेटरी मेजर्स जारी करती रही है जिसका उद्देश्य इंस्टीट्यूट के सदस्यों के बीच व्यावसायिक कार्य का सम्यक् प्रवाह सुनिश्चित करना होगा। सेल्फ रगूलेटरी मेजर्स का पूर्ण पाठ "प्रोफेशनल अपारचुनिटीज फार मेंबर्स—एन एप्रेजल" शीर्षक के अन्तर्गत का अन्तिम संस्करण 1986 में प्रकाशित किया गया।

मई 1987 में हुयी अपनी 122वीं बैठक में समिति ने यह निर्णय लिया कि सुनिश्चित शुल्क से कम ऑडिट कार्य के गैर-स्वीकृति से संबंधित सेल्फ रेगूलेटरी मेजर्स को अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस विषय पर एक अधिसूचना "दि चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स" के जून 1987 के संस्करण में प्रकाशित की गयी है।

3.6 उद्योग में सदस्य हेतु समिति: उद्योग में सदस्यों हेतु समिति का गठन निम्नलिखित उद्देश से किया गया :—

(i) इंस्टीट्यूट के कार्यकलापों में सेवा में लगे सदस्य का सहयोग बढ़ाने संबंधी तौर तरीकों पर विचार करने के लिए।

(ii) सेवा में लगे सदस्य को प्रभावित करने वाले मामलों पर विचार करने के लिए और विशेष कर से कैरियर प्लानिंग, एथिक्स तथा अन्य संबंधित मामले, जो सेवा में लगे सदस्य को प्रभावित करने वाले हों, से संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए।

(iii) उद्योग में रोजगार पाने वाले सदस्य तथा संभावित नियोक्ता दोनों के लाभ के लिए रोजगार सेवाओं की व्यवस्था करना, तथा

(iv) उद्योग में सदस्यों के लिए रोजगार के नए स्थानों की खोजना तथा विकसित करना।

उद्योग में लगे कई प्रमुख सदस्य भी इस समिति में सम्मिलित हैं :

(अ) समिति के निर्णय के अनुसार क्षेत्रीय परिषदों ने अपने अपने क्षेत्र में उद्योग में लगे सदस्यों के लिए समितियों का गठन किया है जिसकी नियमित बैठकें होती हैं और उस क्षेत्र में उद्योग में लगे सदस्यों से संबंधित मामलों पर विचार विनिमय होता है तथा उद्योग में लगे सदस्यों के हितों संबंधी विषयों पर समय-समय पर अध्ययन-गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है।

(स) उद्योग में लगे वित्तीय एवं एकाउन्ट्स अधिशासियों के लिए एक आवासीय पाठ्यक्रम का आयोजन 22 अप्रैल से 26 अप्रैल 1987 तक काठमाण्डू में किया गया।

3.6 कम्पनी लॉ समिति

(अ) टैक्सेशन तथा कम्पनी लॉ पर आवासीय पाठ्यक्रम

टैक्सेशन तथा कम्पनी लॉ पर 10वां आवासीय पाठ्यक्रम टैक्सेशन तथा कम्पनी लॉ समिति दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से श्रीनगर में 17 मई से 21 मई 1987 तक आयोजित किया गया। इस पाठ्यक्रम में उद्योग तथा व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले 56 लोगों ने भाग लिया।

(ब) कंट्रोलर आफ कैपिटल ईशूज द्वारा जारी क्यूमुलेटिव कन्वर्टिबिल प्रीफरेंस शेयरों पर मार्गदर्शन संबंधी स्पष्टीकरण।

क्यूमुलेटिव कन्वर्टिबिल प्रीफरेंस शेयरों पर मार्गदर्शन के कुछ मामलों के स्पष्टीकरण के संबंध में इंस्टीट्यूट ने कन्ट्रोलर आफ कैपिटल ईशूज, डिपार्टमेंट आफ इकनामिक एफेयर्स, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से पूछा था। कंट्रोलर आफ कैपिटल ईशूज से प्राप्त उत्तर के आधार पर मुख्य-मुख्य बातें, जिन पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, और उनसे संबंधित कंट्रोलर आफ कैपिटल ईशूज से प्राप्त उत्तर दोनों का सदस्यों की जानकारी के लिए "दि चार्टर्ड एकाउन्टेंट" के दिसम्बर 1986 अंक में प्रकाशित किया गया।

(स) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 205(2) (बी) के अधीन मूल्यह्रास को निर्धारित करने संबंधी कम्पनी एफेयर्स के विभाग द्वारा निर्गमित परिपत्र क्रमांक 1/86 दिनांक 21-5-86 पर इंस्टीट्यूट का अभिमत।

मूल्यह्रास दरों में परिवर्तन के मूल्य ह्रास परिणामों हेतु एकाउन्टिंग पर गाइडेंस नोट सदस्यों की जानकारी के लिए "दि चार्टर्ड एकाउन्टेंट" के अक्तूबर 1986 अंक में इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया गया था। आयकर अधिनियम 1961 के अधीन प्रदत्त अतिरिक्त/मल्टीपिल शिफ्ट भत्ता प्रदान किए बिना कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 205(2)(बी) द्वारा विचार किए जाने के रूप में स्ट्रेट लाइन मेथड के अन्तर्गत मूल्यह्रास की व्यवस्थाओं का औचित्य अथवा अन्य रूप।

कम्पनी मामलों के विभाग के संदर्भ में इंस्टीट्यूट ने इस संबंध में अपने अभिमत की पुनरावृत्ति करते हुए कहा कि मशीनरी के प्रयोग के आधार पर अतिरिक्त/मल्टीपिल शिफ्ट भत्ते सहित पूर्ण मूल्य ह्रास की व्यवस्थाओं को एक यथार्थ एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने के लिए लागू करना अनिवार्य था और उन मामलों में जहां अतिरिक्त/मल्टीपिल शिफ्ट भत्ते पर मूल्य ह्रास की व्यवस्था नहीं की गयी है। आडीटर के लिए यह आवश्यक होगा कि उसके अनुसार ही अपनी रिपोर्ट तैयार करे।

(ई) कम्पनीज (डिपाजिट्स की स्वीकृति) नियम, 1975 के अधीन निर्धारित डिपाजिट्स की वापसी के लिए संशोधन :—

कम्पनी मामलों के विभाग ने इस इंस्टीट्यूट को यह सुझाव दिया कि डिपाजिट्स की वापसी के संबंध में आडीटर्स द्वारा प्रमाण के मामलों में एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में एक फार्मेट निर्धारित करने पर विचार करना चाहिए और विशेष रूप से यह व्यवस्था दी जानी चाहिए आडीटर द्वारा ध्यान में लाए गए उल्लंघनों का अंकन आडीटर के प्रमाणपत्र में होना चाहिए। अनुसारतः प्रमाणपत्र का फार्मेट की रचना इस इंस्टीट्यूट के द्वारा की गयी ताकि कम्पनीज (डिपाजिट्स की स्वीकृति) नियम 1975 के अनुसार कम्पनी के आडीटर द्वारा जारी किया जा सके और कम्पनी एफेयर्स के विभाग के पास भेजा जा सके।

(एफ) *कम्पनी लॉ पर सरकार के साथ विचार विमर्श :—*

समिति सरकार के साथ बराबर विचार-विमर्श करती रही है और कम्पनी लॉ से संबंधित विभिन्न मामलों पर प्रकाश डाला है।

3.8 टैक्सेशन समिति—(ए) टैक्सेशन तथा कम्पनी लॉ पर आवासीय पाठ्यक्रम टैक्सेशन तथा कम्पनी लॉ पर 10वां आवासीय पाठ्यक्रम कम्पनी लॉ समिति के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और वह 17 से 21 मई 1987 तक श्रीनगर के सैन्टर लेक व्यु होटल में सम्पन्न हुआ देश के विभिन्न भागों से आए 56 सदस्यों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया।

(बी) टैक्सेशन तथा कम्पनी लॉ पर 19 वीं अखिल भारतीय अध्ययन गोष्ठी : टैक्सेशन तथा कम्पनी लॉ पर 19 वीं अखिल भारतीय अध्ययन गोष्ठी का आयोजन इंस्टीट्यूट की टैक्सेशन तथा कम्पनी लॉ समिति द्वारा 21 से 23 अगस्त 1987 तक हैदराबाद में किया गया। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री एन. टी. रामाराव ने अध्ययन गोष्ठी का उद्घाटन किया। देश के विभिन्न भागों से आए लगभग 600 प्रतिनिधियों ने इस अध्ययन गोष्ठी में भाग लिया। इसमें छै तकनीकि सत्र थे जिसमें 4 सत्र टैक्सेशन पर और दो सत्र कार्पोरेट लाज पर सम्पन्न हुए। सभी छः तकनीकि सत्रों की अध्यक्षता क्रमश सर्वश्री पी. एन. शाह, अशोक कुमार, एस. के. दास गुप्ता, चौधरी जी, कृष्ण मुर्ती, जस्टिस अंजनेयुलू तथा यादी इंजीनियर द्वारा की गयी। सर्वश्री वेनुगोपाल, सी. गोविन्द, ए. एच. दलाल, एस. सी. वासुदेव, एन. के. पोद्दार, डा. आर. सी. वैश्य तथा वी. शंकर इत्यादि सभी ने सौहार्द के रूप में भाग लिया (12 तकनीकि प्रश्न-पत्र जिसमें से 8 टैक्सेशन पर और 4 कार्पोरेट लॉ पर थे, इस व्यवसाय से संबंधित प्रमुख सदस्यों द्वारा तैयार किए गए और इन सभी अध्ययन गोष्ठी में विचार किया गया। विदाई भाषण का सम्बोधन श्री ए. सम्भाशिवा राव, अवकाश प्राप्त चीफ जस्टिस, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय तथा लोक आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया गया।

(सी) प्रस्तुत मेमोराण्डा/रिप्रेजन्टेशन : (i) टैक्स नियमों के सरलीकरण तर्क संगत व्याख्या के विचार विमर्श प्रपत्र पर स्मृति पत्र वित मंत्री, अध्यक्ष सी. बी० डी. टी. तथा अन्य प्राधिकारियों के समक्ष 3 अक्टूबर, 1986 को प्रस्तुत किया।

(ii) *वित्त मंत्री द्वारा सुझाए गए विचार के अनुसार विचार-विमर्श* प्रपत्र (डिसकसन पेपर) पर अंशकालिक सत्र का आयोजन बम्बई में 22-10-86 को किया गया। एकाउन्टेंसी तथा कानूनी व्यवसाय के लगभग 60 चुने हुए सदस्यों ने इस अंशकालिक सत्र में वित्त मंत्री से भेंट की और विभिन्न प्रस्तावों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ।

(डी) व्यय के टैक्सेशन पर अध्ययन मंडल : व्यय के टैक्सेशन पर सरकारी अध्ययन मंडल से प्राप्त निमंत्रण के प्रत्युत्तर में इंस्टीट्यूट का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें अध्यक्ष श्री आर. बालाकृष्णन तथा श्री पी. एन. नरियेलवाला, भूत पूर्व अध्यक्ष सम्मिलित थे 25 सितम्बर, 1986 को अध्ययन मंडल में उपस्थित हुआ और व्यय के टैक्सेशन संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार किया।

(ई) केन्द्रीय बजट : सदैव की भांति बजट पूर्व तथा बजट बाद स्मरण पत्र वित्त मंत्री तथा अन्य अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए गए। विभिन्न व्यावसायिक संगठनों की बैठक हुयी जिसमें वित्त विधेयक के अनुच्छेद 49 के क्रियान्वयन पर विचार किया गया जिसमें स्रोत पर कटौती के विस्तार पर सुझाव प्रस्ताव किए गए थे। इस बैठक में हुये सर्व-सहमति के फलस्वरूप एक संयुक्त स्मृति-पत्र सरकार को दिया गया जिसमें वित्त विधेयक में प्रस्तावित रूप में परावर्तन व्यवस्था को लागू करने में आने वाली संभावित कठिनाइयों की ओर ध्यान केन्द्रित किया गया था तथा रायल्टीज, तकनीकी शुल्क, किराया, व्यावसायिक फीस इत्यादि जैसे मदों पर स्रोत पर कर कटौती के क्षेत्र के विस्तार का जिक्र किया जाता था : सरकार ने उसके अनुसार वित्त विधेयक से प्रस्तावित सुझावों को उदारतापूर्वक वापस ले लिया था।

(एफ) सी बी डी टी का प्रतिनिधित्व : सी. बी. डी. टी. के पास 6 मई 1987 को एक प्रतिनिधित्व भेजा गया था जिसमें आयकर (दूसरा संशोधन) नियम 1987 से होने वाली कठिनाइयों का जिक्र किया गया था। इस नियम के अनुसार स्वीकृत ग्रेच्युटी फण्ड्स के विनियोजन का क्षेत्र प्रतिबंधित होता है और साथ ही केन्द्रीय सरकार के विशेष जमा योजना जैसी स्वीकृत योजनाओं पूंजी विनियोजन की पूर्व सुविधाओं को बरकरार रखने के अधिकार का हनन होता है। *ये प्रतिबन्ध अभी हाल में ही सरकार द्वारा उठा लिए गए हैं।*

(जी) कम्पनी मामलों के विभाग को प्रतिनिधित्व : एक निवेदन सचिव, डिपार्टमेंट आफ कम्पनी एफेयर्स के पास इस आशय से भेजा गया था जिसमें कास्ट आडिट रिपोर्ट (संशोधन) नियम 1986, जिसके अनुसार कास्ट आडिट (रिपोर्ट) नियम 1986 में संशोधन हुआ है और साथ ही कास्ट आडिट रिपोर्ट के एनेक्सर की अनुसूची में भी संशोधन हुआ है, के कारण उत्पन्न असंगतियों पर ध्यान केन्द्रित *किया गया था इस निवेदन में इस बात पर जोर दिया गया था कि अनुसूची* के पैराग्राफ 11 से आइटम (एन) निकाल दिया जाए क्योंकि इसके अन्तर्गत उन्हीं क्षेत्रों का वर्णन किया गया जो टैक्स आडिट रिपोर्ट में निहित हैं। डिपार्टमेंट आफ कम्पनी एफेयर्स इस मामले के पुनरावलोकन कर रही है।

(एच) प्रकाशन

(i) आयकर अधिनियम की धारा 32ए बी के अधीन आडिट पर एक गाइडेंस नोट प्रकाशित किया गया जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 32एबी की व्यवस्थाओं को लागू करने संबंधी विवरण को विस्तार दिया गया है और व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आडिट की आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला गया है।

(ii) धारा 80 एच एच. सी. तथा 80 एच. एच. सी. के अधीन आडिट पर गाइडेंस नोट भी प्रकाशित किया गया जिसमें इन व्यवस्थाओं को लागू करने और करदाता तथा आडीटर दोनों उत्पन्न विभिन्न कठिनाइयों का जिक्र इस आशय से किया गया है कि कैसे इन व्यवस्थाओं को लागू किया जाए और इस उद्देश्य के लिए कैसे आडिट किया जाए।

3.9 अविच्छिन्न व्यावसायिक शिक्षा समिति :

(अ) अध्ययन गोष्ठियां तथा पाठ्यक्रम अविच्छिन्न शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष में पर्याप्त अध्ययन गोष्ठियों तथा पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया। विवरण के लिए परिशिष्ट 3 का अवलोकन करें।

(ब) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के परिणाम मैनेजमेंट एकाउन्टेंसी/कारपोरेट मैनेजमेंट/टैक्स मैनेजमेंट पाठ्यक्रम (भाग 1) की परीक्षाएं संशोधित सिलेबस के अन्तर्गत नवम्बर 1986 में आयोजित की गयी तथा मैनेजमेन्ट एकाउन्टेंसी कोर्स (भाग 1) की परीक्षा संशोधित सिलेबस के अन्तर्गत मई 1987 में आयोजित की गयी। नवम्बर 1986 तथा मई 1987 में सम्पन्न परीक्षाओं के संक्षिप्त परिणाम परिशिष्ट 4 में अंकित है।

(स) योग्यता छात्रवृत्ति : मैनेजमेंट एकाउन्टेंसी पाठ्यक्रम की प्रेरक योजना के अन्तर्गत पुस्तकें खरीदने के लिए 10 प्रत्याशियों को रु. 500 की छात्रवृत्ति प्रदान की गयी। इस योजना को कार्पोरेट मैनेजमेन्ट तथा टैक्स मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों के प्रत्याशियों पर भी लागू किया गया है।

(द) मैनेजमेंट तथा इकानामिक क्वाटरली डायजेस्ट : सितम्बर 1986 से मैनेजमेंट एण्ड इकानामिक डायजेस्ट (प्रबंधन तथा अर्थशास्त्र में समकालीन समस्याओं पर महत्वपूर्ण आर्टिकल के सारयुक्त अंशों की पत्रिका) के चार अंक प्रकाशित किए जा चुके हैं। इस प्रकाशन के लगभग 1500 सदस्य बन चुके हैं।

(ई) व्यावहारिक प्रशिक्षण/एस ए सी पास करना स्नातकोत्तर पाठ्क्रम के भाग 2 के अन्तर्गत व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए वर्ष में पर्याप्त प्रत्याशियों का पंजीकरण किया गया। पाठ्यक्रम निम्नलिखित हैं

(i) मैनेजमेंट एकाउन्टेंसी पाठ्यक्रम

(ii) कारपोरेट मैनेजमेंट पाठ्यक्रम

(iii) टैक्स मैनेजमेंट पाठ्यक्रम मैनेजमेंट एकाउन्टेंसी में स्नातकोत्तर योग्यता पाठ्यक्रम के दोनों भागों को निम्नलिखित सदस्यों द्वारा पूरा किया गया—

(i) श्री आर. नारायणस्वामी (एम. नं. 20761)

(ii) श्री एस. बालासुब्रमणियन (एम नं. 9079)

(एफ) इन-हाउस कम्प्यूटर केन्द्र : पूर्व निर्णय के अनुसार मद्रास, कलकत्ता, बम्बई स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में तीन इन-हाउस कम्प्यूटर केन्द्रों को गठित किया गया जिसके अन्तर्गत विद्यार्थियों तथा सदस्यों के लिए अच्छी रचना वाले पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जा सके। प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चार पक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की गयी। विद्यार्थियों तथा सदस्यों के लिए पर्याप्त कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इसके लिए हमें आशातीत सफलता मिली है। कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा आयोजित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट 5 में दिया गया है। कम्प्यूटर पर्यावरण में कन्ट्रोल्स तथा आडिट पर दो पाठ्यक्रम सी एण्ड ए. जी. कार्यालय के अधिकारियों के लिए आयोजित किए गए। इसी प्रकार के पाठ्यक्रम जीवन बीमा निगम, भारतीय व्यापार निगम जैसे संगठनों के लिए भी आयोजित किए जा रहे हैं। कानपुर तथा दिल्ली में कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित कर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

3.10 एक्सपर्ट एडवाइजरी समिति : (अ) सितम्बर 1986 में अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त किए जाने के दिन से अब तक समिति को 56 शंका-प्रश्न (जिसमें से 5 शंका-प्रश्न प्रारंभ में विचाराधीन हैं) प्राप्त हो चुके हैं और उनमें से 50 शंका-प्रश्नों का समाधान भी हो चुका है। तीन शंका-प्रश्न भावी भी विचाराधीन हैं और 3 शंका-प्रश्न इसलिए विचाराधीन हैं क्योंकि प्रश्न कर्ताओं से इस संबंध में अतिरिक्त सूचनाएं मांगी गयी हैं।

(ब) "कम्पेंडियम आफ ओपीनियन" वाल्यूम 6 में सितम्बर 1985 से सितम्बर 1986 तक समिति की राय का उल्लेख किया गया है और उसमें संयुक्त विषय अनुसार वर्णमाला क्रम में राय की तालिका दी गयी है जिसका उल्लेख पहले के पांच वाल्युम में किया जा चुका है। ये वाल्युम विक्रयार्थ उपलब्ध हैं।

(स) "कम्पेंडियम आफ ओपीनियन" का वाल्युम 1 का संशोधित संस्करण भी विक्रियार्थ प्रकाशित कर दिया गया है।

(द) समिति की प्रमुख राय से संबंधित संक्षिप्त संस्करण भी सभी पाठकों की सूचनार्थ "दि चार्टर्ड एकाउन्टेंट" के प्रत्येक अंक में प्रकाशित किया जा रहा है।

3.11 एथिकल स्टैण्डर्ड समिति (नैतिक स्तर समिति) : (अ) समिति के समक्ष व्यावसायिक नैतिकता पर विभिन्न समस्याओं के परीक्षण के अवसर आए तथा आचार संहिता को स्पष्ट करने का भी क्षेत्र आया। इन प्रश्नों पर समिति ने सावधानी पूर्वक विचार किया और सुसम्बद्ध सदस्य को इस संबंध में विवेकपूर्ण ढंग से परामर्श दे दिया गया।

(ब) इस समस्या पर समिति ने एक गाइडेंस नोट जारी किया जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि क्या कोई भी सदस्य उस संस्थान जिसका वह स्वयं या उसका कोई संबंधी मालिक है अथवा भागीदार है, अथवा वह स्वयं अथवा उसका कोई संबंधी उसमें निदेशक है, के एकाउन्ट्स का आडिट कर सकता है। समिति की सिफारिशों परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसने उन्हें स्वीकार कर लिया और इस संबंध में गाइडेंस-नोट "दि चार्टर्ड एकाउन्टेंट" के मई 1986 के अंक में प्रकाशित किया गया।

(स) अधिनियम के प्रथम अनुसूची के भाग 1 के अनुच्छेद (6) की व्यवस्थाओं को सावधानी पूर्वक शब्दशः तथा भावात्मक रूप से ध्यान में रखकर सदस्यों के दिशा बोध पर जोर देते हुए समिति ने पत्रिका गाइड लाइन भी प्रकाशित कर दी है। इस गाइडलाइन्स में स्वयं अथवा स्वयं की फर्मों के संबंध में विवरण प्रस्तुत करते हुए कोई साक्षात्कार या अन्य संयोजन के समय, जिससे अनावश्यक प्रचार होने का सन्देह है, पूरी सावधानी बरतने का संकेत है। प्रत्येक सदस्य को यह विश्वास देने को कहा गया है कि किसी भी सदस्य अथवा उनकी फर्मों के संबंध में विवरण एवं विचारों को व्यावसायिक कार्यों के लिए न प्रयोग किया जाए अथवा सदस्य अथवा उनकी फर्मों को व्यावसायिक उपलब्धि को प्रचारित करने के प्रयोग में न लाया जाए।

(द) परिषद द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णयों के अनुसार इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित आचार संहिता में समिति द्वारा संशोधन किया गया है और इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय लेखाधिकारी संघ द्वारा अधिकाधिक स्पष्ट करने और पठन योग्य बनाने के लिए भी निर्णय लिए गए।

(ई) समिति ने चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स विनियम, 1961 के परिशिष्ट 10 तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स अधिनियम, 1949 के परिशिष्ट 18 में उल्लिखित स्थायी हितों की परिभाषा को और भी संशोधित रूप प्रदान किया है।

(एफ) समिति ने चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स की फर्मों द्वारा ऐसे पत्रों तथा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की प्रकृति के संबंध में कुछ सिफारिशों का उल्लेख किया है। परिषद द्वारा कथित सिफारिशों पर विचार किए जाने के उपरान्त इंस्टीट्यूट के आचार संहिता का एक भाग बन जाएगा।

(जी) इस आशय की घोषणा समिति द्वारा इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित पत्रिका में कर दी गयी है जिसमें सदस्य को यह विश्वास दिलाने को कहा गया है कि उनके द्वारा आडिट किए गए किसी भी कम्पनी के संबंध में प्रकाशित किसी भी बैलेंस-शीट विश्लेषण सहित उनके नाम अथवा उनकी फर्मों के नाम प्रेस में प्रकाशित किए जाने की अनुमति कदापि न दें।

3.12 विश्व-विद्यालय सम्पर्क समिति (अ) अध्ययन-गोष्ठियाँ : इंस्टीट्यूट तथा विश्व-विद्यालय दोनों में सहयोग और सशक्त करने के उद्देश्य से एकाउन्टिंग स्टैण्डर्डस, शिक्षा तथा कार्पोरेट रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेज पर एक अखिल भारतीय अध्ययन गोष्ठी का आयोजन नयी दिल्ली में 28 तथा 29 मार्च 1987 को किया गया। इसमें विश्व-विद्यालयों तथा कालेजों के वाणिज्य संकायों के सदस्यों तथा व्यवसाय से संबंधित सदस्यों ने भाग लिया।

(ब) बी-काम परीक्षा में एकाउन्टेंसी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को स्वर्णपदक/पुरस्कार प्रदान करने संबंधी एन्डोमेंट्स एन्डोमेंट बनाने के लिए रु. 3000/- सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर को भेजे गए। समिति ने और भी एन्डोमेंट बनाने का निर्णय किया है। रु. 5000/- प्रत्येक एन्डोमेंट निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को भेजे गए।

(1) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, (2) गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर, (3) भराथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, (4) भारथीदासन विश्वविद्यालय, (5) तिरुचिरापल्ली।

(सी) इंस्टीट्यूट द्वारा अर्जित किये गये इन्डोमेन्ट्स में से आई.सी.ए.आई. पुरस्कार/गोल्डमेडल के एवार्ड के बारे में विश्वविद्यालयों से सहायता आई.सी.ए.आई. पुरस्कार/गोल्ड मेडल के एवार्ड के विषय में विश्वविद्यालयों से सहायता प्राप्त करने के बारे में कार्यवाही की गई थी। कई विश्वविद्यालयों ने एवार्ड प्राप्त कर्ताओं के नाम भेजने आरम्भ कर दिये हैं। ये नाम उनके फोटो सहित इंस्टीट्यूट के जर्नल "दि चार्टर्ड एकाउन्टेंट" में प्रकाशित हो रहे हैं।

(डी) सी.ए. कोर्स में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस तथा रजिस्ट्रेशन फी फीस के भुगतान में छूट चार्टर्ड एकाउन्टेंसी के व्यवसाय में अच्छे विद्यार्थियों को लाने के लिए कौंसिल ने यह निश्चय किया है कि जो विद्यार्थि प्रत्येक विश्वविद्यालय की कामर्स डिग्री परीक्षा में तथा रजिस्ट्रेशन फीस के 1-1-1987 को या इसके बाद आर्टिकल्ड क्लर्क के रूप में पंजीकृत किया जायेगा।

(ई) विश्वविद्यालयों द्वारा पी.एच.डी. प्रोग्राम के लिए सी.ए. कोर्स की स्वीकृति पी. एच. डी. प्रोग्राम के लिए सी.ए. कोर्स की स्वीकृति हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखे गये।

(एफ) सी.ए. कोर्स की प्रसिद्धि: चार्टर्ड एकाउन्टेंट के रूप में जीवन-वृत्ति की पत्रिका की प्रतिलिपियां विभिन्न विश्वविद्यालयों में उनके नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालयों, कालेजों और ब्यूरो आफ प्रोफेशनल गाइडेंस को भेजी गई। पत्रिका को कापियां रीजनल कौंसिल/उसकी शाखाओं के चेयरमैनों को भी प्रेषित की गई तथा उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपने रीजन/क्षेत्रों में विद्यार्थियों को चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स व्यवसाय के बारे में उन्हें अवगत करायें।

(जी) बी. काम कोर्स के लिए माडल सेलेबस: कमेटी द्वारा तैयार किये गये बी. काम कोर्स के लिए माडल सेलेबस की कापियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा एसोसियेशन आफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज के पास विश्वविद्यालयों द्वारा उसे लागू करने के लिए भेजे गये।

4. अन्य मामले

4.1 जन सम्पर्क कमेटी

(1) इंस्टीट्यूट के कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी को बढ़ावा देने के लिए तथा इस व्यावसाय की सुन्दर छवि के बारे में जानकारी देने के लिए जन सम्पर्क कमेटी ने अनेकों कार्यक्रम किये।

(2) 31 मार्च 1986 को समाप्त वर्ष की 37वीं वार्षिक रिपोर्ट के सार को कई प्रख्यात समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। वार्षिक मीटिंग की रिपोर्ट, सर्वोत्तम लेखा प्रस्तुत करने के लिए पुरस्कारों के वार्षिक एवार्ड देने तथा इंस्टीट्यूट की परीक्षाओं में पुरस्कार विजेताओं के बारे में भी सभी बड़े अखबारों में छापा गया।

(3) कौंसिल द्वारा अपनाई गई नीति और उद्देश्यों के बारे में सर्व साधारण की जानकारी हेतु आई.सी.ए.आई. न्यूज लेटर का प्रकाशन जारी रखा गया। इसे विभिन्न सरकारी विभागों, चेम्बर्स आफ कामर्स, वित्तीय संस्थाओं और अन्य निकायों में वितरित किया गया।

(4) "कैरियर एज ए चार्टर्ड एकाउन्टेंट" पर एक फोल्डर भी विश्वविद्यालयों और कालेज के विद्यार्थियों में बांटने के लिए प्रकाशित किया गया।

(5) जब भी आवश्यक हुआ गलत प्रभाव को ठीक करने तथा नीति संबंधी कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए विभिन्न बड़े अखबारों में स्पष्टीकरण प्रकाशित किये गये।

(6) एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड की समझ ग्राह्यता, सैलेबस के रिवीजन के लिए तथा अन्य मामलों के सम्बंध में इन्स्टीट्यूट के मूल विचारों को प्रदर्शित करने के निमित्त भारत के विभिन्न भागों में अध्यक्ष द्वारा प्रेस कान्फ्रेंस की गई। इंस्टीट्यूट के विचार भी बड़े समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराये गये।

(7) विभिन्न रीजनल कालेजों और शाखाओं में किये गये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दौरों की खबरें स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई।

(8) व्यवसाय सम्बंधी मामलों तथा सार्वजनिक हित के मामलों पर इंस्टीट्यूट के विचार समय-समय पर प्रेस वक्ताओं द्वारा जारी किये गये।

4.2 11वीं आल इण्डिया कांफ्रेंस आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स: सदस्यों के लाभार्थ इंस्टीट्यूशन की कन्टीन्यूइंग एजूकेशन एक्टि विटीज के अंश के रूप में 11वीं आल इण्डिया कांफ्रेंस आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स 18 से 21 दिसम्बर 1986 तक कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस कांफ्रेंस का मुख्य विषय "चैलेंज आफ दि नाइनटीज" था। कांफ्रेंस का मुख्य उद्घाटन 18 दिसम्बर 1986 की संध्या को श्री टी.एन. चतुर्वेदी, काम्प्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इण्डिया द्वारा किया गया। समापन समारोह को 21 दिसम्बर 1986 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश श्री सब्यसाची मुखर्जी ने सम्बोधित किया।

कांफ्रेंस में देश के सभी भागों के 820 प्रतिनिधियों तथा 60 अन्य विशिष्ठ व्यक्तियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त श्री लंका, बंगलादेश, तथा नेपाल के एकाउन्टेंसी बाडीज के सदस्यों ने भी भाग लिया। कांफ्रेंस को साउथ एशिया फेडरेशन आफ एकाउन्टेंट्स (एस.ए.एफ.ए.) की एसेम्बली मीटिंग द्वारा अग्रसर किया गया। इस मीटिंग को हमारे इंस्टीट्यूट और कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स आफ इण्डिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।

कांफ्रेंस में व्यावसायिक उपयोगिता के विषयों को चार तकनीकी सत्रों अर्थात मैनेजमेंट एंड कम्प्यूटिंग, फिस्कल पालिसी एंड कारपोरेट लेजिस्लेशन, चेन्जिंग रोल आफ एकाउन्टेंट्स तथा प्रोफेशनल डेवलपमेंट में लिया गया। समग्र सत्र में टेक्नीकल पेपर्स पर विचार गोष्ठियां सेम्बर, प्लानिंग कमीशन, श्री आर.पी. गोयन्का, फिक्की के अध्यक्ष, श्री रामेश्वर ठाकुर इंस्टीट्यूट के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा राज्य सभा के सदस्य श्री बी दीक्षित, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, इण्डस्ट्रियल रीकंस्ट्रक्शन बैंक आफ इण्डिया भी शामिल थे।

समग्र सत्र के टाइटलों से सम्बन्धित विचार प्रश्न पत्रों पर विचार विमर्श के टाइटल्स प्रश्न पत्र बनाने वालों के नाम तथा कामन्टेटर्स के नाम और मुख्य वक्ताओं के नाम इस रिपोर्ट के परिशिष्ठ 6 में दिये गये हैं।

तकनीकी प्रोग्राम के अतिरिक्त प्रतिनिधियों तथा उनके सम्बद्ध व्यक्तियों के लिए कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 19 दिसम्बर 1986 की संध्या को ममता शंकर ग्रुप द्वारा एक रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। साथ में आये हुये अतिथियों के लिए दृश्य दिखलाने स्थानीय खरीद करने आदि के कार्यक्रम भी आयोजित किये गये।

उद्घाटन के अवसर पर एक आकर्षक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया जिसमें देश विदेश के मूर्धन्य लेखकों के लेख सम्मिलित हैं। विज्ञापनों से जो बकाया राशि रु. 1.73 लाख शेष रह गई थी उसे चार्टर्ड एकाउन्टेंटस बीनेवोलन्ट फण्ड में दे दिया गया। रु. 3200/- (लगभग) की अन्य राशि भी इस फण्ड के लिए इकट्ठा की जाएगी।

4.3 भारतीय स्वतंत्रता की 40 वीं वर्षगांठ तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की जन्म शताब्दी भारत सरकार ने राष्ट्र की स्वतंत्रता की 40 वीं वर्षगांठ तथा श्री जवाहर लाल नेहरु की जन्म शताब्दी मनाने का विचार किया है। इंस्टीटयूट ने भी इन दो घटनाओं की याद में कार्यक्रमों को आयोजित करने की योजना बनाई है जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे :

(1) सार्वजनिक क्षेत्र में इंस्टीटयूट के योगदान के विषय में प्रमुख समाचार पत्रों में परिशिष्टि प्रकाशित करना

(2) इंस्टीटयूट द्वारा पिछले चार दशक में की गई उपलब्धियों के बारे में सरकार को सूचित करना और उसे इंस्टीटयूट द्वारा। अलग-अलग पुस्तिकाओं में प्रकाशित करना।

(3) रीजनल कौंसिल तथा उनकी शाखाओं से पंडित जवाहर लाल नेहरु जन्म शताब्दी व्याखान माला तैयार करने को कहना।

(4) रीजनल तथा शाखा स्तर पर प्रमुख विचारकों पर कांफ्रेंस का आयोजन करना।

(5) रीजनल तथा शाखा स्तर पर भवनों का उद्घाटन करना।

(6) इंस्टीटयूट की परीक्षाओं में नेहरु पुरस्कार देना।

4.4 शिक्षा तथा प्रशिक्षण के रिव्यू के लिए कमेटी : सितम्बर, 1984 को अपनी बैठक में कौंसिल द्वारा स्थापित की गई शिक्षा तथा प्रशिक्षण के रिव्यू के लिए कमेटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है तथा वर्ष के भीतर अपनी स्वीकृतियों के लिए चार मीटिंगें की। कमेटी की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है और अब वह कौंसिल के विचाराधीन है।

4.5 दि चार्टर्ड एकाउन्टेंट : (ए) इंस्टीटयूट का जर्नल "दि चार्टर्ड एकाउन्टेंट" वर्ष भर सदस्यों में निःशुल्क वितरित किया गया।

(बी) जर्नल की छपाई आदि में वृद्धि को देखते हुए कौंसिल ने जर्नल की दरों में 1-1-1987 से संशोधन करने का निश्चय किया है।

जो इस प्रकार है :—

(1) सामान्य शुल्क रु. 100 प्रतिवर्ष

(2) आर्टिकल्ड / आडिट क्लर्कस रु. 30 प्रतिवर्ष जाने वाले

प्रारंभिक पंजीकरण के समय	रु. 90/- तीन वर्ष की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के पूरे सत्र के लिए
किसी अन्य परवर्ती तिथि पर	रु. 4 प्रति कापी आर्टिकल्ड ट्रेनिंग की शेष अवधि के लिए एक मुश्त में देय।

(3) विद्यार्थियों के लिए (आर्टिकल्ड क्लर्क/आडिट क्लर्क के अतिरिक्त) रु. 50 प्रतिवर्ष

(4) एक कापी का मूल्य रु. 10/-- तथा डाक व्यय अतिरिक्त

(सी) जर्नल का प्रिंट आर्डर प्रति माह 60,000 प्रतियों से भी अधिक है।

(डी) जर्नल के ले आउट तथा सर्वांगीण गेट अप के सुधार के लिए इसका प्रकाशन प्रख्यात प्रेस यथा थामसन प्रेस (इण्डिया) लि. से किया जा रहा है और यह प्रतिवर्ष अप्रैल 1987 अंक के किया गया। इस सुधार के लिए हमें अनेकों प्रशंसा के पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

(ई) जर्नल के ले आउट तथा गेटअप हम हमारे पाठकों के विचार जानने के लिए एक प्रश्नमंच द्वारा एक पाठक सर्वेक्षण किया गया प्राप्त उत्तरों के आधार पर संपादकीय बोर्ड द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई इस दिशा में प्राप्त महत्वपूर्ण विचारों पर संपादकीय बोर्ड विचार कर रहा है।

(एफ) "दि चार्टर्ड एकाउन्टेंट" में योगदान के लिए लेखकों को प्रोत्साहित करने हेतु संपादकीय बोर्ड ने उच्च स्तर के लेखों पर अधिक पारिश्रमिक देने की व्यवस्था की है।

(जी) संपादकीय बोर्ड ने "दी" चार्टर्ड एकाउन्टेंट" के माध्यम —(जुलाई 1986 से जून 1987) में प्रकाशित लेखों के लिए निम्नलिखित पुरस्कारों की घोषणा की है :—

मेन सेक्शन

प्रथम पुरस्कार (रु. 1,500)	श्री डी. जे. फोर्ब्स, हैदराबाद को उनके लेख "डेवलपमेंट इन कंपनी आडिट" के लिए जो दिसम्बर, 1986 के अंक में प्रकाशित हुआ
द्वितीय पुरस्कार (रु. 1000)	श्री आर. ए. यादव, दिल्ली को उनके लेखक सिक इण्डस्ट्रीयल कम्पनीज लेजिसलेशन—रैमिडी और विसैलिनेटिव" (अक्तूबर 1986 अंक) पर
तृतीय पुरस्कार (रु. 500)	श्री ए. के. झुनझुनवाला, कलकत्ता को उनके लेख "सिम्पलीफिकेशन आफ कंपनी ला एड एम आर टी पी एक्ट" (फरवरी 1987 के अंक) पर

स्टूडेन्टस सेक्शन

प्रथम पुरस्कार (रु. 750)	श्री डिसूजा डोल्फी जोन, बम्बई को उनके लेख "रिस्पासिबिलिटी कान्सेप्ट इन बिल्डिंग" (दिसम्बर 1986 अंक) पर
द्वितीय पुरस्कार (रु. 500)	श्री मधुसूदन, अग्रवाल, दिल्ली को उनके लेख "केरी फोरवार्ड एंड सेटअप आफ अन अबजार्ब्ड डेप्रीसियेशन एकाउन्टस" (जून 1987 अंक) पर

4.6 चार्टर्ड एकाउन्टेंटस रेगुलेशन: में परिवर्तन केन्द्र सरकार की स्वीकृति पर चार्टर्ड एकाउन्टेंटस रेगुलेशन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए:—

1. फाईनल (पुराना सैलेबस) परीक्षा के विद्यार्थियों, जिन्होंने कथित पुराने सैलेबस परीक्षा को एक ग्रुप में फाईनल (नये सैलेबस) परीक्षा के संबंद्ध प्रश्नपत्रों से उत्तीर्ण की है, के लिए कुछ छूट देते हुए अनुसूची "बी" के पैराग्राफ 10ए में संशोधन।

(अधिसूचना सं. 1 सी ए (152)/86 दिनांक 23-7-1987 को "दी चार्टर्ड एकाउन्टेंटस" में अगस्त 1986 में प्रकाशित किया गया)

2. राज्य सभा संघीय क्षेत्र में रीजनल कौंसिल की एक शाखा की स्थापना के लिए जिसका रीजनल कौंसिल में कोई हेडक्वार्टर्स या शाखा नहीं है, 100 से 50 सदस्यों तक के लिए रेगुलेशन 136(2) में संशोधन करना।

(अधिसूचना सं. 1 सी ए (7)/654/87 दिनांक 19 मई, 1987— "दी चार्टर्ड एकाउन्टेंटस". के जून 1987 अंक में प्रकाशित)

3. आर्टिकल क्लर्कों के पारिश्रमिक में, जहाँ उसकी सेवा का एक समान स्थान है, ऐसे शहर में है जिसकी आबादी 20 लाख या अधिक है, रु. 500/— से बढ़ाने तथा अन्य मामलों में रु. 350/— से अधिक करने के संबंध में 1-7-1987 से रेगुलेशन 48ए(4) तथा 48ए(5) में संशोधन (अधिसूचना सं. 1-सी ए (7) /154/87 दिनांक 19 मई, 1987 "दी चार्टर्ड एकाउन्टेंटस" के जून 1987 के अंक में प्रकाशित)

4. वर्तमान रेगुलेशन के सरलीकरण तथा युक्तिपूर्वक बनाने के लिए, अनियमितताओं को दूर करने के लिए तथा प्रक्रियाओं के अनावश्यक विलम्ब को दूर करने के लिए संहिताबद्ध रेगुलेशन केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं। ड्राफ्ट रेगुलेशन सार्वजनिक हित के लिए भारत सरकार के गजट में प्रकाशित किया गया है। स्वीकृति पर ये नए रेगुलेशन वर्तमान रेगुलेशन 1964 का स्थान ग्रहण कर लेंगे।

4.7. कौंसिल की वार्षिक बैठक: कौंसिल की 37 वीं वार्षिक बैठक 16 सितम्बर, 1987 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में श्री पी. ए. नायर, इंस्टीटयूट के भूतपूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। श्री जनार्दन पुजारी वित्त राज्य मंत्री के कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं को शील्ड और प्लेक्स प्रदान किए। इंस्टीटयूट की परीक्षा में योग्य विद्यार्थियों को मंत्री महोदय द्वारा पुरस्कार भी दिए गए। श्री आर० बालाकृष्णन, नए अध्यक्ष महोदय ने आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सदस्यों तथा अन्य अतिथियों ने भाग लिया।

4.8 पुस्तकालय: वर्ष के अन्तर्गत कौंसिल लाईब्रेरी नई दिल्ली में 674 नई पुस्तकें और जोड़ी गईं। अब पुस्तकों की कुल संख्या 21,232 हो गई है। इस दिशा में सदस्यों और विद्यार्थियों, दोनों का योगदान रहा है।

4.9. बाहरी निकायों में प्रतिनिधित्व: अपने प्रतिनिधियों द्वारा इंस्टीटयूट अनेकों देशी और विदेशी निकायों का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार के प्रतिनिधित्व परिशिष्ट 7 में दिए गए हैं।

4.10 महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत सदस्य: इंस्टीटयूट के सदस्य उच्चतम अनुभव तथा एकाउन्टेंसी और वित्त के क्षेत्र में अपने ज्ञान के कारण सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों और सरकारी निगमों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में हैं। कांउसिल को मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन जो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में नियुक्त हैं तथा राष्ट्रीकृत बैंकों और राष्ट्रीकृत बीमा कंपनियों में नियुक्त है, के फोटोग्राफ इंस्टीटयूट के जर्नल "दी चार्टर्ड एकाउन्टेंटस" में प्रकाशित करता है।

अध्यक्ष श्री आर. बालाकृष्णन को सार्वजनिक उद्यम में उद्योग मंत्री के परामर्श ग्रुप में नामांकित किया गया है। यह ग्रुप सार्वजनिक उद्योगों के संचालन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगा और उद्योग मंत्री के विचारार्थ उपयुक्त स्वीकृतियां देगा यह नियुक्ति इस व्यवसाय के लिए बड़े गौरव की बात है।

4.11 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की मीटिंगें तथा शाखाओं का दौरा करना: केन्द्रीय मंत्रियों तथा सरकारी विभागों के कर्मचारियों सहित अनेकों विशिष्ट व्यक्तियों के साथ इस वर्ष अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बैठकें हुई। 1987—88 के केन्द्रीय बजट को प्रस्तुत करने से पूर्व वित्त मंत्री तथा उद्योगपतियों के साथ हुई उनकी बातचीत का विशेष महत्व है। अध्यक्ष ने वित्त मंत्री द्वारा बुलाई गई बजट पूर्व वार्ता में भी भाग लिया 28 जनवरी 1987 में उद्योग मंत्री श्री जे. वेंगलराव के साथ भी उनकी बैठक हुई जिसमें अध्यक्ष महोदय ने मंत्री जी को इस व्यवसाय द्वारा राष्ट्रीय गतिविधियों में दिए गए अपने योगदान के बारे में अवगत कराया और सरकारी सहायता में अपनी भूमिका बताई मंत्री महोदय से देश भर में कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना के लिए भी अनुरोध किया गया। मंत्री महोदय ने इंस्टीटयूट द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक कार्यक्रम तथा अन्य गतिविधियों में गहन दिलचस्पी दिखाई।

1986 को नार्दन इंडिया रीजनल कौंसिल के चेयरमैन के साथ 6 मई 1987 को भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह से मुलाकात का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ।

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ने रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर से भी मुलाकात की और उनसे राष्ट्रीय कार्यों में इस व्यवसाय द्वारा दिए गए योगदान के बारे में जानकारी दी। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों से बैंक-ब्रांच आडिटर्स की नियुक्ति संबंधी विचार-विमर्श करने तथा लांग फार्म आडिट रिपोर्ट के लिए आडिट फीस निश्चित करने संबंधी तरीके पर भी बातचीत हुई।

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ने समस्त रीजनल कौंसिलों तथा रीजनल कौंसिलों की अनेकों शाखाओं का भी दौरा किया और सदस्यों तथा विद्यार्थियों के लिए व्यवसायिक अवसरों और शिक्षा संबंधी सुविधाओं के विकास से संबंधित विषयों पर बातचीत की।

4.12 चार्टर्ड एकाउन्टेंटस बीनेवोलेन्ट फण्ड: चार्टर्ड एकाउन्टेंट बीनेवोलेन्ट फण्ड की स्थापना दिसम्बर, 1962 में रख-रखाव, शिक्षा तथा उन जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए शिक्षा और अन्य इसी प्रकार की आवश्यकताओं के लिए जो इंस्टीटयूट के सदस्य हैं तथा उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता के लिए की। सदस्यों की संख्या 1-9-86 में 2718 से बढ़कर 1-9-87 में 3537 हो गई। वर्ष के अन्तर्गत जरूरतमंद सदस्यों तथा मृत सदस्यों के जरूरतमंद परिवारों में रु. 1,15,900/- वितरित किए गए। कारपस फण्ड में वृद्धि के कारण वित्तीय सहायता की दर में वृद्धि रु. 300/- से बढ़ाकर रु. 400/- प्रतिमाह कर दी गई।

फण्ड जो 31-3-1987 को रु. 20,28,518.79 था, 1-9-87 में बढ़कर 6,66,321.00 हो गया। 1-9-1987 को रु. 23,86,000 की राशि शेष बची।

4.13 एस. वैद्यनाथ अय्यर यादगार कोष: वर्ष 1986-87 में चार्टर्ड एकाउन्टेंसी कोर्स करने वाले विद्यार्थियों में से 50 छात्रवृत्तियां रु. 100 प्रतिमाह दी गईं। वर्ष 1987-88 में चार्टर्ड एकाउन्टेंसी कोर्स करने वाले अन्य 50 छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की प्रस्तावना है।

फण्ड की सदस्य संख्या 3-3-1987 को 162 थी। फण्ड में बकाया राशि 31-3-1987 को रु. 1,06,133.08 थी जबकि 31-3-1986 को यह राशि रु. 77,364.10 थी।

5. सदस्य

5.1 सदस्यता: इस वर्ष 4716 सदस्य बनाए गये जिसके फलस्वरूप 31-3-87 को सदस्यों की संख्या 44634 हो गई। वर्ष में 1380 फैलों के रूप में एसोसियेट्स भर्ती किये गये जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 1330 थी। सदस्यों के वर्गीकरण का विवरण परिशिष्ट viii में दिया गया है।

5.2 ट्रेड/फार्म नामों की स्वीकृति के लिए मुख्य हिदायतें:—

कौंसिल ने ट्रेड/फर्म नामों के पंजीकरण के लिए कुछ हिदायतें रखी हैं तथा जिन्हें "दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस" के फरवरी, 1984 के अंक में प्रकाशित किया गया। सदस्यों द्वारा उठाई जाने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए कौंसिल ने हिदायतों को उदार बनाया है। तथा संशोधित गाइडलाइनों को "चार्टर्ड एकाउन्टेंट" के सितम्बर, 1986 के अंक में प्रकाशित करवाया। ट्रेड/फर्म के नामों की स्वीकृति के लिए पारित प्रमुख गाइड लाइन तथा प्रक्रिया को पुनः "दि चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स" के जून, 1987 अंक में प्रकाशित किया गया जिससे सभी सदस्य लाभ उठा सकें।

5.3 दिवंगत सदस्य: कौंसिल को इंस्टीट्यूट के एक भूतपूर्व अध्यक्ष श्री सी. सी. चोकसी के 17-10-1986 को आकस्मिक निधन पर गहरा आघात लगा। इसी प्रकार 27-9-1986 को कौंसिल के भूतपूर्व सदस्य श्री आर. के. सेठ के निधन पर तथा 27-6-87 को कौंसिल के

नामांकित सदस्य श्री एम. पी. पुरी के निधन पर कौंसिल ने गहरा दुख प्रकट किया ।

इस वर्ष जिन सदस्यों का निधन हुआ और जिनका उल्लेख परिशिष्ट IX में किया गया है, उनके निधन पर भी कौंसिल ने गहरा दुख प्रकट किया ।

5.4 अनुशासनात्मक कार्यवाही: अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत "शिकायतों" तथा "सूचनाओं" के मामलों की संख्या नीचे दी गई है :—

1. 17-9-1986 को अनुशासनात्मक कमेटी के समक्ष सुनवाई के लिए लम्बित केसों की संख्या (कोर्ट आर्डर्स आदि के कारण लम्बित 10 केसों के सहित) = 16
2. कौंसिल के समक्ष उसके दृष्टि मत के लिए रखे गये केसों की संख्या (1-4-1986 से जुलाई, 1987 में कौंसिल की मीटिंग तक) = 99
3. उपरोक्त 2 में से अनुशासनात्मक कमेटी द्वारा जांच के लिए रखे गये केसों की संख्या (17-9-1986 से जुलाई, 1987 में हुई कौंसिल की मीटिंग होने तक) = 20
4. 17-9-1986 से रिपोर्ट की तिथि तक अनुशासनात्मक कमेटी द्वारा सुने गये केसों की संख्या 1=11
5. अनुशासनात्मक कमेटी द्वारा सुनवाई के लिए लम्बित शेष केसों की संख्या (कोर्ट आर्डर आदि के कारण लम्बित 8 केसों सहित) = 24
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय : अनुशासनात्मक कमेटी की रिपोर्ट पर विचार सुने जाने का अवसर दिया जाये ।

जैसा कि पहले बताया गया है, इन्स्टीट्यूट ने बम्बई हाई कोर्ट के इस निर्णय के विरुद्ध अपील की है कि अनुशासनात्मक कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने से पूर्व कौंसिल को प्रतिवादी को सुने जाने का यह अवसर दिया जाना चाहिए कि क्यों न कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाये ।

यह अपील सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी, 1986 में सुनी गई और इस पर 21 अक्टूबर, 1986 को निर्णय दिया गया । सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार प्रतिवादी को सुनने का अधिकार कौंसिल को है । अनुशासनात्मक कमेटी द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसे देखना चाहिए कि क्या वह दोषी है अथवा नहीं । इस निर्णय पर कौंसिल ने अपनी दिसम्बर, 1986 तथा फरवरी, 1987 की बैठकों में विचार किया । कौंसिल ने प्रतिवादी और शिकायतकर्ता दोनों को अनुशासनात्मक कमेटी की रिपोर्ट पर अपना निर्णय देने से पूर्व सुनने का अवसर दिया जाना चाहिए । दोनों पक्षों को अपने-अपने प्रतिनिधियों की लिखित में, यदि वे ऐसा चाहें, भेजने को कहा गया । इसके अलावा यदि वे चाहें तो कौंसिल के समक्ष स्वयं/या इन्स्टीट्यूट के सदस्य जो विधिवत अधिकृत किया गया हो के मार्फत उपस्थित हो सकते हैं । कौंसिल की विशेष बैठक अप्रैल, 1987 जून, 1987 और अगस्त, 1987 में अनुशासनात्मक कमेटी की रिपोर्टों पर विचार हेतु बुलाई गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग होने के कारण अभी तक विचाराधीन हैं । उपरोक्त कौंसिल की मीटिंगों में 128 रिपोर्टों में से 98 को संशोधित प्रक्रिया द्वारा निपटा दिया गया है ।

6. आर्टिकल्ड तथा आडिट क्लर्कस

6.1 रजिस्ट्रेशन : 31 मार्च, 1987 को समाप्त वर्ष के अन्तर्गत आर्टिकल्ड तथा आडिट क्लर्कों की संख्या निम्नलिखित है जिनकी पिछले वर्ष की संख्या से तुलना की गई है:

	1985-86	1986-87
आर्टिकल्ड एंड आडिट क्लर्कस	10666	10642

6.2 आडिट क्लर्कों का पारिश्रमिक : रेगुलेशन 48 ए तथा 48 ए (3) में पहले यह व्यवस्था थी कि आडिट क्लर्कों को देय न्यूनतम पारिश्रमिक रु. 150/- प्रतिमाह होगा रेगुलेशन ने अब इस राशि में संशोधन कर इसे 20 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रु. 500/- प्रतिमाह और अन्य स्थानों पर रु. 350 प्रतिमाह कर दिया है ।

6.3 आर्टिकल्ड/आडिट क्लर्कों को रोजगार सहायता : जिन विद्यार्थियों ने अपनी आर्टिकल्ड/आडिट सेवाएं पूरी कर ली हैं तथा जिन्होंने इन्स्टीट्यूट की इन्टरमीडिएट परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली है । उनके लिए रोजगार सहायता सेवा लागू है । इस निमित्त बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, कानपुर तथा नई दिल्ली स्थित प्रत्येक रीजनल केन्द्रों पर व सेन्ट्रल हैड आफिस द्वारा एक रोजगार रजिस्टर स्थापित किया गया है । इन उपरोक्त सुविधाओं का लाभ उठाने के इच्छुक विद्यार्थी जो अपेक्षाओं को पूरा करते हों, व्यक्तिगत तौर पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा इन्स्टीट्यूट के सम्बद्ध सहायक सचिव को इन्स्टीट्यूट में जमा किये जाने वाले विवरणों के लिए लिख सकते हैं ।

6.4 बोर्ड आफ स्टडीज : (ए) 31 मार्च, 1987, 31 मार्च, 1986 को समाप्त वर्ष में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है :

कोर्स	1986-87	1985-86
इन्टरमीडिएट	10642	10813
फाइनल	6354	6202

31 मार्च, 1987 को विद्यार्थियों की कुल संख्या 46140 थी 31 मार्च 1986 को यह संख्या 44284 थी । ऐसे नामांकनों का विवरण परिशिष्ट X में दिया गया है ।

(बी) रीजनल तथा अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों पर हमेशा की भांति कोर्स के विद्यार्थियों के लिए इन्टेसिफाइड/रिविजनरी कक्षाएं लगाई गई ।

(सी) 31 मार्च, 1987 को समाप्त वर्ष के अन्तर्गत निम्नलिखित छात्रवृत्तियां प्रदान की गई:

(i) मैरिट स्कालरशिप : रु. 75 प्रतिमाह की दर से 10 विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 18 माह की छात्रवृत्ति ।

रु. 75 प्रतिमाह की दर से 4 विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 12 माह की छात्रवृत्ति ।

(ii) रु. 75 प्रतिमाह की दर से 4 विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 12 माह को मैरिट-कम-नीड बेस्ड स्कालरशिप ।

(iii) रु. 50 प्रतिमाह की दर से 100 विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 30 माह की नीड बेस्ड स्कालरशिप

(iv) आर्थिक कठिनाई अर्थात 76 विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस को दूसरी किस्त में छूट देना ।

(v) 2 विद्यार्थियों का [illegible] के लिए [illegible] मैमोरियल स्कालरशिप रु. 100 प्रतिमाह की दर से प्रदान करना ।

(डी) बोर्ड ने देश भर में विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए 33 स्थानों पर रजिस्टेड आनतर वाचनालय उपलब्ध कराये हैं ।

(ई) बोर्ड ने परीक्षा शुरु होने से 7 सप्ताह पूर्व सबसे रोजगार सेल्स काउन्टर्स पर रिवीजनल टेस्ट पेपर उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था की । जिन्हें सभी ग्राह्य विद्यार्थियों के पास भी भेजा गया ।

(एफ) यद्यपि बोर्ड ने एन्ट्रेंस परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए किसी पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था नहीं की है, फिर भी ऐसे विद्यार्थियों के लिए बोर्ड अध्ययन सामग्री और सहायता लागू रखेगा । इस सामग्री के पूरे सेट का मूल्य रु. 100 है ।

(जी) बोर्ड आफ स्टडीज ने आयकर तथा कंपनी मामलों और करेंट रीडिंग्स, जो लेखों, समाधानों/घोषणाओं और विद्यार्थियों के लिए अन्य लेख बद्ध सामग्री के अतिरिक्त है, के बारे में जानकारी देकर अपने जर्नल इसकी व्यवस्था जारी रखी ।

(एच) विद्यार्थियों के लिए पूरी अध्ययन सामग्री को समय पर तैयार रखने के विशेष प्रबंध सफलता पूर्वक किये गये ।

(आई) बोर्ड आफ स्टडीज के अध्यक्ष तथा डायरेक्टर आफ स्टडीज ने विद्यार्थियों से निम्नलिखित स्थानों पर मुलाकातें कीं:--

1. कलकत्ता, 2. बम्बई, 3. मद्रास, 4. कानपुर, 5. पूना, 6. इलाहाबाद, 7. पटना, 8. नागपुर।

(जे) अध्ययन सामग्री के स्थानीय वितरण की सुविधा दो अन्य स्थानों अर्थात एर्नाकुलम और कोयम्बटूर में भी बढ़ा दी गई है । इससे पूर्व रीजनल कार्यालयों के अतिरिक्त बंगलौर ब्रांच आफिस और हैदराबाद ब्रांच आफिस विद्यार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री का वितरण करते थे।

(के) वर्ष भर टेस्ट पेपर्स के उत्तरों के मूल्यांकन के लिए एवैल्यूएशन स्कीम जारी रखी गई ।

7. परीक्षा

7.1 इन्ट्रेस, इन्टरमीडिएट तथा फाइनल परीक्षाएं :—दि चार्टर्ड एकाउन्टेंटस इन्ट्रेस, इन्टरमीडिएट तथा फाइनल परीक्षाएं मई और नवम्बर, 1986 में देश भर के विभिन्न केन्द्रों में ली गई । कथित परीक्षाओं में बैठने वाले तथा उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या परिशिष्ट 1 में दी गई है ।

7.2 नये परीक्षा केन्द्र :—(i) नेपाली विद्यार्थी जो भारत में चार्टर्ड एकाउन्टेंटस कोर्स करते हैं तथा जो इस समय नेपाल में कार्यरत है, की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मई तथा नवम्बर, 1987 में काठमांडू में इन्टरमीडिएट और फाइनल परीक्षा के लिए केन्द्र खोलने का विचार किया है । यह निर्णय बाद में पुनरालोकित किया जाएगा।

(ii) मैसूर, मेरठ और अम्बाला में प्रयोग के तौर पर मई और नवम्बर, 1987 में होने वाली परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्र खोलने का विचार किया गया है । नवम्बर, 1987 में होने वाली परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्र खोलने का विचार किया गया है । नवम्बर, 1987 की परीक्षा के उपरांत इन केन्द्रों को बनाये रखना विद्यार्थियों की निर्धारित संख्या (250) पर निर्भर होगा ।

9.3 पुरस्कार तथा योग्यता के प्रमाणपत्र :—मई तथा नवम्बर, 1986 में ली गई परीक्षाओं में पुरस्कार तथा योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त विद्यार्थियों के नाम परिशिष्ट 11 में दिये गये हैं ।

मई 1987 परीक्षा से निम्नलिखित तीन नये पुरस्कार जारी किये गये :—

(i) ए.जे. शाह—अमिता मेमोरियल पुरस्कार फाइनल परीक्षा के डायरेक्ट टैक्सलाज के सर्वोत्तम प्रश्न पत्र पर,

(ii) के.सी. खन्ना पुरस्कार—इन्टरमीडिएट परीक्षा के आडिटिंग पर सर्वोत्तम प्रश्न पत्र पर ।

7.4 परीक्षार्थी के विरुद्ध कार्यवाही :—परीक्षा में गलत तरीके इस्तेमाल करते हुए आठ विद्यार्थियों को विभिन्न केन्द्रों पर परीक्षा में बैठने से रोका गया ।

7.5 इन्टरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग की छूट :—मई, 1986 परीक्षा से इन्टरमीडिएट परीक्षा के विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में देने की व्यवस्था की गई । फाइनल परीक्षा में हिन्दी में प्रश्न पत्रों के उत्तर में देने की छूट मई, 1987 परीक्षा में दी गई ।

8. रीजनल कौंसिलस तथा रीजनल कौंसिल की शाखाएं

8.1 नयी शाखाएं :—पुरानी रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित नई शाखायें स्थापित की गई :—

वैस्टर्न रीजन : जलगांव और सांगली
सर्दन रीजन : वेलौर और त्रिवलों
सेन्ट्रल रीजन : रांची और ग्वालियर
नार्दर्न रीजन : यमुना नगर और जम्मू,

उपरोक्त शाखाओं की स्थापना से रीजनल कौंसिल की शाखाओं की कुल संख्या 65 तक पहुंच गई है ।

8.2 इससे पूर्व रेगूलेशन 136 में यह व्यवस्था है कि कौंसिल रीजनल कौंसिल की शाखा किसी राज्य या संघीय क्षेत्र जहां न तो रीजनल कौंसिल के हेड क्वार्टर्स ही हैं न ही कोई शाखा स्थापित है, में स्थापित कर सकता है, बशर्ते कि वहां राज्य या संघीय क्षेत्र, जैसा भी हो, में 100 से कम सदस्य न हों । कौंसिल ने केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति पर रेगुलेशन में संशोधन कर सदस्यों की संख्या 100 से घटाकर 50 कर ली है । इस संशोधन के परिणामस्वरूप नार्दर्न रीजनल कौंसिल की एक शाखा जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू और कश्मीर शहर में स्थापित की गई ।

8.3 भारत से बाहर इन्स्टीट्यूट के चेप्टर :—पिछली रिपोर्ट के बाद से इन्स्टीट्यूट की एक शाखा देश से बाहर मस्कट में खोली गई । इसी के साथ चेप्टर्स की संख्या अब छः तक बढ़ गई है ।

8.4 रीजनल कौंसिल की शाखाओं के लिए भवन :—कौंसिल ने अपनी शाखाओं के लिए भवन निर्माण हेतु उदारतापूर्वक अनुदान दिया । इस निर्णय की सूचना समस्त रीजनल कौंसिल और उनकी शाखाओं को दी गई । वर्ष के अन्दर अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित शाखाओं का उद्घाटन किया गया :—

1. एर्नाकुलम ब्रांच आफ एस. आई. आर. सी. 22-8-86 को
2. पूना ब्रांच आफ डब्ल्यू आई. आर. सी. 13-12-86 को
3. ट्रेलेच्ची ब्रांच आफ एस.आई.आर.सी. 17-6-87 को
4. इलाहबाद ब्रांच आफ एस. आई. आर. सी. 22-6-87 को
5. कोयम्बटूर ब्रांच आफ एस.आई.आर. सी. 8-8-87 को
6. कैलीकट ब्रांच आफ एस. आई. आर. सी. 12-9-87 को

इसके अतिरिक्त एस आई. आर. सी. शाखा का कोट्टायम भवन तैयार होने को है और उसका उद्घाटन अध्यक्ष द्वारा शीघ्र ही किया जाएगा । डब्ल्यू आई. आर. सी. की सूरत शाखा ने भी एक फ्लेट को ले लिया है जिसका उद्घाटन बाद में किया जाएगा ।

निम्नलिखित शाखाओं के लिए परिसर निर्माणाधीन है और इनकी बुनियादें निम्नलिखित तारीखों को रखी गई :—

1. 22-8-86 को एस आई. आर. सी. की त्रिवेन्द्रम शाखा
2. 14-1-87 को सी. आई. आर. सी. की लखनऊ शाखा
3. 17-6-87 को एस. आई. आर. सी. की कोयेम्बटूर शाखा
4. 18-6-87 को एस. आई. आर. सी. की त्रिचूर शाखा
5. 22-8-87 को एस. आई. आर. सी. की मदुरई शाखा

अन्य स्थानों यथा आगरा, उदयपुर, फरीदाबाद, लुधियाना, हैदराबाद जयपुर, नागपुर, कोल्हापुर, औरंगाबाद और सोलापुर में भी स्थान अधिग्रहण करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

8.5 रीजनल कौंसिल की सर्वोत्तम शाखा के लिए रोटेटिंग शील्ड :—रीजनल कौंसिल की शाखाओं को स्थापित करने के प्रयास में तथा इन शाखाओं में अधिक से अधिक सदस्यों को व्यवसाय में लगाने के लिए इन्स्टीट्यूट ने रीजनल कौंसिल की शाखाओं के न्यूनतम कार्य प्रदर्शन के लिए कुछ सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं । इस योजना के तहत शाखाओं को अपनी गतिविधियों/क्रियाकलापों की तिमाही रिपोर्ट पेश करने को कहा गया । शाखाओं की गतिविधियों का मूल्यांकन किया गया और व्यावसायिक तथा क्रियाकलापों के आधार पर वर्ष के अन्तर्गत सर्वोत्तम शाखा को रोटेशन शील्ड प्रदान की गई वर्ष 1985-86 के लिए एस. आई. आर. सी. की एर्नाकुलम शाखा को रोटेशन शील्ड प्रदान की गई । यह शील्ड सितंबर, 1986 को सम्पन्न हुए वार्षिकोत्सव में वित्त राज्य मंत्री श्री जनार्दन पुजारी ने प्रदान की । वर्ष 1986-87 के लिए रोटेशन शील्ड पूना शाखा को दी जायेगी जिसे सर्वोत्तम शाखा घोषित किया गया। यह पुरस्कार सितम्बर, 1987 को वार्षिक उत्सव में प्रदान किया जायेगा।

8.6 सर्वोत्तम रीजनल कौंसिल के लिए रोटेशन शील्ड वर्ष 1986-87 से रीजनल कौंसिल को उसके अच्छे कार्यों के लिए एक रोटेशन शील्ड दी जाएगी। वर्ष 1986-87 के लिए वेस्टर्न रीजनल कौंसिल और सदर्न रीजनल कौंसिल को संयुक्त रूप से सर्वोत्तम रीजनल कौंसिल चुना गया। रोटेशन शील्ड इन रीजनल कौंसिलों को सितम्बर, 1987 के वार्षिक उत्सव में प्रदान की जाएगी।

9. वित्त

31 मार्च, 1987 को बैलेंस शीट तथा इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और व्यय का लेखा जोखा कौंसिल द्वारा पारित किया जा चुका है। लाभ और व्यय के एकाउन्टस से ज्ञात होता है कि रु. 41.71 लाख की बकाया राशि शेष है जो पिछले वर्ष 9.50 लाख रुपए थी।

10. प्रशंसापत्र

(ए) कौंसिल अपने समस्त सदस्यों की आभारी है जिन्होंने इन्स्टीट्यूट की कमेटी के सह-सदस्यों के रूप में कार्य किया तथा उन नान-मेम्बर्स की भी आभारी है जिन्होंने वर्ष के अन्तर्गत कौंसिल की शैक्षिक तथा तकनीकी गतिविधियों और इसकी परीक्षाओं में सहायता की।

(बी) कौंसिल सरकार और इसके नामांकित व्यक्तियों के प्रति भी उनके निरन्तर योगदान के लिए अपना आभार व्यक्त करती है।

(सी) इन्स्टीट्यूट के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा वर्ष भर दिए गए उनके योगदान के लिए भी कौंसिल अपना आभार प्रकट करती है।

आर. एल. चोपड़ा	एस. के. दास. गुप्ता	आर. बालाकृष्णन
सेक्रेटरी	वाइस-प्रेसीडेंट	प्रेसीडेंट

नई दिल्ली

15 सितम्बर, 1987

वार्षिक रिपोर्ट के परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

(संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 1.1)

काउंसिल के सदस्य

अग्रवाल के. एम.	नई दिल्ली
बालाकृष्णन आर.	मद्रास
बैनर्जी, भास्कर	कलकत्ता
*बंसल, आर. एन. (1-8-86 से)	नई दिल्ली
भंडारी, एस. एस.	जयपुर
चक्रवर्ती, ए. के.	कलकत्ता
छाजेड़, एस. पी.	बंबई
चिताले, एम. एम.	बंबई
दलाल, ए. एच	बंबई
दास गुप्ता, एस. के.	कलकत्ता
*डूगर एस. एम. (डा.) (31-7-1986 तक)	नई दिल्ली
*घोष, ए.	बंबई
जैन, आई. सी.	बंबई
*जैन एस. बी. (31-10-1986 तक)	नई दिल्ली
काले, वाई. एम.	बंबई
*मेहता कान्ति	जमशेदपुर
*मूर्ती, के. एस. (30-4-1986 तक)	नई दिल्ली
नायर, पी. ए.	बंबई
नंदगोपाल, एस.	मद्रास
नारायनस्वामी, जी.	मद्रास
पटेल, मनुभाई जी.	अहमदाबाद
पोद्दार, एन. के.	कलकत्ता
*रमन, बी. एन. (दिनांक 25-2-1987 से)	हैदराबाद
*रंगानाथम, के. (30-6-1987 तक)	नई दिल्ली
राठी, आनंद	बंबई
राव, बी. पी.	बंगलौर
शर्मा, लक्ष्मीनिवास	हैदराबाद
सोमानी, के. जी.	नई दिल्ली
सुंदरराजन, एन. सी.	मद्रास
*टिक्कू, सी. के.	नई दिल्ली
वैश्य, आर. सी. (डा.)	कानपुर
वासुदेवा, एस. सी.	नई दिल्ली
विश्वनाथ, टी. एस.	नई दिल्ली

केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित

2. समितियों के सदस्य--1986-87

स्थायी समिति

कार्यकारी समिति

श्री आर. बालाकृष्णन्, प्रेसीडेंट	मद्रास
श्री एस. के. दासगुप्ता, वाईस-प्रेसीडेंट	कलकत्ता
श्री पी. ए. नायर	बंबई
श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा	हैदराबाद
श्री टी. एस. विश्वनाथ	नई दिल्ली
श्री आर. एल. चोपड़ा (समिति के सचिव)	

परीक्षा समिति

श्री आर. बालाकृष्णन्, प्रेसीडेंट	मद्रास
श्री एस. के. दासगुप्ता, वाईसप्रेसीडेंट	कलकत्ता
श्री एस. एस. भण्डारी	जयपुर
श्री बी. पी. राव	बंगलौर
श्री एस. सी. वासुदेवा	नई दिल्ली
श्री के. कल्याणरामन् (समिति के सचिव)	

अनुशासनिक समिति

श्री आर. बालाकृष्णन्, प्रेसीडेंट	मद्रास
श्री एस. के. दासगुप्ता, वाईस-प्रेसीडेंट	कलकत्ता
श्री आर. एन. बंसल	नई दिल्ली
श्री एन. के. पोद्दार	कलकत्ता
श्री एन. सी. सुंदरराजन	मद्रास
श्री आर. एल. चोपड़ा (समिति के सचिव)	
श्री जी. डी. खुराना (समिति के अतिरिक्त सचिव)	

बी : अस्थायी समितियां

अनुसंधान समिति

श्री वाई. एम. काले, अध्यक्ष		बंबई
श्री एन. सी. सुंदरराजन्, उपाध्यक्ष		मद्रास
श्री आर. बालाकृष्णन् प्रेसीडेंट (पदेन)		मद्रास
श्री ए. घोष		बंबई
श्री एन. के. पोद्दार		कलकत्ता
श्री आनंद राठी		बंबई
डा. आर. सी. वैश्य		कानपुर
श्री टी. एस. विश्वनाथ		नई दिल्ली
श्री डी. वासुदेवा	को-आपटड	मद्रास
श्री वाई. एच. मेलागम	को-आपटड	बंबई
श्री जे. ई. दस्तूर	को-आपटड	बंबई

श्री अविनाश चन्द्र (समिति के सचिव)		
लेखा-परीक्षा कार्य प्रणाली समिति		
डा. आर. सी. वैश, चेयरमैन		कानपुर
श्री भास्कर बैनर्जी, वाईस-चेयरमैन		कलकत्ता
श्री आर. बालाकृष्णन्, पदेन वाईस प्रेसीडेंट		मद्रास
श्री आई. सी. जैन		बंबई
श्री वाई. एम. काले		बंबई
श्री के. रंगानाथम्		नई दिल्ली
श्री के. जी. सोमानी		नई दिल्ली
श्री एन. सी. सुंदरराजन		मद्रास
श्री एम. एम. खन्ना	को-आपटड	नई दिल्ली
श्री के. गनेशन्	को-आपटड	मद्रास
डा. धमेन्द्र भण्डारी	को-आपटड	जयपुर
डा. कमल गुप्ता (समिति के सचिव)		
सतत व्यवसायी शिक्षा समिति		
श्री ए. के. चक्रवर्ती, चेयरमैन		कलकत्ता
श्री आई. सी. जैन, वाईस चेयरमैन		
श्री आर. बालाकृष्णन्, पदेन प्रेसीडेंट		मद्रास
श्री एस. के. दासगुप्ता, पदेन वाईस प्रेसीडेंट		कलकत्ता
श्री के. एम. अग्रवाल		नई दिल्ली
श्री एस. पी. छजेद		बंबई
श्री बी. एन. रमन		हैदराबाद
श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा	को-आपटड	हैदराबाद
श्री एच. एम. धमानिया	को-आपटड	बंबई
श्री सुकुमार भट्टाचार्य	को-आपटड	कलकत्ता
डा. एन. एल. धमीजा (समिति के सचिव)		
लेखा मानक बोर्ड		
श्री भास्कर बैनर्जी, चेयरमैन		कलकत्ता
श्री ए. एच. दलाल, वाईस-चेयरमैन		बंबई
श्री आर. बालाकृष्णन्, पदेन प्रेसीडेंट		मद्रास
श्री ए. के. चक्रवर्ती		कलकत्ता
श्री एम. एम. चिताले		बंबई
श्री वाई. एम. काले		बंबई
श्री के. रंगानाथम		नई दिल्ली
श्री सी. के. टिक्कू		नई दिल्ली
श्री एस. सी. वासुदेवा		नई दिल्ली
श्री सी. के. हजारी	को-आपटड	नई दिल्ली
श्री एम. ए. गोपोरिया	को-आपटड	बंबई
डा. कमल गुप्ता, (समिति के सचिव)		
व्यवसायिक विकास समिति		
श्री जी. नारायनस्वामी, चेयरमैन		मद्रास
श्री आई. सी. जैन, वाईस-चेयरमैन		बंबई
श्री आर. बालाकृष्णन्, पदेन प्रेसीडेंट		मद्रास
श्री ए. घोष		बंबई
श्री एम. जी. पटेल		अहमदाबाद
श्री के. रंगानाथम		नई दिल्ली
श्री एस. के. बंसल	को-आपटड	नई दिल्ली
श्री जे. कृष्णनमूर्ती	को-आपटड	
डा. एन. एल. धमीजा (समिति के सचिव)		
पाठ्य पार्षद		
श्री एम. एम. चिताले, चेयरमैन		बंबई
श्री के. एम. अग्रवाल, वाईस चेयरमैन		नई दिल्ली
श्री आर. बालाकृष्णन्, पदेन प्रेसीडेंट		मद्रास
श्री ए. के. चक्रवर्ती		कलकत्ता
श्री ए. एच. दलाल		बंबई
श्री बी. एन. रमन		हैदराबाद
श्री कांती मेहता		नई दिल्ली

श्री बी. पी. राव	को-आपटड	बंगलौर
श्री डी. एल. सुरेश बाबू	को-आपटड	बंगलौर
श्री अनिल एस. दानी	को-आपटड	नागपुर
श्री ए. के. मजूमदार (समिति के सचिव)		
कराधान समिति		
श्री एस. नंदगोपाल, चेयरमैन		मद्रास
श्री एम. जी. पटेल, वाईस-चेयरमैन		अहमदाबाद
श्री आर. बालाकृष्णन्, पदेन, प्रेसीडेंट		मद्रास
श्री आई. सी. जैन		बंबई
श्री जी. नारायनस्वामी		मद्रास
श्री एन. के. पोद्दार		कलकत्ता
श्री सी. के. टिक्कू		नई दिल्ली
श्री एस. सी. वासुदेवा	को-आपटड	नई दिल्ली
श्री पी. एन. शाह	को-आपटड	बंबई
श्री के. पी. राव	को-आपटड	बंगलौर
श्री सी. आर. टी. शर्मा (समिति के सचिव)		
कंपनी कानून समिति		
श्री के. जी. सोमानी, चेयरमैन		नई दिल्ली
श्री एस. पी. छाजेद, वाईस चेयरमैन		बंबई
श्री आर. बालाकृष्णन्, पदेन प्रेसीडेंट		मद्रास
श्री एस. के. दासगुप्ता, पदेन वाईस-प्रेसीडेंट		कलकत्ता
श्री आर. एस. बंसल		नई दिल्ली
श्री ए. एच. दलाल		बंबई
श्री एस. नंदगोपाल		मद्रास
डा. आर. सी. वैश		कानपुर
डा. स. एम. दुगर	को-आपटड	नई दिल्ली
श्री एन. के. बकना	को-आपटड	बंबई
श्री एस. के. चक्रवर्ती (समिति के सचिव)		
समिति, अंतरराष्ट्रीय मामले		
श्री आर. बालाकृष्णन्, चेयरमैन		मद्रास
श्री एस. के. दासगुप्ता, वाईस-चेयरमैन		कलकत्ता
श्री भास्कर बैनर्जी		कलकत्ता
श्री वाई. एम. काले		बंबई
श्री पी. ए. नायर		बंबई
श्री एस. नंदगोपाल		मद्रास
डा. कमल गुप्ता (समिति के सचिव)		
विशेषज्ञ सलाहकार समिति		
श्री एस. पी. छाजेद, चेयरमैन		बंबई
श्री टी. एस. विश्वनाथ		नई दिल्ली
श्री एस. के. दासगुप्ता (पदेन वाईस प्रेसीडेंट)		कलकत्ता
श्री एस. नंदगोपाल		मद्रास
श्री आनंद राठी		बंबई
श्री के. जी. सोमानी		नई दिल्ली
श्री पी. डी. खोना	को-आपटड	बंबई
श्री ए. राय चौधरी	को-आपटड	कलकत्ता
श्री अविनाश चन्द्र (समिति के सचिव)		
विश्वविद्यालय संपर्क समिति		
श्री के. एम. अग्रवाल, चेयरमैन		नई दिल्ली
श्री बी. पी. राव, वाईस-चेयरमैन		बंगलौर
श्री एस. के. दासगुप्ता, पदेन प्रेसीडेंट		कलकत्ता
श्री एस. एस. भण्डारी		जयपुर
श्री एम. एम. चिताले		बंबई
श्री बी. एन. रमन		हैदराबाद
आर. रंगा राव	का-आपटड	मद्रास
रतन गुप्ता	का-आपटड	नई दिल्ली
एन. के. अग्रवाल (समिति के सचिव)		
[..]तीय मानक समिति		
आर. बालाकृष्णन्, चेयरमैन		मद्रास
एस. के. दासगुप्ता, वाईस-चेयरमैन		कलकत्ता

श्री आर. एन. बंसल	नई दिल्ली
श्री ए. के. चक्रवर्ती	कलकत्ता
श्री जी. नारायनस्वामी	मद्रास
श्री एम. जी. पटेल	अहमदाबाद
डा. आर. सी. वैश	कानपुर
श्री वाई. सोफी } को-आपटड	नई दिल्ली
श्री एस. सी. वफनी } को-आपटड	बंबई
श्री जी. बनर्जी (समति के सचिव)	

जनसंपर्क समिति

श्री आर. बालाकृष्णन्, चैयरमैन	मद्रास
श्री एस. के. दासगुप्ता, वाईस-चैयरमैन	कलकत्ता
श्री के. एम. अग्रवाल	नई दिल्ली
श्री एस. एस. भण्डारी	जयपुर
श्री कांती मेहता	नई दिल्ली
श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा	हैदराबाद
श्री के. अनंतचारी } को-आपटड	मद्रास
श्री एन. के. गुप्ता } को-आपटड	कानपुर
श्री आर. एल. चोपड़ा (समिति के सचिव)	

लेखा परीक्षकों को अन्याय पूर्ण ढंग से हटाने के विषय में समिति

श्री आर. बालाकृष्णन्, चैयरमैन	मद्रास
श्री एस. के. दासगुप्ता, वाईस-चैयरमैन	कलकत्ता
श्री आर. एन. बंसल	नई दिल्ली
श्री ए. घोष	बंबई
श्री के. रंगानाथन	नई दिल्ली
श्री जी. डी. खुराना (समिति के सचिव)	

संपादक मंडल

श्री आर. बालाकृष्णन्, मुख्य संपादक	मद्रास
श्री एस. के. दासगुप्ता, संयुक्त संपादक	कलकत्ता
श्री के. एम. अग्रवाल	नई दिल्ली
श्री भास्कर बैनर्जी	कलकत्ता
श्री एस. एस. भण्डारी	जयपुर
श्री बी. पी. राव	बंगलौर
श्री आनंद राठी	बंबई
श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा	हैदराबाद
श्री टी. एस. विश्वानाथ	नई दिल्ली
श्री एच. सी. भगत } को-आपटड	बंबई
श्री के. एम. आजाद } को-आपटड	नई दिल्ली
श्री आर. एल. चोपड़ा (समिति के सचिव)	

शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पुनरावलोकन के लिए समिति

श्री पी. ए. नायर, चैयरमैन	बंबई
श्री आर. बालाकृष्णन्, सह-चैयरमैन	मद्रास
श्री एस. के. दासगुप्ता, वाईस चैयरमैन	कलकत्ता
श्री ए. के. चक्रवर्ती	कलकत्ता
श्री ए. घोष	बंबई
श्री जी. नारायनास्वामी	मद्रास
श्री एम. जी. पटेल	अमहदाबाद
डा. आर. सी. वैश	कानपुर
श्री बंसी एस. मेहता } को-आपटड	बंबई
श्री पी. के. मलीक } को-आपटड	कलकत्ता
श्री एस. के. अग्रवाल } को-आपटड	
श्री ए. के. मजूमदार (समिति के सचिव)	

उद्योगों में सदस्यता के लिए समिति

श्री आनंद राठी, चैयरमैन	बंबई
श्री भास्कर बैनर्जी, वाईस-चैयरमैन	कलकत्ता
श्री आर. बालाकृष्णन्, पदेन प्रेसीडेंट	मद्रास
श्री आर. एन. बंसल	नई दिल्ली
श्री डी. एन. रमन	हैदराबाद
श्री एन. सी. सुंदराराजन	मद्रास
डा. आर. सी. वैश	कानपुर
श्री आर. जे. खमबाटा	बंबई
श्री आर. चंद्रशेखर } को-आपटड	मद्रास
श्री आर. सी. अग्रवाल } को-आपटड	बंबई
डा. एन. एल. धमेजा (समिति के सचिव)	

सामान्य उद्देश्य समिति

श्री आर. बालाकृष्णन्, चैयरमैन	मद्रास
श्री एस. के. दासगुप्ता, वाईस-चैयरमैन	कलकत्ता
श्री आई. सी. जैन	बंबई
श्री पी. ए. नायर	बंबई
श्री आनंद राठी	बंबई
श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा	नई दिल्ली
श्री टी. एस. विश्वानाथ	नई दिल्ली
श्री आर. एल. चोपड़ा (समिति के सचिव)	

आई. सी. ए. आई.—आई. सी. डब्लू. ए. आई. समन्वय समिति

श्री आर. बालाकृष्णन्, लीडर	मद्रास
श्री एस. के दासगुप्ता, डिप्टी-लीडर	कलकत्ता
श्री एस. पी. छाजेद	बंबई
श्री एम. जी. पटेल	अहमदाबाद
श्री के. जी. सोमानी	नई दिल्ली
श्री एस. कुमार को-आपटड	बंबई
श्री आर. एल. चोपड़ा (समिति के सचिव)	

सम्मेलन समिति

श्री पी. ए. नायर, चैयरमैन	बंबई
श्री आर. बालाकृष्णन्, वाईस-चैयरमैन	मद्रास
श्री एस. के. दासगुप्ता	कलकत्ता
श्री भास्कर बैनर्जी	कलकत्ता
श्री ए. के. चक्रवर्ती	कलकत्ता
श्री एन. के. पोदार	कलकत्ता
श्री एस. एस. भण्डारी	जयपुर
श्री एस. सी. वासुदेवा	नई दिल्ली
श्री ए. जे. गंगोपाध्याय } को-आपटड	कलकत्ता
श्री के. पी. खण्डेलवाल } को-आपटड	

परिशिष्ट—2

संदर्भ : (रिपोर्ट का पैरा 2.5)

मैलबोर्न "आस्ट्रेलिया में आयोजित 11वीं सी. ए. पी. ए. कान्फ्रेंस में उपस्थित डेलीगेटों के नाम

1. श्री आर. बालाकृष्णन्
2. श्री पी. ए. नायर
3. भास्कर, बेनरजी
4. ए. के. चक्रवर्ती
5. श्री एस. पी. छाजेद
6. श्री एन. सी. सुन्दर राजन
7. श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा
8. श्री आर. एल. चोपड़ा
9. श्री एस. के. बंसल
10. श्री . बी. जिन्दल
11. श्री पी. के. गुप्ता
12. श्री महेन्द्र आगार
13. श्री अखिलेश्वर प्रसाद
14. श्री एन. कृष्णास्वामी
15. श्री जी. बी. रा
16. श्री जे. पी. जोशीपुरा
17. श्री पी. जी. प्रधान
18. श्री सत्यदेव सिंघल

19. श्री राकेश कपूर
20. श्री एस. सी. व्यास
21. श्री बी. एन. बासु
22. श्री अलेक पिक्कार्डो
23. श्री अमर राज सिंह
24. श्रीमति गगन मक्कर
25. श्री बरीज रोय
26. श्री प्रशमनी शाह

परिशिष्ट—3

सन्दर्भ : रिपोर्ट का पैरा 3.9 (अ)

सी. पी. ई. कमेटी द्वारा आयोजित सैमिनार एवं कोर्सों का विवरण

क्रमांक कार्यक्रम	स्थान	दिनांक
1. आर्थिक प्रबन्ध एवं प्रबन्ध लेखांकण पर भारत सरकार के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम	नई दिल्ली	6 से 24 अक्तूबर, 1986
2. ए. आई. एम. ए. के सहयोग में आयोजित कम्पनी आर्थिक प्रबन्ध (आवासीय कोर्स)	श्रीनगर	25 से 29 सितम्बर, 1986
3. भारत पम्प एवं कम्प्रैसर्स के वित्तीय एवं गैर-वित्तीय प्रबन्धकों के लिए "इन हाउस" कार्यक्रम	इलाहाबाद	6 से 7 नवम्बर, 1986
4. सार्वजनिक सुविधाओं तथा बिना लाभ कमाने वाले संस्थाओं के लेखांकन पद्धति पर सैमिनार	मद्रास	29-30 नवम्बर, 1986
5. विदेशी मुद्रा विनियम कानून (फेरा) सीमा शुल्क एवं उत्पादन शुल्क के आयामों पर सैमिनार	दिल्ली	6-7 दिसम्बर, 1986
6. भारतीय पैट्रोकैमीकल कारपोरेशन लिमिटेड के लेखा अधिकारियों के लिए "इन हाऊस" कार्यक्रम	बड़ौदा	8-9 जनवरी, 1987
7. राज्य व्यापार निगम के लेखा एवं आर्थिक प्रबन्धकों के लिए "इन हाऊस" कार्यक्रम	नई दिल्ली	20-22 जनवरी, 1987
8. भारतीय प्रशासनिक सेवा के } 9. अधिकारियों के लिए आर्थिक } प्रबन्ध/प्रबन्ध नियंत्रण पर कोर्स }	संस्थान नई दिल्ली	2-7 फरवरी 9-14 फरवरी
10. निगम वित्त एवं विधी पर आई. सी. एस. आई. के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम	जयपुर	4-5 अप्रैल, 1987
11. विदेशी मुद्रा, विनियम कानून (फेरा) सीमा शुल्क एवं उत्पादन शुल्क के आयामों पर कार्यक्रम	बम्बई	4-5 जुलाई, 1987

परिशिष्ट—4

सन्दर्भ : रिपोर्ट का पैरा 3.9 (बी)

स्नातकोत्तर कोर्सो के परिणाम का संक्षिप्त विवरण

दोनों ग्रुप	एम. ए. सी. पार्ट 1 परीक्षा नवम्बर 86	सी. एम. कोर्स पार्ट 1 परीक्षा नवम्बर 86	टी. एम. कोर्स पार्ट 1 परीक्षा नवम्बर 86	एम. ए. सी. पार्ट 1 परीक्षा मई 87
• प्रवेश लेने वाले प्रत्याशियों	16	1	5	13
दोनों ग्रुपों में उत्तीर्ण की संख्या	3	1	1	2
प्रतिशत	18.75%	100%	20%	15.38%
केवल ग्रुप 1 में उत्तीर्ण	8	—	शून्य	1
केवल ग्रुप दो में उत्तीर्ण	4	—	1	4
2. ग्रुप 1				
प्रवेश लेने वाले प्रत्याशियों की संख्या	22	2	4	20
उत्तीर्ण	17	2	2	4
प्रतिशत	77.27%	100%	50%	20%
3. ग्रुप 2				
प्रवेश लेने वाले प्रत्याशियों की संख्या	6	शून्य	2	10
उत्तीर्ण	4	शून्य	1	3
प्रतिशत	66.66%	शून्य	50%	30%

परिशिष्ट—5

[संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 3.9 (आई)]

मद्रास, कलकत्ता एवं बम्बई के संगणक केन्द्रों द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण

क्रमांक संगणक केन्द्र का नाम	आयोजित पाठ्यक्रमों की संख्या	कुल दिनों की संख्या	सदस्य शिक्षार्थियों की सं.	छात्र एवं गैर-सदस्य शिक्षार्थियों की सं.
1. मद्रास	30	1037	272	568
2. कलकत्ता	13	336	111	528
3. बम्बई	22	86	248	60
योग	65	1459	631	1156

परिशिष्ट—6

सनदी लेखपालों का 11वां अखिल भारतीय सम्मेलन दिसम्बर, 1986

पुणे अधिवेशन का शीर्षक, चर्चित पत्रों के शीर्षक, पत्रों के लेखक, टीका कारो, सभापति एवं मुख्य (की नोट) वक्ता के सम्बन्ध में विवरण

प्रथम सत्र—मेंजरमेन्ट एण्ड कम्यूनिकेशन

सभापति : श्री वाई. एच. मलेगम, सनदी लेखपालों के भारतीय संस्थान के भूतपूर्व अध्यक्ष।

मुख्य (की-नोट) वक्ता : श्री वी. दीक्षित, सभापति एवं प्रबन्ध निदेशक भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक।

पत्र का शीर्षक	पत्र का लेखक	टीकाकार
स्टैंडर्ड सैटिंग एवं इम्प्लीमेंटेशन	श्री पी. आर. खान, नई दिल्ली	श्री एन. एन. मिर्जा, कलकत्ता
सिस्टम अप्रोच टू आडिटिंग	श्री एम. आर. राव, बम्बई	श्री अशोक महिन्द्रा, नई दिल्ली
प्रिवेंशन एण्ड क्योर आफ इंडस्ट्रियल सिकनेस	श्री शेखर चटर्जी, कलकत्ता	श्री एन. पी. सरख, बम्बई

दूसरा सत्र—शीर्षक निति व कम्पनी विधान

सभापति : श्री सी. के. डिक्रू, प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष

मुख्य (की—नोट) वक्ता डा. राजा जे. चालिया, वरिष्ठ सदस्य, योजना आयोग

पत्र का शीर्षक	पत्र लेखक	टीकाकार
मोडर्वेट कन्सैप्ट्स एण्ड एपलीकेशनस	श्री वी. एच. मेहता, बम्बई	श्री एन. आर. बाल, कलकत्ता
सिम्पलीफीकेशन्स एण्ड रेशनालाईजेशन आफ डायरेक्ट टैक्स लॉज ए क्रिटिकल एपरेजल	श्री जी. वी. रमन, मद्रास	श्री सुकुमार भट्टाचार्य, कलकत्ता
लायबिलिटी आफ डायरेक्ट रिसेन्ट ट्रेंड्स	श्री डी. के. सेन, कलकत्ता	श्री जी. सीतारमन, मद्रास

तीसरा सत्र—प्रबन्ध में लेखपालों का उभरता हुआ योगदान

सभापति : श्री ए. घोष, उपगवर्नर, रिजर्व बैंक आफ इंडिया

मुख्य (की-नोट) वक्ता श्री आर. पी. गोयनका, अध्यक्ष एफ. आई. सी. आई.

पत्र का शीर्षक	पत्र के लेखक	टीकाकार
ई. डी. पी. एज एन एड टू मैनेजमैंट	श्री सपेन राय, कलकत्ता	श्री एस. बी. पंडित, पूना
प्राफिट मैनेजमेंट इन पब्लिक सेक्टर	श्री बी. के. मदान, नई दिल्ली	श्री एन. स्वामीनाथन, बैंगलोर
कोरपोरेट फाईनैंसिंग एवं न्यूज फार फंड रेजिंग	श्री पी. जे. के. पानिक्कर, बम्बई	श्री भास्कर बैनर्जी, कलकत्ता

चौथा सत्र—व्यवसायिक विकास

सभापति : श्री पी. के. मलिक, सनदी लेखपालों के भारतीय संस्थान के भूतपूर्व अध्यक्ष/एवं राज्यसभा के सदस्य

मुख्य (की-नोट) वक्ता श्री रामेश्वर ठाकुर, सनदी लेखपालों के भारतीय संस्थान के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं राज्य सभा के सदस्य

पत्र का शीर्षक	पत्र के लेखक	टीकाकार
सोसाईटीज एक्सपैक्टेशन फ्राम आडीटर्ज	श्री सी. एल. झावर, जयपुर	श्री एम. एम. खन्ना, नई दिल्ली
एकाउंटिंग-ऐजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग	श्री ती. पी. गुरुराजा, उपाध्याय	श्री एच. सी. भागत, बम्बई
रिव्यू आफ दि कोड आफ कन्डक्ट	श्री डी. चटर्जी, कलकत्ता	श्री बी. जगदीशन, मद्रास

परिशिष्ट—7

(संदर्भ : पैरा रिपोर्ट 4.9)

बाह्य संस्थाओं पर संस्थान के प्रतिनिधि

सदस्य का नाम	प्रतिनिधि का नाम
1. जन साधन अनुसंधान संस्थान की जनरल कौंसिल	श्री आर. बालाकृष्णन
2. लागत लेखांकन अभिलेख नियमों से सम्बन्धित कम्पनी मामलों के विभाग की अनौपचारिक सलाहकार समिति	डा. आर. सी. वैश्य
3. राष्ट्रीय उत्पादकता समिति	श्री एम. के. दास गुप्ता
4. भारतीय मानक संस्थान की फार्म एकाउंट्स सैक्शनल समिति ए. एफ. डी. सी. 49	श्री एस. पी. छाजेड़
5. प्रत्यक्ष करों की केन्द्रीय सलाहकार समिति	श्री आर. बालाकृष्णन
6. प्रबन्ध अध्ययन का अखिल भारतीय बोर्ड	श्री आर. बालाकृष्णन
7. वाणिज्य शिक्षा पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नामिका	श्री ए. सी. चक्रवर्ती
8. लेखपालों की अन्तर्राष्ट्रीय फेडरेशन की कौंसिल (आई. एफ. ए. सी.)	श्री ए. सी. चक्रवर्ती (1-1-87) से
9. लेखपालों की अन्तर्राष्ट्रीय फेडरेशन की अन्तर्राष्ट्रीय लेखा-परीक्षण पद्धतियों पर समिति	श्री आर. बालाकृष्णन (1-4-87) से
10. लेखपालों की अन्तर्राष्ट्रीय फेडरेशन की शिक्षा समिति	श्री पी. ए. नायर (1-1-87) से
11. लेखपालों की दक्षिणी एशयाई फेडरेशन	श्री आर. बालाकृष्णन (1-1-87) से
12. आई. ए. एस. ई. स्टीयरिंग फाईनैनशियल स्टेटमैंट्स आफ बैंक्स"	श्री पी. ए. नायर

परिशिष्ट—8

(संदर्भ रिपोर्ट का पैरा 5.1)

दिनांक 1-4-1987 को सदस्यों की सांख्यकीय

फेलोज	पूर्ण कालीन प्रेक्टिस में	11,762	
	अंश कालीन प्रेक्टिस में	1,640	
	प्रेक्टिस में नहीं	1,232	14,634
एसासियेट्स	पूर्णकालीन प्रेक्टिस में	13,251	
	अंशकालीन प्रेक्टिस में	5,750	
	प्रेक्टिस में नहीं	10,999	30,00
	कुल जोड़		44,634

	फेलोज				एसोसियेट्स
क्षेत्र	पूर्ण कालीन प्रेक्टिस में	अंश कालीन प्रेक्टिस में	प्रेक्टिस में नहीं	कालम 2, 3, 4 का योग	पूर्ण कालीन प्रेक्टिस में
1	2	3	4	5	6
1.	3,715	655	365	4,735	4,494
2.	2,935	347	312	3,594	2,739
3.	1,686	214	237	2,137	1,384
4.	1,174	155	103	1,432	1,515
5.	2,252	269	215	2,736	3,119
	11,762	1,640	1,232	14,634	13,251

क्षेत्र	अंशकालीन प्रेक्टिस में	प्रेक्टिस में नहीं	कालम 6, 7, 8 का योग	कालम 5 और 9 का कुल योग
1	7	8	9	10
1.	2,930	3,022	10,446	15,181
2.	1,090	3,882	7,711	11,305
3.	593	2,048	4,025	6,162
4.	343	820	2,678	4,110
5.	794	1,227	5,140	7,876
	5,750	10,999	30,000	44,634

परिशिष्ट 9

(संदर्भ रिपोर्ट का पैरा 5.3)

वर्ष 1986-87 के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण रजिस्टर से हटाए गए नामों का विवरण।

क्रमांक	सदस्यों की संख्या	नाम	दिनांक
1.	18	श्री एस.डी. नागवाल, नई दिल्ली	7-8-86
2.	44	श्री बी.सी. कुन्डू, कलकत्ता	15-3-87
3.	79	श्री ए.के.एस. अय्यर, बम्बई	29-7-86
4.	158	श्री आर.बी. शाह, कलकत्ता	14-4-86
5.	228	श्री डी.एन. पाण्डे, बम्बई	10-11-86
6.	237	श्री एस. घोष, कलकत्ता	16-10-86
7.	292	श्री सी.वी. शाह, बम्बई	18-12-86
8.	330	श्री आर.बी. भगवत, कोलाहपुर	27-6-86
9.	417	श्री डी.एन. बेनर्जी, कलकत्ता	12-1-87
10.	436	श्री ए.के. राजगोपालन, मद्रास	18-2-87
11.	459	श्री आर.एन. मजुमदार, कलकत्ता	4-2-86
12.	538	श्री मुथु कुमार स्वामी, तिरुवर	25-5-86
13.	608	श्री के.के. नायर, बैंगलोर	1-10-86
14.	657	श्री सी.सी. चोकसी, बम्बई	18-10-86
15.	661	श्री एम.आर. गुलाटी, बम्बई	1-11-88
16.	682	श्री एन.एन. वीराघवन, मद्रास	3-1-87
17.	744	श्री के.एन. चांदला, चंडीगढ़	22-8-86
18.	805	श्री जे.जी. भल्ला, नई दिल्ली	5-1-87
19.	904	श्री एस.सी. कपूर, नई दिल्ली	20-12-86
20.	1138	श्री एच.आर. बहल, जयपुर	10-3-87
21.	1203	श्री ए. कन्डास्वामी, त्रिचिरपाल्ली	21-4-86
22.	1224	श्री आर.सी. जैन, पूना	18-10-85
23.	1284	श्री आर.पी. व्यास, मद्रास	1-8-8
24.	1452	श्री बी.एम. सोनी, अहमदाबाद	1-9-86
25.	1506	श्री एम.एस. वेंकटरामन, मद्रास	4-11-86
26.	1550	श्री सी.पी. सक्सेना, भोपाल	28-2-86
27.	1609	श्री एच. गुप्ता, कलकत्ता	22-12-85
28.	1624	श्री एन.सी. भट्टाचार्या, कलकत्ता	5-5-86
29.	1640	श्री बी. नटराजन, मद्रास	22-11-86
30.	1713	श्री यू.एस. लेखी, जयपुर	19-6-87
31.	1728	श्री के. गणपति, बैंगलोर	10-6-86
32.	1856	श्री एम. एल. जैन, जयपुर	22-4-86
33.	1880	श्री जी.एस. माथुर, नई दिल्ली	25-5-86
34.	1906	श्री एम. नारायणस्वामी, मद्रास	28-6-8
35.	1962	श्री एस. राजन, मद्रास	14-3-86
36.	2043	श्री एस. शारामीनाथन, मिडलेक्स, इंगलैण्ड	24-11-87
37.	2254	श्री आर.के. घोष, कलकत्ता	10-3-87
38.	2426	श्री एन.एन. मुखर्जी, बरहनपुर	25-8-86
39.	2588	श्री डी.आर. घोला, बम्बई	21-4-86
40.	2704	श्री के.एल. दत्ता, अलवर	13-5-85
41.	2745	श्री ए.के. मुखर्जी, कलकत्ता	23-10-86
42.	2783	श्री जे.पी. धावकर, बडोडोरा	9-11-85
43.	3068	श्री एन.सी. श्रीनिवासन, मद्रास	10-12-86
44.	3099	श्री टी.एल. देसाई, बम्बई	4-2-87
45.	3119	श्री एस.एन. मलाया, बम्बई	18-12-86
46.	3200	श्री टी.डी. टूटेजा, नई दिल्ली	23-7-86
47.	3331	श्री एस. वीसवानाथन, मद्रास	18-3-86
48.	3797	श्री डी.एन. प्रसाद, मद्रास	3-11-86
49.	3890	श्री ए.जे. थामस, मेनेजिशोरा	13-11-89
50.	3916	श्री वी.वी. वारादराजन, बैंगलोर	17-12-86
51.	3957	श्री आर.के. सेठ, कानपुर	28-9-86
52.	4086	श्री सी. वैद्यनाथन, मद्रास	22-8-86
53.	4226	श्री पी.जी. पानीवार, अमेरिका	30-8-86
54.	4382	श्री वी. शिवरामाकृष्णन, बम्बई	6-11-85
55.	4393	श्री जे.एम. भंडारी, नई दिल्ली	29-7-86
56.	4874	श्री टी.आर. सोमानिगम, पुडिकोटाई	9-8-86
57.	4999	श्री बी.एन. पाल, कलकत्ता	26-5-86
58.	5060	श्री एन.ए. वैद्या, बम्बई	14-12 83
59.	5213	श्री पी.डी. पारेख, बम्बई	1-1-86
60.	5554	श्री आर.एम. सबरातनम, मदुराई	9-7-86
61.	5575	श्री एच.एम. सराना, जोधपुर	16-10-84
62.	5623	श्री बी.पी. चोकसी, बम्बई	19-5-86
63.	5693	श्री के.वी. सुन्दरम, पालघाट	31-10-86
64.	5842	श्री के.के. राई, बम्बई	11-4-86
65.	5867	श्री एस.एन. धार, बेरहमपुर	13-7-84
66.	5943	श्री एल. सी. जैन विजयवाड़ा	30-12-86
67.	6071	श्री एम. थानस, मद्रास	23-6-86
68.	7240	श्री एस.के. बजूरी, नई दिल्ली	4-11-86
69.	7865	श्री एस. कुमारस्वामी, नई दिल्ली	15-12-86
70.	8451	श्री ए.न. घोष, कलकत्ता	15-10-86
71.	8923	श्री एन. राधाकिशना राजा, मदुराई	14-9-86
72.	9186	श्री एम.एन. कृष्णा, बैंगलोर	15-12-86
73.	9812	श्री ए. फेरनानडेस, कलकत्ता	8-2-86
74.	10004	श्री सी.एम. बजूरी, नई दिल्ली	22-12-86
75.	10440	श्री एस.एस. अरोड़ा, चंडीगढ़	23-6-86
76.	10919	श्री एम.सी. जैन, कोटा	22-6-86
77.	12042	श्री एस. माधु, बैंगलोर	26-12-85
78.	12300	श्री एच, जयनजलेयन, ईरोद	9-4-86
79.	12977	श्री एच.जी. दोशी, बम्बई	16-12-85
80.	13606	श्री बी.पी. सिंह, नई दिल्ली	16-6-8
81.	13685	श्री एम.एम. जालान, अल्लेपीय	6-10-8
82.	14234	श्री एम.एन. चन्द्रानुगिरवरान, मद्रास	10-5-86
83.	14363	श्री एस.जे. कुलकरनी, पागे	13-5-85
84.	16138	श्री आर.के. गोयल, नई दिल्ली	6-5-84
85.	16476	श्री ए. चकवर्ती, कलकत्ता	24-4-86
86.	16625	श्री पी.डी. मुखर्जी, कलकत्ता	27-6-86
87.	17068	श्री पी. वेंकटेसवरान, बम्बई	7-3-85
88.	18198	श्री बी., कल्ला नारायणन, मद्रास	17-12-86
89.	19848	श्री एस. कृष्णास्वामी, कालीकट	20-4-86
90.	24889	श्री के. वैद्यनाथन, मद्रास	23-2-87
91.	34917	श्री एस.जे. कारवे, पुने	19-8-86
92.	50001	श्री टी.एस. श्रीनिवासन, तीरूनालवेली, टाऊन	24-12-86
93.	72188	श्री एस.के. अग्रवाल, कानपुर	20-9-86
94.	81260	श्री एच.टी. इस्मामी, लखनऊ	27-1-87
95.	82471	श्री आर.के. खन्ना, नई दिल्ली	16-3-86
96.	85014	श्री पूरन चंद, पटीयाला	10-2-87

परिशिष्ट—10

[संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 6.4 (घ)]

प्रतियोगियों के नामांकन का विवरण

	मध्यवर्ती	अन्तिम
प्रत्याशियों की संख्या जो 1-4-86 को दर्ज थे	28981	15305
वर्ष 1986-87 में दर्ज किये गये	10642	6354
	39623	21657
विद्यार्थी जिन्होंने 86-87 में (मई 86 एवं नवम्बर 86) में हिस्सा लिया	8875	5065
	30748	15392

परिशिष्ट—11

(संदर्भ: रिपोर्ट का पैरा 7.1)

परीक्षा फल का संक्षिप्त विवरण मई 1986

प्रवेश परीक्षा	
परिक्षार्थियों की कुल संख्या	1500
सफल घोषित परिक्षार्थियों की संख्या	251
प्रतिशत	16.73
मध्यवर्ती (इन्टरमीडिएट) परीक्षा	
परिक्षार्थियों की कुल संख्या ग्रुप-1	12376
सफल घोषित कुल परिक्षार्थियों की संख्या	2715
प्रतिशत	21.94
परिक्षार्थियों की कुल संख्या ग्रुप-2	12467
सफल घोषित परिक्षार्थियों की कुल संख्या	2945
प्रतिशत	23.62
परिक्षार्थियों की कुल संख्या दोनों ग्रुपों में	4670
दोनों ग्रुपों में सफल घोषित परिक्षार्थियों की कुल संख्या	312
प्रतिशत	13.11
अन्तिम (पुराना पाठ्यक्रम) परीक्षा	
परिक्षार्थियों की कुल संख्या ग्रुप-1	1366
ग्रुप-1 में सफल घोषित कुल परिक्षार्थियों की संख्या	63
प्रतिशत	4.83
दोनों ग्रुप-2 परिक्षार्थियों की कुल संख्या	771
सफल घोषित परिक्षार्थियों की संख्या	184
प्रतिशत	23.90
दोनों ग्रुपों में कुल परिक्षार्थियों की संख्या	463
दोनों ग्रुपों में सफल घोषित कुल परिक्षार्थियों की संख्या	3
प्रतिशत	0.17
अन्तिम (नया पाठ्यक्रम) परीक्षा	
ग्रुप-1 में परिक्षार्थियों की कुल संख्या	6798
ग्रुप-1 में सफल घोषित परिक्षार्थियों की कुल संख्या	2494
प्रतिशत	36.67
ग्रुप-2 में परिक्षार्थियों की कुल संख्या	6949
ग्रुप-2 में परिक्षार्थियों की कुल संख्या जो सफल घोषित किए गए	1860
प्रतिशत	26.76
दोनों ग्रुपों में परिक्षार्थियों की कुल संख्या	3387
दोनों ग्रुपों में सफल परिक्षार्थियों की संख्या	502
प्रतिशत	14.82

परीक्षाफल का संक्षिप्त विवरण नवम्बर, 1986

प्रवेश परीक्षा	
परिक्षार्थियों की कुल संख्या	2896
सफल घोषित परिक्षार्थियों की संख्या	374
प्रतिशत	12.91
मध्यवर्ती परीक्षा	
ग्रुप-1 में परिक्षार्थियों की कुल संख्या	14054
ग्रुप-1 में सफल घोषित परिक्षार्थियों की कुल संख्या	3529
प्रतिशत	25.11
ग्रुप-2 में परिक्षार्थियों की कुल संख्या	13437
ग्रुप-2 में सफल परिक्षार्थियों की कुल संख्या	3293
प्रतिशत	21.50
दोनों ग्रुपों में कुल परिक्षार्थियों की संख्या	5623
दोनों ग्रुपों में सफल घोषित कुल परिक्षार्थियों की सं.	937
प्रतिशत	16.66
अन्तिम परीक्षा	
ग्रुप-1 में परिक्षार्थियों की कुल संख्या	7504
ग्रुप-1 में सफल घोषित परिक्षार्थियों की कुल संख्या	2429
प्रतिशत	23.36
ग्रुप-2 में परिक्षार्थियों की कुल संख्या	7592
ग्रुप-2 में सफल घोषित परिक्षार्थियों की कुल संख्या	3348
प्रतिशत	44.10
दोनों ग्रुपों में कुल परिक्षार्थियों की संख्या	3438
दोनों ग्रुपों में सफल घोषित कुल परिक्षार्थियों की सं.	867
प्रतिशत	20.01

परिशिष्ट- 12

संदर्भ :--रिपोर्ट का पैरा 7.3

पारितोषिक प्राप्त करने वाले अंतिम (पुराना पाठ्यक्रम) परीक्षा

मई, 1986

योग्यता प्रमाण-पत्र---------------------

अंतिम (नया पाठ्यक्रम) परीक्षा मई, 1986

निम्नलिखित प्रत्याशियों को योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाएंगे।

स्थान	रोल नं.	नाम
प्रथम	8814	श्री अमिताभ गुहा राय, (800 में से 561 अंक)
द्वितीय	11604	श्री आवाती विनायक बालकृष्ण (800 में से 544 अंक)
तृतीय	10546	कु. जैसमीन फिदाहुसैन बेरारवाला (800 में से 543 अंक)

1. ओ.पी. कापडिया, प्रथम सभापति पुरस्कार स्वर्ण पदक, श्री अमिताभ गुहा राय (रोल नं. 8814 अंतिम (नया पाठ्यक्रम) परीक्षा, को प्रदान किया जाएगा।

2. सर्वोत्तम छात्र के लिए श्री रामचन्द्र सिंधी पुरस्कार श्री अमिताभ गुहा राय, रोल नं. 8814, अंतिम (नया पाठ्यक्रम) परीक्षा को प्रदान किया जायेगा।

3. लेखांकन में सर्वोत्तम पत्र के लिए दि. सर शापुरजी बिलिमोरिया पुरस्कार श्री अवंती विनायक बालकृष्ण (रोल नं.—11604) अंतिम (नया पाठ्यक्रम) परीक्षा, को प्रदान किया जाएगा। उन्होंने 200 में से 174 अंक प्राप्त किए।

4. प्रबन्ध लेखांकन के पर्चे में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने पर दि. जे.के. दोशी पुरस्कार श्री एस. सुब्रामणियम (रोल नं.—3554) अंतिम (नया पाठ्यक्रम) परीक्षा, को प्रदान किया जाएगा।

(अंक—97)

5. लेखा परीक्षण पर सर्वोत्तम पर्चे पर दि.ए.एफ. फरगूसन पुरस्कार एवं दि. आर. वैंकाटेसन स्मारक पुरस्कार श्री सुनील कुमार गुप्ता (रोल नं. 7422) अंतिम (नया पाठ्यक्रम) परीक्षा, को प्रदान किये जाएंगे। (अंक—60)।

6. ग्रुप एक में सर्वोत्तम प्रत्याशी को दिया जाने वाला दि. केराला वर्मा पुरस्कार श्री अमिताभा गुहा राय को प्रदान किया जाएगा। (266 अंक)

7. कम्पनी कानून में सर्वोत्तम पर्चे के लिए दि.यू.सी. मजुमदार पुरस्कार एवं दि.एस.एम. शाह पुरस्कार श्री निलेश बंसीलाल मेहता (रोल नं.—9756) अंतिम (नया पाठ्यक्रम) परीक्षा, को प्रदान किये जाएंगे। (71 अंक)

8. प्रत्यक्ष कर नियम पर सर्वोत्तम पर्चे दि.एन.एम. शाह, पुरस्कार एवं सूरी स्मारक, पुरस्कार श्री हसित अशोक जगशेठ (रोल नं.—10455) एवं श्री सी. सथिया जीवा कृष्णन (रोल नं. 5138) अंतिम (नया पाठ्यक्रम परीक्षा को प्रदान किये जाएंगे (अंक—78)

9. अर्थ-शास्त्र में सर्वोत्तम पर्चे दि. वेंकाटाचलम मोहन पुरस्कार श्री सुनील कुमार नवीनचन्द्र पटेल (रोल नं.-9933) अंतिम (नया पाठ्यक्रम) को प्रदान किया जायेगा (अंक—78)

10. नये पाठ्यक्रम में दूसरे ग्रुप की अंतिम परीक्षा के सर्वोत्तम प्रत्याशी को दि.पी.एन. घोष स्मारक पुरस्कार श्री जे. श्रीनिवासन (रोल नं. 6113) को प्रदान किया जाएगा। (अंक—284)

11. अंकों के आधार पर अंतिम परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को दिया जाने वाला दि. जयंती लाल के. ठक्कर स्मारक पुरस्कार श्री अवंती विनायक बाल कृष्ण (रोल नं.—11604) को प्रदान किया जाएगा (अंक—544)।

12. लागत लेखांकन के पर्चे में सर्वोत्तम प्रत्याशी को दिया जाने वाला दि.आर. बी.के. उमरजी पुरस्कार श्री प्रवाल बसु (रोल नं.—8832-अंतिम-नया पाठ्यक्रम) परीक्षा, को प्रदान किया जाएगा (अंक—92)।

13. सर्वोत्तम महिला प्रत्याशी को दिया जाने वाला दि.आर. शिवभोगम पुरस्कार कु. जैसमीन फिरोज हुसैन बैरारवाला (रोल नं.—नं. 10546—अंतिम परीक्षा-नया पाठ्यक्रम) को प्रदान किया जाएगा। जिन्होंने नं. 800 में से 513 अंक प्राप्त किये।

मध्यवर्ती (नया पाठ्यक्रम) परीक्षा मई, 1986

निम्नलिखित प्रत्याशियों को योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाएंगे।

स्थान	रोल नं.	नाम
प्रथम	2885	भारत कृष्ण शंकर (700 में से कुल 522 अंक)
द्वितीय	1241	कुमारी भावना अरविन्द देसाई (700 में से 518 अंक)
तृतीय	1004	पी. वेंकटेश (700 में से 484 अंक)

1. दि.जी.पी. कापडिया प्रथम सभापति पुरस्कार श्री भारत कृष्ण शंकर रोल नं. 2885 को प्रदान किया जाएगा।

2. लेखा परीक्षा में सर्वोत्तम पर्चे पर दिया जाने वाला दिनेश हिम्मत लाल शाह पुरस्कार नीरव मनसुखलाल गांधी (रोल नं. 12113) को प्रदान किया जाएगा, (100 में से 67 अंक)

3. लेखांकन में सर्वोत्तम पर्चे पर दिया जाने वाला प्रो. टी.एस. ग्रेवाल अवार्ड भारत कृष्ण शंकर (रोल नं. 2885) को प्रदान किया जाएगा (अंक—91)

पुरस्कार विजेता

अंतिम परीक्षा नवम्बर, 1986

निम्नलिखित प्रत्याशियों को योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाएंगे।

स्थान	रोल नं.	नाम
प्रथम	3442	अशीष महेन्द्र पारिख (800 में से 576 अंक)
द्वितीय	2763	नरेश गोयल (800 में से 553 अंक)
तृतीय	8862	के. सुब्रामनियन् (800 में से 552 अंक)

1. श्री जी.पी. कापडिया प्रथम सभापति पुरस्कार श्री अशीष महेन्द्र पारिख रोल नं.—3442 को प्रदान किया जाएगा।

2. वर्ष 1986 के लिए सर्वोत्तम प्रत्याशी को दिया जाने वाला दि. राम भज सिघो पुरस्कार अशीष महेन्द्र पारिख (रोल नं.—3442) को प्रदान किया जाएगा।

3. वर्ष 1986 के लिए सर्वोत्तम छात्र को दिया जाने वाला दि.जी. बासु प्रतिष्ठान पुरस्कार अशीष महेन्द्र (रोल नं. 3442) को प्रदान किया जाएगा।

4. वर्ष 1986 में ग्रुप 1 के सर्वोत्तम छात्र को दिया जाने वाला दि. एन.एन. दास पुरस्कार श्री अमीताभा गुहा राय (रोल नं. 8814, मई 1986 परीक्षा) को प्रदान किया जाएगा (400 में से 286 अंक)

5. लेखांकन में सर्वोत्तम पर्चे पर दिया जाने वाला दि. सर शापुरजी बिलिमोरिया पुरस्कार श्री बंगेरा रमेश चिन्नया (रोल नं. 4661) को प्रदान किया जाएगा। (200 में से 158 अंक)

6. प्रबन्ध लेखांकन के पर्चे में अधिकतम अंक प्राप्त करने पर दि.जे.के. दोशी पुरस्कार श्री भारत मूसावी (रोल नं. 9700) को प्रदान किया जाएगा (100 में से 89 अंक)

7. लेखा परीक्षण के सर्वोत्तम पर्चे पर दिये जाने वाले दि.ए. एफ. फरगुसन तथा आर. वेंकटेशन स्मारक पुरस्कार श्री एस. सुंदरराजन (रोल नं. 8531) को प्रदान किये जाएंगे। (100 में से 78 अंक)

8. ग्रुप 1 में सर्वोत्तम, प्रत्याशी को दिया जाने वाला दि. केरल वर्मा स्मारक पुरस्कार श्री प्रशीष महेन्द्र पारिख को प्रदान किया जायेगा। (रोल नं. 3442) (100 में से 78 अंक)

9. कम्पनी कानून के पर्चे में सर्वोत्तम प्रत्याशी को दिये जाने वाले बी.सी. मजुमदार पुरस्कार एवं एस.एम शाह पुरस्कार श्री शाह हिमांशु घनश्याम राय को प्रदान किये जाएंगे।

10. प्रत्यक्ष कर कानून के पर्चे में सर्वश्रेष्ठ छात्र को दिये जाने वाले दि.एन. शाह पुरस्कार और दि. सूरी स्मारक पुरस्कार कुमारी सीता लक्ष्मी नारायणन् रोल नं. 3878 को प्रदान किये जाएंगे (100 में से 47 अंक)

11. ग्रुप दो में सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिए दि. पी. एन. घोष स्मारक पुरस्कार श्री नरेश गोयल (रोल नं. 2763) को प्रदान किया जायगा। (400 में से 248 अंक)

12. अंकों की दृष्टि से दूसरे स्थान का दि जी.डी. लाल के. ठक्कर स्मारक पुरस्कार श्री नरेश गोयल (रोल नं. 2763) को प्रदान किया जाएगा।

13. लागत लेखांकन के सर्वोत्तम पर्चे का दि. आर.बी.के. उमरजी पुरस्कार नरेश गोयल (रोल नं. 2763) को प्रदान किया जायगा।

14. सर्वोत्तम महिला प्रत्याशी को दिये जाने वाला दि.आर. सिवाभोगम पुरस्कार कुमारी सीता लक्ष्मीनारायणन् (रोल नं. 3878) को प्रदान किया जायगा।

15. सिस्टम एनेलाईसिस तथा डाटा प्रोसेसिंग के विषय पर सर्वोत्तम पर्चे के लिये दि. टी.आर. चाड्ढा पुरस्कार श्री भटिया समीर विजय (रोल नं. 4642) को प्रदान किया जायेगा। (100 में से 86 अंक)

16. लेखा परीक्षण में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली महिला प्रत्याशी को दिया जाने वाला दि. सुखनन्दन गुप्ता कपूरी देवी पुरस्कार कुमारी एन. संध्या (रोल नं. 6500) को प्रदान किया जायगा। (100 में से 69 अंक)

मध्यवर्ती परीक्षा नवम्बर 1986

निम्नलिखित प्रत्याशियों को योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान किये जायेंगे।

स्थान	रोल नं.	नाम
प्रथम	6908	आर. रमेश (700 में से 525 अंक)
द्वितीय	896	राम कुमार शंकर (700 में से 513 अंक)
तृतीय	22380	पीयूष वी. गोयल (700 में से 512 अंक)

1. श्री जी.पी. कापडिया प्रथम सभापति पुरस्कार श्री आर. रमेश (रोल नं. 6908) को प्रदान किया जाएगा।

2. वर्ष 1986 के सर्वोत्तम छात्र को दिया जाने वाला दि. सूरी स्मारक पुरस्कार श्री आर. रमेश (रोल नं. 6908) को प्रदान किया जाएगा।

3. लेखा परीक्षण में सर्वोत्तम पर्चे के लिए दि. दिनेश हिम्मत लाल शाह पुरस्कार श्री टी.के. बालाकृष्णन (रोल नं. 3186) को प्रदान किया जाएगा (100 में से 71 अंक)

4. लेखांकन के सर्वोत्तम पर्चे के लिए प्रो. टी.एस. ग्रेवाल अवार्ड श्री वी. सेन्थिल कुमार (रोल नं. 691) को प्रदान किया जायगा। (100 में से 95 अंक)

5. मरकैण्टाइल कानून, कम्पनी कानून तथा औद्योगिक कानून के पर्चे में सर्वोत्तम छात्र को दिये जाने वाला दि. सुरेश सी. माथुर पुरस्कार श्री राम कुमार शंकर को प्रदान किया जाएगा। (रोल नं. 896 100 में से 77 अंक)

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस आफ इंडिया, नई दिल्ली

वार्षिक लेखा

1986-87

नई दिल्ली

ऑडीटरों की रिपोर्ट

हमने इंटीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंटस आफ इंडिया को 31 मार्च 1987 तक की संलग्न बेलेंसशीट और तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखों के संलग्न जिनमें क्षेत्रीय कौंसिलों, स्टूडेंटस एसोसियेशन और शाखाओं के लेखों को सम्मिलित किया गया है का आडिट किया है और निम्न प्रकार रिपोर्ट है।

1. हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए जो हमारी जानकारी और विश्वास के साथ आडिट के उद्देश्य के लिए आवश्यक है।

2. बेलेन्स शीट और आय एवं व्यय लेखे जो इस रिपोर्ट में लिये गये हैं वह लेखे की पुस्तकों के अनुरूप हैं।

3. हमारी राय में लेखे चार्टर्ड एकाउन्टेन्स ऐक्ट 1949 को आवश्यकता के अनुसार रखे गये हैं और

4. हमारी राय और पूर्ण सूचनाओं और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार विवरण और अनुसूचियों जो उनके साथ हैं सही और उचित स्थिति प्रकट करती है।

(1) 31 मार्च 1987 तक की बेलेंस शीट और कार्य के मामले में और

(2) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखे के अधिक्य के मामले में।

एम.आर. वेंकटरामन
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस

सी.पी. मेहरा
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस

नई दिल्ली / 3 सितम्बर, 1987

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट आफ इंडिया, नई दिल्ली।

लेखा नीति

1. फेलों सदस्यों से प्रवेश शुल्क और एसोसिएट सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क का अधिकतम भाग को पूंजीगत मान लिया है विद्यार्थी क्रियाकलापों से होने वाले अधिशेष के अप्रयुक्त भाग को शिक्षा कोष में स्थानान्तरित कर दिया गया है और आरक्षित पूंजी में उपयुक्त होने वाले कोष को पूंजीगत रिजर्व स्थानान्तरित कर दिया गया है।

2. अध्ययन सामग्री और प्रकाशकों का इन्वेस्टरीज को कम लागत और विकल्प प्राप्त होने वाली लागत के कम मूल्य पर मूल्यांकन किया गया है इस उद्देश्य के लिए लागत को सीधी लागत प्रणाली पर आंका गया है।

3. कर्मचारियों के लिए ग्रेजुयटी की व्यवस्था संभूति आधार पर की गयी है। ग्रेज्युटी तथा ग्रुप इंश्योरेंस पालिसी लाइफ इंशोरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया से किये गये हैं। ग्रेज्युटी में कोई भी कमी को भुगतान वाले वर्ष में डाला गया है।

4. निवेशों का मूल्यांकन लागत आधार पर किया गया है।

5. सेमिनारों सिम्पोजियम्स, और कान्फ्रेंसों से आय को नकद आधार पर लिया गया है।

6. मूल्यह्रास अचल पूंजी ऐतिहासिक लागत आधार पर दिखाई गई है और उसका मूल्य ह्रास ह्रासमान लेख तरीकों से किया गया है, केवल लाइब्रेरी पुस्तकों को जो मुख्य कार्यालय में हैं पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति से किया गया है।

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेन्टस आफ इंडिया नई दिल्ली

31 मार्च, 1987 वर्ष के लिए बेलेंस रिपोर्ट

अनुसूची		31-3-1987		31-3-1986	
		रु.	रु.	रु.	रु.
नियुक्त कोष					
(1) स्थाई पूंजी :					
कुल ब्लाक		260,21,507		228,17,981	
घटायें—मूल्यह्रास		99,65,156		85,37,312	
निविल ब्लाक	(ए)		160,56,351		142,80,669
(2) उचिष्ट निवेश	(बी)		67,39,181		51,13,823
(3) अन्य निवेश					
(ए) सावधी जमा बैंक में बांड और यू.टी.आई.		208,91,799		152,32,002	
(बी) सरकारी प्रतिभूति		—	208,91,799	2,506	152,34,508
(4) निविल चालू पूंजी	(सी)		15,81,183		28,27,419
योग			452,68,514		374,56,419
वित्तीय सहायता द्वारा					
(1) पूंजीगत जमा	(डी)		231,99,951		207,31,061
(2) सामान्य जमा	(ई)		133,94,063		99,07,150
(3) अन्य जमा	(एफ)		19,35,319		17,04,385
(4) निर्दिष्ट	(जी)		67,39,181		51,13,823
योग			452,68,514		374,56,419

नोट :—

(1) एक क्षेत्रीय कौंसिल और दो छात्र संघों के बिना आडिट के लेखे शामिल किए गए हैं।

(2) विद्यार्थियों की ट्यूशन शुल्क प्राप्ति के आधार पर ली गई हैं जबकि पिछले वर्षों से यह देयता के आधार पर ली गई थी।

पी.सी. जैन — उप सचिव
आर.एल. चोपड़ा — सचिव
आर. बालाकृष्णन — अध्यक्ष
इसी तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

नई दिल्ली
3 सितम्बर 1987

एस.के. दासगुप्ता — उपाध्यक्ष
एम.आर. वेंकटरामन — चार्टर्ड एकाउंटेंट
सी.पी. मेहरा — चार्टर्ड एकाउंटेंट

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया, नई दिल्ली

वर्ष 31 मार्च, 1987 के समाप्य पर आय और व्यय का ब्यौरा

	1986-87	1985-86
	रु.	रु.
1. आय तालिका-एच		
(अ) सदस्य	196,67,517	131,23,752
(ब) वि र्थी	250,06,300	221,48,913
योग	446,73,817	352,72,665
2. खर्च तालिका—आई		
(अ) सदस्य	168,64,320	140,96,921
(ब) विद्यार्थी	236,38,868	202,19,458
योग	405,03,188	343,16,379

3. वर्ष का अधिशेष :		
(1) ट्रंसफर टू एजूकेशन फंड—तालिका-जी	6,83,716	9,64,727
(2) ट्रंसफर टू जनरल रिजर्व—तालिका-ई	34,86,913	(-) 8,441
योग	41,70,629	9,56,286
योग	446,73,817	352,72,666

पी.सी. जैन	आर.एल. चोपड़ा	आर. बालाकृष्णन	इसी तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
उप सचिव	सचिव	अध्यक्ष	
		एस.के. दास गुप्ता	एम.आर. वेंकटरामन
		उपाध्यक्ष	और
नई दिल्ली			सी.पी. मेहरा
सितम्बर 3, 1987			चार्टर्ड एकाउंटेन्ट

अनुसूची "ए"

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट आफ इंडिया, नई दिल्ली

क्रमांक	पूंजी	1-4-86 को लागत	शाखाओं में सम्बन्धित समायोजन	वर्ष के दौरान जोड़	31-3-87 को लागत	31-3-87 को अवक्षयण	31-3-87 को किताबी मूल्य	31-3-86 को किताबी मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	भूमि . .	8,15,073	--	2,95,467	11,10,540	--	11,10,540	8,15,073
2.	भवन . .	98,89,011	(2,55,628)	5,29,794	1,01,63,177	22,67,561	78,95,616	79,97,352
3.	निर्माणाधीन भवन	1,17,134	(1,17,134)	5,10,564	5,10,564	--	5,10,564	1,17,134
4.	विद्युत इंस्टोलेशन एण्ड फिटिंग	15,00,918	--	2,18,221	17,19,139	8,91,963	8,27,176	7,17,150
5.	एयर कंडीशन इंस्टालेशन .	16,40,825	—	1,90,615	18,31,440	10,73,819	7,57,621	7,04,700
6.	फर्नीचर एण्ड फिक्सरस	34,35,042	—	8,63,233	42,98,275	17,54,359	25,43,916	19,40,152
7.	लिफ्टस	3,09,912	--	---	3,09,912	1,76,901	1,33,011	1,47,790
8.	आफिस समान .	14,77,504	—	2,03,992	16,81,496	9,71,487	7,10,009	6,22,088
9.	वाहन . .	76,985	—	--	76,985	51,759	25,226	31,533
10.	लाइब्रेरी .	34,38,412	--	4,43,777	38,82,189	26,75,152	12,07,037	10,93,965
11.	कम्प्यूटर .	1,17,165	--	3,20,625	4,37,790	1,02,155	3,35,635	93,732
	योग . .	228,17,981	(3,72,762)	35,76,288	260,21,507	99,65,156	160,56,351	142,80,669

अनुसूची 'बी'

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया, नई दिल्ली

(राशि रुपयों में)

	सावधि जमा बैंक में		अन्य बैंक में शेष		सरकारी प्रतिभूतियां		योग	
	31-3-87	31-3-86	31-3-87	31-3-86	31-3-87	31-3-86	31-3-87	31-3-86
1. शिक्षा कोष निवेश :								
(ए) योग . .	34,47,709	28,,64,653	—	--	-	--	34,47,709	28,64,653
2. अन्य उद्देश्य निवेश :								
(ए) अनुसंधान कोष .	6,80,250	6,80,250	--	—	—	—	6,80,250	6,80,250
(बी) मेडल और पुरस्कार कोष . .	3,16,528	2,08,211	86,345	40,525	—	80,026	4,02,873	3,28,761
(सी) वैज्ञानिक अनुसंधान कोष . .	2,28,682	2,28,682	—	—	—	--	2,28,682	2,28,682
(डी) अन्य .	19,20,352	9,47,372	59,315	64,105	—	—	19,79,667	10,11,477
(बी) योग . .	31,45,812	20,64,515	1,45,660	1,04,630	—	80,025	32,91,472	22,49,170
कुल योग (ए-बी)	69,93,521	49,29,168	1,45,660	1,04,630	—	80,025	67,39,181	51,13,823

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया, नई दिल्ली

अनुसूची "सी" निवल चालू पूंजी

(राशि रुपयों में)

विवरण		31-3-87		31-3-86
चालू पूंजी :				
(क) प्रकाशन अध्ययन सामग्री और स्टेशनरी		34,69,360		29,34 128
(ख) प्राप्य राशि :				
(1) लागत पर ब्याज	12,10,400		9,83,565	
(2) हाउसिंग और वाहन ऋण पर ब्याज	8,08,239		6,60,234	
(3) अन्य	20,34,837	40,53,476	21,68,621	38,12,42)
(ग) ऋण और अग्रिम राशि :				
(1) कर्मचारियों को गृह एवं वाहन पर अग्रिम	39,74,909		33,16,428	
अन्य	2,11,936		2,08,555	
	41,86,845		35,24,983	
(2) ऋण छात्रवृत्तियां विद्यार्थियों को	46,019		73,055	
(3) अन्य	19,19,544	61,52,408	8,32,602	44,30,640
(घ) नकद और बैंक शेष		49,63,905		70,28,660
जोड़		186,39,149		182,05,849
घटायें चालू देयताएं :				
(क) अग्रिम प्राप्त फीस		1,07,65,518		107,88,509
(ख) व्यय के लिए ऋण दाता		44,82,473		30,28,116
(ग) अन्य देयताएं		18,09,975		15,61,804
जोड़		170,57,966		153,78,429
निवल चालू पूंजी		15,81,183		28,27,419

दि इनसटीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउटेन्ट आफ इंडिया, नई दिल्ली

अनुसूची "डी" पूंजी रिजर्व (राशि रुपये में)

विवरण (क)	31-3-1987	31-3-1986
(क) सामान्य :		
गत लेखों के अनुसार	154,34,434	140,77,250
जोड़े--प्रवेश शुल्क और नि त एजेंटस शुल्क	12,00 920	11,47,40)
जोड़े—मद्रास भवन अतिरिक्त हेतु प्राप्त दान	9,17,970	2 09,784
जोड़ (क)	175,53,324	154,34,434
(ख) शिक्षा (ख)		
गत लेखो के अनुसार शेष	52,96,627	46,99,627
जोड़ें शिक्षा कोष से स्थानान्तरण	3,50,0000	5,97,000
जोड़ (ख)	56,46,627	52,96,627
कुल जोड़ (क+ख)	231,99,951	207,31 061

दि. इनसटीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेस्टस आफ इंडिया, नई दिल्ली

अनुसूची "ई" सामान्य रिजर्व

विवरण	(राशि रुपयों में) 31-3-87	31-3-1986
गत लेखों के अनुसार शेष	99,07,150	99,20,632
जोड़े आय व्यय खाता से स्थानांतरित अधिव्यय	34,86,913	(—) 8,441
	133,94,063	99,12,191
	—	(—) 5,041
जोड़	133,94,063	99,07 150

अनुसूची "एफ" अन्य रिजर्व

(राशि रुपये में)

विवरण		31-3-1987	31-3-1986
गत लेखों के अनुसार शेष		17,04,385	14,86,427
जोड़ें : वर्ष के दौरान निवल एकिशत		3,62,086	2,27,958
		20,66,471	17,04,395
घटायें सामान्य रिजर्व से ट्रांसफर		1,31,152	—
	जोड़	19,35,319	17,04,385

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टस आफ इण्डिया, नई दिल्ली

शेड्यूल "जी"—निर्धारित कोष

विवरण	31-3-1987	31-3-1986
(क) शिक्षा कोष :—		
विगत लेखा का शेष	28,64,653	26,30,413
आय और व्यय एकाउन्ट से ट्रांसफर किया गया	6,83,716	9,64,727
वर्ष में अर्जित ब्याज	1,56,200	1,42,017
	37,04,569	37,37,157
कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर	(-) 3,50,000	(-) 5,97,000
संगजन	93,140	(-) 2,75,504
योग (ए)	34,47 709	28,64,653
(ख) अन्य निर्धारित कोष:--		
(ए) शोध कोष	6,80,250	6,80,250
(बी) मेडल तथा पुरस्कार कोष—पिछले लेखों का शेष	3,28,761	3,00,647
वर्ष में बढ़ोत्तरी	59,676	14,848
वर्ष में अर्जित आय	33,938	30,079
घटाएं—प्रदत्त मेडल एवं पुरस्कार	4,22,375	3,45,574
	(—) 19,502	(—) 16,813
	4,02,873	3,28,761
(सी) वैज्ञानिक शोध-कोष पिछले लेखे का शेष	2,28,682	2,28,682
(डी) अन्य:—		
1. विगत लेखे का शेष	10,11,477	0,33,396
2. वर्ष में बढ़ोत्तरी	7,13 690	15,500
3. सामान्य रिजर्व से ट्रांसफर	—	5,041
4. अन्य रिजर्व से ट्रांसफर	1,31,152	—
5. समंजन	(—) 6,000	(—) 1,10,000
जोड़—वर्ष में अर्जित आय	1,29,798	70,646
	19,80,117	10,14,583
घटाएं : वर्ष में व्यय	(-) 450	(—) 3,106
	19,79,667	10,11,477
योग (बी)	32,91,472	22,49,170
कुल योग (ए)+(बी)	67,39,18 1	51,13,823

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया, नई दिल्ली
31 मार्च 1987 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का अनुलग्नक

अनुसूची (एच)
(राशि रुपयों में)

	योग		सदस्य					
			रेगुलेटरी		व्यावसायिक और विकास अनुसंधान		विद्यार्थी	
	31-3-87	31-3-86	31-3-87	31-3-86	31-3-87	31-3-86	31-3-87	31-3-86
आय								
1. प्रवेश शुल्क (नियतित)	4,70,500	4,40,900	4,70,500	4,40,900	—	—	—	—
2. सदस्यता शुल्क	157,68,063	97,01,977	157,68,063	97,01,977	—	—	—	—
3. पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुल्क	21,250	19,700	—	—	21,250	19,700	—	—
4. विद्यार्थी पंजीकृत शुल्क	12,98,605	13,32,740	—	—	—	—	12,98,605	13,32,740
5. विद्यार्थी ऐसोसिएशन शुल्क	1,07,870	1,06,660	—	—	—	—	1,07,870	1,06,650
6. कोचिंग शुल्क	89,72,232	98,14,291	—	—	—	—	89,72,232	93,14,291
7. परीक्षा शुल्क	102,05,405	71,30,634	—	—	—	—	102,05,405	71,30,634
8. जर्नल और न्यूज लैटर	4,60,681	4,60,152	—	—	—	—	4,60,681	4,60,152
9. प्रकाशन	39,77,843	32,35,142	—	—	16,94,258	14,04,458	22,83,585	18,30,684
10. निवेशों पर ब्याज	1,74 007	1,71,336	—	—	1,04,058	14,01,480	69,949	69,856
11. केन्द्रीय व क्षेत्रीय कौंसिल के लिए नामांकन शुल्क	—	97,400	—	97,400	—	—	—	—
12. अन्य	9,13,556	7,53,129	1,105	—	5,45,478	4,22,765	3,66,973	3,33,331
उप-योग	423,70,012	332,64,061	162,39,668	102,40,277	23,65,044	19,48,403	237,65,300	210,75,381
13. सामान्य कोष से आय निवेश (नियतित)	21,70,417	16,57,007	9,98,392	8,78,214	—	—	11,72,025	7,78,793
उप-योग	445,40,429	349,21,068	172,38,060	111,18,491	23,65,404	19,48,403	249,37,325	218,54,174
14. समय से पहले के समायोजन	1,33,388	3,51,597	--	--	64,413	56,858	68,975	2,94,739
योग	446,73,817	352,72,665	172,38,060	111,18,491	24,29,457	20,05,261	250,06,300	221,48 913

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड काउन्टेन्टस एआफ इंडिया, नई दिल्ली

31 मार्च 1987 के समाप्य वर्ष की आय और व्यय का अनुलग्नक

अनुसूची 'आई'

(राशि रुपयों में)

	योग		सदस्य				विद्यार्थी	
			रेगुलेटरी		व्यावसायिक विकास और अनुसंधान			
		31-3-87	31-3-86	31-3-86	31-3-87	31-3-86	31-3-87	31-3-86
2. खर्चे :								
1. वेतन और और कर्मचारी व्यय	147,59,392	116,27,340	29,07,378	23,73,521	31,25,192	24,32,173	87,26,822	68,21,646
2. छपाई और स्टेशनरी	12,30,560	11,50,034	1,33,453	1,40,157	6,14,182	5,27,066	4,82,925	4,82,811
3. प्रकाशन	19,71,839	20,86,806	4,73,861	5,93,295	6,40,393	5,83,986	8,57,585	9 09,525
4. जर्नल और न्यूज लेटर	30,31,586	25,65,272	—	—	25,66,647	21,75,804	4,64,939	3,89,468
5. कोचिंग (कर्मचारियों के वेतन के खर्चों को छोड़कर)	31,10,145	32,83,703	—	—	—	—	31,10,145	32,83,703
6. एक्जामिनेशन (कर्मचारियों के वेतन और खर्चे को छोड़कर)	58,01,311	51,63,490	—	—	—	—	58,01,311	51,63,490
7. केाक तार व टेलीफोन	14,17,591	10,31,507	3,11,783	2,25 017	4,39,627	3,20,080	6,66,181	4,86,410
8. किराया दर और कर	19,54,988	14,15,176	3,95,121	2,82,930	6,75,999	4,95,522	8,83,868	6,36,724
9. रिपेयर और रखरखाव	6,15,105	5,54,990	1,23,832	1,21,237	2,13,666	1,73,769	2,77,607	2,59,984
10. प्रवक्षयण	14,90,976	11,27,221	3,72,744	2,81,805	3,72,744	2,81,806	7,45,488	5,63,610
11. यात्रा और परिवहन :								
(क) कौंसिल सदस्य	12,56,386	10,45,080	2,53,136	2,23,768	6,45,802	5,06,383	3,57,448	3,14,929
(ख) कर्मचारी और अन्य	7,06,892	4,88,135	1,39,245	1,00,017	2,58,344	1,71,783	3,09,303	2,16,335
12. पुस्तकालय रखरखाव	1,03,942	85,675	—	—	57,862	38,928	46,080	46,747
13. विदेशीय सम्बन्ध	4,89,182	4,03,476	—	—	4,89,182	4,03,476	—	—
14. व्यावसायिक शुल्क	2,57,793	2,41,295	1,03,324	34,659	87,052	1,08,700	67,417	97,936
15. चुनाव	—	7,01,385	—	7,01,385	—	—	—	—
16. अन्य	19,13,554	12,96,353	—	—	13,05,271	7,63,801	6,08,283	5,32,552
उप-योग	401,11,242	342,66,938	52,13,877	50,77,791	114,91,963	89,83,277	234,05,402	202,05,870
17. समय से पहले के समायोजन	**3,91,946*	49,441	21,825	—	1,36,655	35,853	2,33,466	13,588
योग	405,03,188	343,16,379	52,35,702	50,77,791	116,28,618	90,19,130	236,38,868	202,19,458

*चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण जनवरी से मार्च 1986 तक का पिछला देय सम्मलित है ।

दि इनसटीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया, नई दिल्ली
वर्ष 1986-87 हेतु सदस्यों के व्यय का विवरण

क्रमांक	विवरण	1986-87	1985-86
		रु.	रु.
1.	(क) सदस्यों की संख्या	44,634	40,331
	(ख) कुल खर्च*	16,864	14,097
2.	प्रति सदस्य कुल व्यय	378	350
3.	रेगुलेटरी		
	(क) कुल खर्च*	5,236	5,078
	(ख) प्रति सदस्य कुल व्यय	117	126
	(ग) प्रतिशत	31 प्रतिशत	36 प्रतिशत
4.	वरीयता युक्त विकास एवं अनुसंधान		
	(क) कुल खर्च*	11,628	9,019
	(ख) प्रति सदस्य व्यय	261	224
	(ग) प्रतिशत	68 प्रतिशत	64 प्रतिशत

* रुपये हजारों में

दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया, नई दिल्ली
31 मार्च, 1987 को समाप्त वर्ष में वित्तीय स्थिति में परिवर्तन का विवरण

(लाख रुपयों में)

	1986-87	1985-86
कोषों का स्रोत		
निवेशों, संपत्ति कोषों से निवल आय (पूंजी एवं राजस्व)	26.46	20.57
पूंजी प्राप्तियां—प्रवेश शुल्क, दान आदि के रूप में	33.42	12.20
निवेश की वापसी	—	15.11
चालू पूंजी में कमी	12.47	—
योग	72.35	47.88
वर्ष का अधिक्य बिना मूल्य ह्रास चार्ज किये तथा निवेशों तथा संपत्तियों से अपरिचालित आय पर विचार किये हुए	35.61	02.32
	107.96	50.20
कोषों का विनियोग		
चल पूंजी में बढ़त	—	32.11
अचल पूंजी का अधिग्रहण	35.14	18.09
निवेशों का अधिग्रहण	72.82	—
निवेशों का अधिग्रहण		
	107.96	50.20

चल पूंजी में परिवर्तन का विवरण

(लाख रुपयों में)

	1986-87	1985-86
चालू संपत्तियां		
क. प्रकाशन, पठन सामग्री एवं लेखन सामग्री	05.35	(—)04.08
ख. प्राप्य राशि		
1. निवेश पर ब्याज	02.47	01.22
2. गृह निर्माण ऋण पर ब्याज	01.48	01.27
3. अन्य	(—) 01.34	02.85
ग. ऋण एवं अग्रिम		
1. कर्मचारियों को अग्रिम	06.62	03.92
2. विद्यार्थियों को ऋण, छात्रवृत्तियों	00.27	(—) 03.31
3. अन्य	10.87	02.64
घ. नकद एवं बैंक अधिशेष	(—) 20.65	06.87
योग :	04.33	11.48
चालू देयताएं		
क. अग्रिम प्राप्त शुल्क	(—)00.23	(—) 14.25
ख. व्यय के लिए ऋणदाता	14.54	01.68
ग. अन्य देयताएं	02.49	(—)08.06
	16.80	(—)20.63
चालू पूंजी में निवल बढ़त/कमी (—)	(—) 12.47	32.11

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Dllhi, the 15th September, 1987

NOTIFICATION

(Chartered Accountant)

No. 1-CA(5)|038|87.—In pursuance of Sub-Section (5) of Section 13 of the Chartered Accountants Act, 1949, a copy of the Report and the Audit Accountants of the Council for the year ended 31st March, 1987 is hereby published for general information :—

In accordance with the provisions of Section 18(5) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council has pleasure in presenting its 38th Annual Report. The Report contains statistical information and accounts of the Institute for the year ended March 31, 1987 and information regarding other activities upto September, 1987.

1. THE COUNCIL

1.1 Members of the Council and its various committees

The 13th Council which consists of 24 members of the Institute elected from five regional constituencies and 6 members nominated by the Central Government was constituted on 17th September, 1985. It will hold office till 16th September 1988. The composition of the Council and its committees for the period under report is given in APPENDIX 1.

1.2 President and Vice-President

Shri P.A. Nair and Shri R. Balakrishnan continued as President and Vice-President respectively until 16th September, 1986. At its meeting held in September, 1986 the Council elected Shri R. Balakrishnan and Shri S.K. Dasgupta as President and Vice-President respectively for a term of one year with effect from 17th September, 1986.

1.3 Council Meeting

During the year 1986-87 the Council held five meetings. Details of such meetings are given in the table below :—

No. of the Meeting	Dates	Place
118th	3rd, 4th & 5th Apri, 1986	Calcutta
119th	3rd, 4th & 5th July, 1986	New Delhi
120th	15th, 16th & 17th September, 1986	New Delhi
121st	4th, 5th & 6th December, 1986	New Delhi
122nd	12th, 13th & 14th February, 1937	Madras

2. INTERNATIONAL RELATIONS

2.1 International Federation of Accountants

(a) The Institute continues to be a member of the International Federation of Accountants (IFAC). India continues to be an elected member of the Council of the IFAC and is also represented on its Education Committee, International Auditing Practices Committee. and Financial and Management Accounting Committee. The elections to the next IFAC Council are scheduled to be held in October, 1987. India has expressed its intention and willingness to stand for the said election.

(b) Shri A.C. Chakrabortti, Calcutta a past President of the Institute, is the Indian representative on the Council of the IFAC. He succeeds Shri B.L. Kabra, Bombay.

(c) Shri P.A. Nair, Bombay a past President of the Institute is the Indian representative on the Education Committee of the IFAC. He succeeds Shri Bansi S. Mehta Bombay.

(d) Shri R. Balakrishnan President of the Institute is the Indian representative on the International Auditing Practices Committee of the IFAC. He succeeds Shri Y.H. Malegam, Bombay.

2.2. International Accounting Standards Committee

The Institute continues to be a member of the International Accounting Standards Committee.

2.3 Confederation of Asian and Pacific Accountants

India continues to be represented on the Executive Committee of the Confederation of the Asian and Pacific Accountants through our sister Institute the Institute of Cost & Works Accountants of India.

2.4 South Asian Federation of Accountants (SAFA)

A meeting of the Assembly of the South Asian Federation of Accountants (SAFA) was held on December 17, 1986 at Calcutta. At the meeting Mr. Ebrahim S.H. Dahodwala of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan was elected as President of SAFA for the year 1987. Mr. Mohd. Yunus of the Institute of Charterod Accountants of Bangladesh was elected as the Vice-President for a similar term. The Chairmanship of the Technical Standards Committee of SAFA was given to our Institute. Accordingly Shri S.K. Dasgupta has been nominated as Chairman of the Technical Standards Committee. The Committee has been entrusted with the task of carrying out a comparative study of technical standards in member countries.

A meeting of the SAFA Assembly and the Second SAFA Conference were held in Karachi (Pakistan) in March, 1987. Shri R. Balakrishnan attended the Assembly meeting as Institute's representative on

the Assembly. He also attended the SAFA Conference and the Silver Jubilee Celebrations of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan. The delegation ot Pakistan from our Institute included Shri S.K. Dasgupta, Vice-President, Shri R.L. Chopra, Secretary and Dr. Kamal Gupta, Technical Director.

2.5 11th CAPA Conference

The 11th CAPA Conference was held in Melbourne (Australia) from November 9-13, 1986. The Conference was hosted by the Australian Society of Accountants and the Institute of Chartered Accountants in Australia. The venue of the Conference was Centennial Hall in the Exhibition building at Melbourne. The theme of the Conference was "Accountancy's Image—Challenge and Change". This was covered in six plenary sessions. There were also 24 Workshop Sessions.

Shri Bhaskar Banerjee, FCA, Calcutta a member of the Institute was the joint author of paper at the Plenary Session I on "Accountants—Their Professional and Social Responsibilities Today and Tomorrow". The delegation of the Institute to the Conference was led by Shri R. Balakrishnan President of the Institute. A list of the delegates who attended the conference is given at APPENDIX II.

2.6 XIIIth World Congress of Accountants

The XIIIth World Congress of Accountants is scheduled to be held in Tokyo (Japan) from October 11—15, 1987. The theme of the Congress is "Role of Accountants in Computer Environment". Our Institute is sending a delegation to the Congress under the leadership of Shri S.K. Dasgupta. Shri R.N. Roy, a member of our Institute has been selected as preparer of a paper on "Audit of Simple EDP Systems".

2.7 Overseas Seminar

The Dubai Chapter of the Institute organised a seminar in April, 1987 in which recent trends in accounting auditing & corporate finance were discussed. The seminar was attended by about 70 members.

2.8 Responses to International technical documents

The Institute continues to respond to the technical documents issued by the International Federation of Accountants and International Accounting Standards Committee.

2.9 Visits of foreign dignitaries

Prominent foreign dignitaries who visited the Institute during the year included Mr. Robert L. May, (President of the IFAC), Mr. Robert N. Sempier (Executive Director of the IFAC), Mr. Keith Tay (President Singapore Society of Accountants) and Mr. Lam Peck Hang (Registrar/Executive Director Singapore Society of Accountants).

3. PROFESSIONAL DEVELOPMENT ACTIVITIES

3.1 General

The following paragraphs give a brief review of the Professional Development activities of the various non-standing committees constituted by the Council of the Institute during the Council year i.e., September, 17, 1986 to September 16, 1987. The review does not include the activities of the period from April 1, 1986 to September 16, 1986 as these have already been included in the 37th Annual Report submitted last year. It does not also include details of the activities of the Regional Councils and their branches.

3.2 Accounting Standards Board

(a) Issuance of Accounting Standards

Since the issuance of the Preface to the Statement of Accounting Standards in January 1979, the Council has issued the following ten definitive Accounting Standards :—

(i) Accounting Standards—1 on "Disclosure of Accounting Policies" (AS—1)—Noember, 1979.

(ii) Accounting Standard—2 on "Valuation of Inventories" (AS—2)—June, 1981.

(iii) Accounting Standard—3 on "Changes in Financial Position" (AS—3) June, 1981.

(iv) Accounting Standard—4 on "Contingencies and Events Occurring after the Balance Sheet Date" (AS—4)—November, 1982.

(v) Accounting Standard—5 on "Prior Period and Extraordinary Items and Changes in Accounting Policies" (AS—5)—November, 1982.

(vi) Accounting Standard—6 on "Depreciation Accounting" (AS—6)—November, 1982.

(vii) Accounting Standard—7 on "Accounting for Construction Contracts" (AS—7)—December, 1983.

(viii) Accounting Standard—8 on "Accounting for Research and Development" (As—8)—January, 1985.

(ix) Accounting Standard—9 on "Revenue Recognition" (AS—9)—November, 1985.

(x) Accounting Standard—10 on "Accounting for Fixed Assets" (AS—10)— November, 1985.

Apart from the above, the Board has also issued a guidance note on "Terms Used in Financial Statements".

(b) Implementation of Accounting Standards

In pursuance of efforts to implement Accounting Standards, the Council of the Institute at its 120th meeting held in September, 1986 decided that

Accounting Standard—4 (AS—4) on "Contingencies and Events Occurring After the Balance Sheet Date" and Accounting Standard—5 (AS—5) on "Prior Period and Extraordinary Items and Changes in Accounting Policies" issued by the Institute should be mandatory in respect of accounts for period commencing on or after 1.1.1987. It is intended to make other standards also mandatory in a phased manner.

With a view to give wide publicity about the utility of Accounting Standards, a publicity brochure has been prepared by the Board and the same has been circulated among various organisations. The brouchure gives details about the composition of the Board, its objectives and procedure for developing of Accounting Standards. In addition, the topic of Accounting Standards was discussed in a large number of seminars during the period under report to enable familiarisation with the Standards.

(c) Accounting Standards Under Formulation

Standards on the following subjects are under formulation :—

(i) Accounting for Taxes on Income.

(ii) Accounting for Retirement Benefits in the Financial Statement of Employers.

(iii) Accounting for the Effects of Changes in Foreing Exchange Rates.

(iv) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance.

(v) Accounting for Investment.

3.3. Auditing Practices Committee

(a) Long-Form Audit Report in Bank Audits

At the behest of the Reserve Bank of India, the Committee reviewed the questionnaires dealing with long-form audit reports in the case of banks and their branches. The suggestions of the Committee for modifications in the questionnaires, based on the experience of members in implementing the requirements thereof, have been submitted to the Reserve Bank. It may be mentioned that the requirement for submission of long-form audit reports by statutory and branch auditors has recently been introduced by the public sector banks on the advice of the Reserve Bank of India.

(b) Statements on Standard Auditing Practices and Guidance Notes.

During the year, the Concil approved the publication of following drafts prepared by the Committee :—

(i) Statement on Standard Auditing Practices (SAP) 4—"Fraud and Error".

(ii) Guidance Note on "Control of the Quality of Audit Work".

Apart from the above, the Committee issued exposure drafts of the Statements on Standard Auditing Practices dealing with the following subjects :—

(i) Audit Evidence.

(ii) Study and Evaluation of the Accounting System and Related Internal Controls in connection with an Audit.

(iii) Relying Upon the Work of an Internal Auditor.

Statements on Standard Auditing Practices on the following subjects are at various stages of formulation :—

(i) Auditing in an EDP Environment.

(ii) Planning.

(iii) Analytical Review.

(iv) Using the Work of Another Auditor.

Guidance Notes on the following subjects are also being prepapred :—

(i) Audit of Investments.

(ii) Audit of Inventories.

(iii) Audit Engigagement Letters.

The Committee has constituted study groups at Bombay, Calcutta and Madras to prepare preliminary drafts of the Statements on Standard Auditing Practices for the consideration of the Committee. Another study group at Delhi is engaged in the task of developing preliminary drafts of the Guidance Notes based on the Institute's existing publication titled "Statement on Auditing Practices".

3.4 Research Committee

(a) Published Literature

The following publications have been released for sale during the year :—

(i) Compendium of Guidance Notes— Volume I, (1987) containing Guidance Notes issued upto 30th June, 1985 and revised upto 31st March, 1987.

(ii) Guidelines on Internal Audit - Construction In Industry.

The following publications are expected to be released shortly :—

(i) Compendium of Guidance Notes—Volume II, Containing Guidance Notes issued after 30th June, 1985 and upto 31st March, 1987.

(b) Studies in the process of publication

(i) Accounting and Auditing Technical Guide on Fertilizer Industry.

(ii) Guidelines on Internal Audit —Sugar Industry.

(c) Publications under finalisation by the Committee

(i) Study on Use of Financial Information for Determination of Sickness in Industry.

(ii) Accounting and Auditing Technical Guide son:
(a) Automobile Industry.
(b) Drugs and Pharmaceutical Industry.

(iii) Guidance Note on Accounting for Leases.

(iv) Accountant's Guide to Foreign Exchange Regulation Act.

(v) Guidelines on Internal Audit—Tyre Industry.

(vi) Guidance Note on Accounting for MODVAT.

(vii) Revision of "The Payment of Bonus Act, 1965—An Accountant's Study".

(viii) Revision of "Study on Valuation of Shares".

(d) Projects in Progress

(i) Statistical Sampling Techniques—An Aid to Audit Practices

(ii) Guidelines on Internal Audit—Textile Industry

(iii) Accounting and Auditing Technical Guide—Hotel Industry

(iv) Impact of the Pronouncements of the Institute on the Financial Statements of Companies

(v) Accountant's Guide of Law of Customs Duty.

(vi) Studies on :
(a) MRTP Act
(b) Insurance Audit—LIC
(c) Audit of Public Trusts
(d) Hospital Accounting and Management Control Systems
(e) Computer and the Auditor

(vii) Management Control and Accounting Systems in Non-Profit Sector of Indian Economy

(e) Existing Publications in the Process of Revision

(i) Statement on Treatment of Retirement Gratuity in Accounts

(ii) Technical Guide for Audit of Educational Institutions

(iii) Technical Guide for Audit of Cooperative Societies

(iv) Price Fixation in Indian Industries

(v) Guidance Note on Accounting Treatment of Reserves in Amalgamations

(vi) Statement on Changes in the Mode of Charging Depreciation in the Accounts

(f) Shield Panel

Annual Award of Prizes for the Best Presented Accounts of Companies and Non-Financial Statutory Corporations for 1985-86

The Panel of Judges for the Annual Competition for the year 1985-86 have adjudgd the Annual Report and Accounts of

THE MINERALS AND METALS TRADING CORPORATION OF INDIA LIMITED

(For the year ended 31st March, 1986)

as the best and accordingly it has decided to award its Silver Shield to this Company.

The Panel of Judges have also highly commended* the Annual Reports and Accounts of the following companies and have accordingly decided to award the Plaques to :—

1 THE ASSOCIATED CEMENT COMPANIES LTD.
(For the year ended 31st July, 1985)

2 ENGINEERS INDIA LIMITED
(For the year ended 31st March, 1986)

3 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED
(For the year ended 31st March, 1986)

The Panel of Judges also considered the Accounts of Banks and Financial Institutions and adjudged the Annual Report and Accounts of

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

(For the year ended 30th June, 1985)

as the best among the entries received from banks and financial institutions and have accordingly decided to award the Silver Shield to this Corporation.

The Panel of Judges separately considered the Accounts of entries such as Public Trusts, Cooperative Societies, Research and Educational Institutions etc. and adjudged the Annual Report and Accounts of

PETROFILS CO-OPERATIVE LTD.

(For the year ended 30th June, 1985)

as the best among the entries received and have accordingly decided to award the Plaque to it.

3.5 Professional Development Committee

(a) Empanelment procedure and other matters relating to audit of accounts of branches of nationalised banks and regional rural banks.

At the request of the authorities concerned; the Committee collected information from practising members of the Institute for empanelment as auditors of public sector banks and their branches including regional rural banks for the year 1987 in accordance with the guidelines indicated by the

*The listing of the companies whose accounts have been highly commended is alphabetical and it does not denote any ranking on the basis of merit.

authorities. The information given by members who submitted their applications was computerised and the same was sent to the authorities concerned. The Committee also took up a number of issues regarding the empanelment with the authorities on the basis of the representations received from members.

(*b*) *Internal Audit*

(i) A residential course on Internal Audit was organised from October 25 to 29, 1986 at Aurangabad to discuss various aspects of internal audit function.

(ii) The Seventh All India Conference on Internal Audit was held at Bangalore on September 5-6, 1987, and discussed the various aspects of the internal audit function and deliberated on the expanding role of the internal auditor. There were four technical sessions in the conference to discuss the various aspects of Internal Auditing through twelve papers.

(c) Seminars on Internal Audit of Banks and Financial Institutions

Two one-day seminars on Internal Audit of Banks and Financial Institutions were held at Bombay and Madras in April 1987. The seminars discussed various aspects of internal audit relating to banks and financial institutions.

(d) Internal Audit of Banks

A representation was made to the nationalised banks emphasising the need and to utilise the services of Chartered Accountants in a greater degree for carrying out concurrent or internal audit of their banks and branches. In response to our request, the nationalised banks have informed us that they are utilising the services of Chartered Accountants for the purpose. In order to provide help and guidance to the members in carrying out these audits smoothly and efficiently the Committee has decided to bring out a Guidance Note on Internal Audit of Banks. The Guidance Note is under preparation.

(e) Amendment of Co-operative Societies Act to provide for audit of Co-operative Societies by Chartered Accountants

At the behest of the Committee, the Regional Councils and branches of Regional Councils at State Capitals have represented to the appropriate authorities in their State(s) for the amendment of the Co-operative Societies Act to provide for audit of Co-operative Societies by Chartered Accountants. The members of the Council have also been pursuing the matter with various State authorities. The Andhra Pradesh Government has issued circulars indicating that (a) District Co-operative Audit Officers could entrust audit to any chartered accountant in the case of an institution where audit was in arrears and (b) entrustment of internal audit of accounts of co-operative sugar factories to chartered accountants and (c) constitution of State level Committee wherein one of the representative would be a chartered accountant. In some other States also e.g. Himachal Pradesh and Maharashtra the authorities have agreed to increase the involvement of chartered accountants in the audit of Co-operative Societies.

(f) Guidelines on Import and Export Certificates

The Import and Export Policy and Hand-book of Imports and Exports procedures 1985—88 issued by the Chief Controller of Imports and Exports contains various forms requiring certification by chartered accountants. The Committee is making efforts to bring out a guidance note to assist the members in discharging their duties while certifying information as prescribed by the authorities.

(g) Making Self-regulatory Measures Mandatory

The Council has been issuing from time to time certain self-regulatory measures with the objective of ensuring equitable flow of professional work among members of the Institute. A complete text of the self-regulatory measures was last published in 1986 edition of the publication "Professional Opportunities for Members—An Appraisal."

The Council at its 122nd meeting held in May 1987 decided that the self-regulatory measures relating to non-acceptance of audit work below a certain fee should be made mandatory. A notification on the subject has been published in June 1987 issue of "The Chartered Accountant".

3.6 Committee for Members in Industry

(a) A committee for Members in Industry had been formed with the following objectives:—

(i) consider ways and means to enhance participation of members in service in the affairs of the Institute.

(ii) consider matters affecting members in service and in particular to consider problems relating to career planning ethics and other related matters as they affect the members in service.

(iii) provided employment service both for the benefit of the members seeking employment in industry and the prospective employers; and

(iv) explore and develop fresh avenues of employment for members in industry.

The Committee comprises a number of eminent members in industry.

(b) Pursuant to the decision of the Committee, the Regional Councils have formed committees for Members in Industry in their Regions, which hold regular meetings for discussing matters relating to

Members in Industry in their Regions and also organise seminars from time to time on topics of interest to Members in Industry.

(c) A residential course for Finance and Accounts Executives in Industry was organised from April 22-26, 1987, at Kathmandu.

3.7 Company Law Committee

(a) Residential Course on Taxation and Company Law

The 10th Residential Course on Taxation and Company Law was held jointly by the Taxation and Company Law Committees at Srinagar from 17th to 21st May, 1987, in which 56 persons representing industry and profession participated.

(b) Clarifications on guidelines on Cumulative Convertible Preference Shares issued by the Controller of Capital Issues.

Clarifications on certain issues of the guidelines on Cumulative Convertible Preference Shares were sought by the Institute from the Controller of Capital Issues, Department of Economic Affars, Ministry of Finance, Government of India. On the basis of the reply received from the Controller of Capital Issues, the salient issues on which the clarifications were sought along with the replies thereto received from the Controller of Capital Issues were published in the December, 1986 issue of "The Chartered Accountant" for the information of the members.

(c) Stand of the Institute on Circular No. 1/86 dated 21.5.86 issued by the Department of Company Affairs regarding determination of depreciation under Section 205(2)(b) of the Companies Act, 1956.

A guidance note on accounting for depreciation consequent to changes in depreciation rates was published by the Institute in October, 1986 issue of "The Chartered Accountant" for the information of the members.

(d) Propriety or otherwise of the provision for depreciation under the Straight Line Method as envisaged by Section 205(2)(b) of the Companies Act, 1956 without providing any extra/multiple shift allowance provided under the Income-tax Act, 1961.

On a reference from the Department of Company Affairs, the Institute reiterated its stand in this regard that provision of full depreciation including extra/multiple shift allowance depending upon the use of the machinery was essential for the disclosure of a true and fair view and that in cases where depreciation had not been provided in extra/multiple shift allowance, it would be necessary for the auditor to qualify his report accordingly.

(e) Amendments for the Return of Deposits prescribed under the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975.

The Department of Company Affairs suggested to the Institute that in order to ensure uniformity in the matter of certification by the auditors in respect of Return of Deposits, it should consider the prescription of a format in this regard particularly to provide that the contravention noticed by the auditor should be mentioned in the auditor's certificate. Accordingly a format of certificate was designed by the Institute for its being issued by the auditor of a company pursuant to the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975 and was sent to the Department of Company Affairs.

(f) Dialogue with Government on Company Law

The Committee continued to discuss with the Government and respond to the various issues related to Company Law.

3.8 Taxation Committee

(a) Residential Course on Taxation and Company Law

The 10th Residential Course on Taxation and Company Law organised jointly with the Company Law Committee,was held in Centaur Lake View Hotel, Srinagar from 17th to 21st May, 1987. 56 delegates from different parts of the country attended the course.

(b) The 19th All India Seminar on Taxation and Company Law

The 19th All India Seminar on Taxation and Company Law organised by the Taxation and Company Law Committees of the Institute took place in Hyderabad from 21st to 23rd August, 1987. The Chief Minister of Andhra Pradesh Shri N.T. Rama Rao inaugurated the Seminar. About 600 delegates from different parts of the country participated in the Seminar. There were six technical sessions—4 devoted to Taxation and 2 devoted to Corporate Laws. The six technical sessions were Chaired by Sarvashri P.N. Shah, Ashok Kumbhat, S.K. Dasgupta, Ch. G. Krishnamurthy, Justice Anjaneyulu and Dadi Engineer respectively. Sarvashri Venugopal C. Govind, A.H. Dalal, S.C. Vasudeva, N.K. Poddar, Dr. R.C. Vaish and B. Shankar acted as Rapporteurs. 12 Technical Papers—8 relating to Taxation and 4 relating to Corporate Law—contributed by eminent members of the profession were discussed in the Seminar. The valedictory address was delivered by Shri A. Sambasiva Rao, Retired Chief Justice of A.P. High Court and Lok Ayuktha, Andhra Pradesh government.

(c) Memoranda/Representations submitted

(i) A memorandum on the Discussion Paper on Simplification and Rationalisation of Tax Laws was submitted to the Finance Minister, Chairman CBDT and other authorities on 3rd October, 1986.

(ii) In response to a suggestion made by the Finance Minister, a workshop on Discussion Paper was organised at Bombay on 22.1.1986. About 60 selected members of accountancy and legal profession met the Finance Minister at this workshop and exchanged views on various proposals.

(d) Study Group on Taxation of Expenditure.

In response to an invitation from the Government's Study Group on Taxation of Expenditure, a delegation of the Institute consisting of the President, Shri R. Balakrishnan and Shri P.M. Narielvala, a former President met the Study Group on 25th September, 1986 and discussed various issues relating to Taxation of Expenditure.

(e) Central Budget

As usual, Pre-budget and Post-budget Memoranda were submitted to the Finance Minister and other authorities. A meeting of the representatives of various professional bodies was convened to consider the implications of Clause 49 of the Finance Bill, 1987 which proposed enlargement in area of tax deduction at source. As per the consensus arrived at the meeting, a joint memorandum was submitted to the Government pointing out the difficulties likely to arise on the introduction of the relevant provisions as proposed in the Finance Bill, extending the scope of tax deduction at source to items like royalties, technical fees, rent, professional fees etc. The Government reacted favourably by withdrawing the proposals from the Finance Bill.

(f) Representation to CBDT

A representation was submitted to the CBDT on 6th May, 1987 pointing out the hardship arising out of the Income-tax (Second Amendment) Rules, 1987, which restrict the scope for investment of funds of approved gratuity funds and pleading for restoration of the earlier facility of investment in approved schemes like Central Government Special Deposit Scheme. The restriction has been lifted recently by the Government.

(g) Representation to Department of Company Affairs.

A representation was sent to the Secretary, Department of Company Affairs, pointing out the anomalies arising due to the Cost Audit Report (Amendment) Rules, 1986, which have amended the Cost Audit (Report) Rules, 1968 as well as the Schedule in the Annexure to the Cost Audit Report. The representation has pleaded for deletion of item (n) from paragraph 11 of the Schedule as it seeks to cover the same areas as those covered by the Tax Audit Report. The Department of Company Affairs is now re-examining this matter.

(h) Publications

(i) At Guidance Note on Audit under Section 32AB of the Income-tax Act was brought out explaining the implications of the provisions of Section 32AB of the Income-tax Act and the requirements of Audit under the provisions.

(ii) A Guidance Note on Audit under Section 80HHB and 80HHC was also brought out explaining the implications of these provisions and the various issues likely to be faced by the assessees as well as the auditors in the context of application of these provisions and carrying out audit for the purposes.

3.9 Continuing Professional Education Committee

(a) Seminars & Courses

Under the Continuing Education Programme, a number of seminars and courses were organised during the year. For details please see APPENDIX III

(b) Results of Post Graduate Courses

Examinations of the Management Accountancy/Corporate Management/Tax Management Courses (Part I) were held under the revised syllabus in November, 1986 and examinations of the Management Accountancy Course (Part I) was held under the revised syallabus in May, 1987. The summarised results of the examinations held in November, 1986 and May, 1987 are given in APPENDIX IV.

(c) Merit Scholarships

Scholarships of Rs. 500 each were granted to 10 candidates for purchase of books under the incentive scheme of the Management Accountancy Course. It has been decided to extend the scheme to the participants of the Corporate Management and Tax Management courses also.

(d) Management & Economic Quarterly Digest

Since September, 1986 four issues of the Management and Economic Digest (a journal containing abstracts of important articles on contemporary issues in management and economics) have been brought out. This publication is now being subscribed to by about 1500 members.

(e) Practical training/passing of MAC

The number of candidates registered during the year for practical training under Part II of the Post Graduate Courses was as under :—

(i) Management Accountancy Course 15

(ii) Corporate Management Course 4

(iii) Tax Management Course 3

The following members completed both parts of the Post Qualification Course in Management Accountancy :- -

(i) Shri R. Narayanaswamy (M. No. 20761)

(ii) Shri S. Balasubramanian (M. No. 9079)

(f) In-house Computer Centres

As decided earlier, three in-house computer centres at regional offices at Madras, Calcutta and Bombay have been sent up to provide well designed courses for students and members. A four-tier training programme is envisaged to impart thorough training. A number of programmes have been organised for students and members and we have had a very encouraging response. Summary of computer courses organised by the Computer Centres is given in APPENDIX V. Two courses on Controls and Auditing in Computer Environment were organised for executives from C& A. G.'s office. Similar courses are being organised for organisations like LIC, STC, etc. Efforts are being made to start courses at the Computer Centres at Kanpur and Delhi.

3.10 Expert Advisory Committee

(a) Since the last report in September, 1986, the Committee received 56 queries (including 5 pending at the beginning) and disposed of 50 of them. 3 queries are under consideration and 3 queries are pending as additional information has been sought from the querists.

(b) The "Compendium of Opinions", Volume VI, containing the opinions of the Committee between September, 1985 and September, 1986, along with a Composite subject-wise alphabetical index on the opinions contained in all the earlier five volumes, has been released for sale.

(c) The revised edition of Volume I of the Compendium of Opinions has been released for sale.

(d) Brief versions of important opinions of the Committee are being published in each issue of "The Chartered Accountant" for information of all readers.

3.11 Ethical Standards Committee

(a) The Committee had occasion to examine various queries on Professional Ethics and interpretation of the Code of Conduct. These queries were dealt with by the Committee and the members concerned were advised suitably.

(b) The Committee issued a Guidance Note on the question whether a member can audit the accounts of a concern of which he or his relative is either an owner or partner or in which he or his relative is a Director. The recommendations of the Committee were placed before the Council which approved the same and the Guidance Note was published in the May 1987 issue of "The Chartered Accountant".

(c) The Committee also published a guideline in the Journal for urging the members to be careful in observing the provisions of clause(6) of Part I of the First Schedule to the Act both in letter and spirit while giving any interview or otherwise furnishing details about themselves or their firms in public interviews which would result in publicity. The members were requested to ensure that such interviews or details about the members or their firms were not utilised for soliciting professional work or advertising the professional attainments of the members or their firms.

(d) The Committee has revised the Code of Conduct published by the Institute in the light of decisions made by the Council from time to time as also the decisions taken by the International Federation of Accountants so as to make it more comprehensive and readable.

(e) The Committee has modified the definition of substantial interest as contained in Appendix 10 to the Chartered Accountants Regulations, 1964 and to Appendix 18 to the Chartered Accountants Act,1949.

(f) The Committee has made certain recommendations on the manner of signing of letters and documents by firms of Chartered Accountants. The said recommendations after being considered by the Council would be made a part of the Code of Conduct of the Institute.

(g) An announcement has been made by the Committee in the Journal of the Institute advising the members to ensure that they do not allow their names or the names of their firms tobe published in the press along with any balance sheet analysis published in respect of any company audited by them.

3.12 University Liaison Committee

(a) Seminars

With a view to strengthen coordination between the universities and the Institute, an All India Seminar on "Accounting Standards, Education and Corporate Reporting Practices" was organised in New Delhi on 28th and 29th March 1987. The participants included members of the commerce faculties of various universities and colleges and members from the profession.

(b) Endowments for awarding gold medal/prize to students securing the highest marks in Accountancy at the B.Com. examination

A sum of Rs.3,000/-was remitted to the Sukhadia University, Udaipur for creating the endowment.

The Committee has also decided to create further endowments of Rs. 5000/-each at the following universities :

(1) Banaras Hindu University, Varanasi; (2) Guru Nanak Dev University, Amritsar; (3) Bharathiar University, Coimbatore; (4) Bharathidasan University, Tiruchirapalli.

(c) Feedback from universities about the award of the ICAI prize/gold medal out of the endowments created by the Institute

Action was initiated to obtain feedback from the universities about the aware of ICAI Prize/Gold Medal. Many universities have started sending the names of awardees. These names along with their photographs are being published in the Institute s journal "The Chartered Accountant".

(d) Exemption from payment of tuition and registration fees to the students joining C.A. Course

To attract meritorious students to the profession of chartered accountancy, the Councilhas decided that the candidates obtaining first three positions in commerce degree examination of each university shall be registered as articled clerks without payment of any tuition and registration fees on or after 1-1-1987.

(e) Recognition of C.A. course by universities for Ph. D. programme

Further letters were written to the Vice-Chancellors of the vrious universities for recognising the C.A. course for pursuing the Ph. D. programme.

(f) Popularisation of C.A. Course

Copies of the brochure 'Career as a Chartered Accountant were sent to the universities, colleges and Bureau of Vocational Guidance in different universitis for display on their Notice Boards. Copies of the brochures were also sent to the Chairmen of the Regional Councils/Branches and they were requested to arrange lectures in the colleges of their regions/areas to apprise the students of the prospects of Chartered Accountancy profession.

(g) Model Syllabus for B. Com. Course.

Copies of the nodel syllabus for B. Com. Course prepared by the Committee were sent to the University Grants Commission and the Association of Indian Universities for getting the same adopted by the universities.

4. OTHER MATTERS

4.1 Committee on Public Relations

(i) The Committee on Public Relations undertook several programmes to promote wider understanding of the functions of the Institute and project a better image of the profession.

(ii) An extract from the 37th Annual Report for the year ended March 21, 1986 was published in several leading newspapers. Reports of the annual meeting, featuring the annual award of prizes for the best presented accounts and for the prize-winners in the examinations of the Institute were also carried by leading newspapers,

(iii) Publication of the ICAI Newsletter was continued to apprise the public in general about the policies framed and objects pursued by the Council. It is distributed to various government departments, chambers of commerce, financial institutions and other bodies.

(iv) The publication of a folder on "Career as a Chartered Accountant" was brought out for distribution among university and college students.

(v) Clarifications were issued from time to time in daily newspapers to correct the wrong impression or to highlight policy issues, wherever called for.

(vi) Press conferences were held by the President in different parts of India to project the view-point of the Institute on the uniform adoption of accounting standards revision of new syllabus and other matters. The views of the Institute were carried by leading newspapers.

(vii) Visits of the President and Vice-President to various regional councils and branches were covered by the local press.

(viii) Comments of the Institute on matters concerning the profession and matters of general importance were put out through press statements from time to time,

4.2 11th All India Conference of Chartered Accountants.

As a part of the continuing education activities of the Institute for the benefit of members, the 11th All India Conference of Chartered Accountants was held from 18th to 21st December,1986 at Calcutta. The Conference theme was "Challenges of the Nineties". The conference was inaugurated in the evening of the 18th December 1986 by Shri T.N. Chaturvedi, the Comptroller & Auditor General of India. The Valedictory address at the Conclusing Session, was delivered by Honble Shri Sabyasachi Mukharji, Judge, Supreme Court of India on 21st December, 1986.

The Conference was attended by 820 delegates and 60 accompanying persons from all parts of the country. In addition, members of the accountancy bodies from Sri Lanka, Bangladesh and Nepal participated in the Conference. The Conference was preceded by the Assembly meeting of the South Asian Federation of Accountants (SAFA). This meeting was hosted jointly by our Institute with the Institute of Cost & Works Accountants of India. In the

Conference, various subjects of professional importance were discussed in Four Technical sessions, i.e., Measurement Communication; Fiscal Policy & Corporate Legislation; Emerging Role of Accountants and Professional Development. At the Plenary sessions, apart from the discussion on technical papers, there were key-note speakers like Dr. Raja J. Chelliah, Senior Member, Planning Commission; Shri R.P. Goenka, President of FICCI; Shri Rameshwar Thakur, former President of the Institute and member of the Rajya Sabha and Shri V.I Dixit, Chairman-cum-Manging Director, Industrial Reconstruction Bank of India.

A statement containing the titles of the plenary sessions, the title of the papers discussed, the names of the paper-writers and commendrators and also key-no speakers is given in APPENDIX VI of this report.

Apart from the technical programme a number of other programmes were also organised for the delegates and their accompanying persons. A variety entertainment programme by Mamta Shankar Troupe was held in the evening of 19th December, 1986. For accompanying persons programmes of sight-seeing, local purchases, etc. were held.

On the eve of inauguration, an attractive Souvenir containing articles contributed by important personalities from within the country and outside the country was brought out. The surplus from the advertisement collections amounting toRs. 1,73 lakhs has bee transferred for the benefit of the Chartered Accountants Benevolent Fund. Another amount of Rs. 32,000/- approximately will contributed to the corpus of this Fund on realisation.

4.3 40th Anniversary of India's Independence and Birth Centenary of Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India.

The Government of India proposes to celebrate the 40th Anniversary of Nation's independence and the Birth Centenary of Pandit Jawaharlal Nehru, the First Prime Minister of India, The Institute has embarked upon a programme of celebrations of the two envents, which will, inter alia, include;

(i) Publication of supplements in leading newspapers highlighting the Institute's contribution in the sphere of public sector.

(ii) Furnishing information to the government about the achivements of the Institute in the last four decades and publishing the same as a separate brochure by the Institute.

(iii) Requesting regional councils and branches to hold Pt. Jawaharlal Nahru Centenary lectures at local level.

(iv) Holding of Conferences on selected themes at regional and branch level.

(v) Inauguration of buildings at regional and branch level.

(vi) Giving Nehru Awards at the Institute's Examinations.

4.4 Committee for Review of Education & Training.

The Committee for Review of Education & Training set up by the Council at its September1984 meeting has completed its inquiries and during the year held four meetings to formulate its recommendations. The report of the committee has been finalised and isunder the consideration of the Council.

4.5 "The Chartered Accountant"

(a) The Journal of the Institute "The Charterted Accountant" continued to be supplied free to the members, during the year.

(b) In view of the overall increase in the cost of its printing, the Council revised the subscription rates for the journal, as under, w.e.f. 1-1-1987;

(i) General Subscribers	Rs. 100/- p.a.
(ii) Articled/Audit Clerks	
Ongoing	Rs. 30/- p.a.
Fresh	
At the time of initial registration	Rs. 90/- for full period of practical training of 3 years.
At any subsequent date	Rs. 4/- per copy for the remaining period of articled training, payable in lumpsum.
(iii) Students (other than articled/audit clerks)	Rs. 50/- p.a.
(iv) Cost of single copy	Rs. 10/- plus postage

(c) The print order for the journal exceeds 60,000 copies per month.

(d) To improve the layout and overall get-up of the journal, its printing has been entrusted to one of the reputed presses, namely, Thomson Press (India) Ltd. and the change is evident from April 1987 issued onwards. We have been getting numberous letters lauding the improvements carried out.

(e) To elicit views from our readers on the layout and get-up of the journal, a readership survey was carried out by issuing a questionnaire. Responses received were analysed and a report based on this analysis was considered by the Editorial Board. The various suggestions received are under consideration of the Editorial Board.

(f) To encourage authors to contribute to "The Chartered Accountant", the Editorial Board has decided to pay higher honorarium if an article is exceptionally good.

(g) The Editorial Board has awarded the following Prizes for the best articles published in Volume XXXV (July, 1986 to June, 1987) of "The Chartered Accountant".—

Main Section :

1st Prize : (Rs. 1,500)	Shri D.J. Forbes, Hyderabad for his article "Developments in Company Audit"—(December 1986 issue)
2nd Prize : (Rs. 1,000)	Shri R.A. Yadav, Delhi for his artilcle "Sick Industrial Companies Legislation—Remedy or the Palliative"—(October, 1986 issue)
3rd Prize (Rs. 500)	Shri A.K. Jhunjhunwala, Calcutta for his article "Simplification of Company Law & MRTP Act" (February, 1987 issue).

Student's Section

1st Prize: (Rs. 750)	Shri D'Souza Dolphy John, Bombay for his article "Responsibility Concept in Budgeting', (December, 1986 issue).
2nd Prize (Rs. 500)	Shri Madhusudan Aggarwal, Delhi for his article "Carry forward and Set-off of Unabsorbed Depreciation Allowance" (June, 1987 issue).

4.6 Changes in the Chartered Accountants Regulations

The following major changes have been made in the Chartered Accountants Regulations after approval of the Central Government:—

1. Amendment is Paragraph 10A of Schedule 'B' giving certain exemptions to the students of the Final (Old Syllabus) Examination, who had passed the said Old Syllabus Examination in one group, from the corresponding papers of Final (New Syllabus) Examination. [Notification No. 1-CA (152)/86 dated 23-7-1986 published in "The Chartered Accountant" for August, 1986].

2. Amendment of Regulation 136(2) reducing the requirement for setting up a branch of a regional council in a State or Union Territory which does not have either the headquarters of a regional council or a branch of the regional council, from 100 members to 50 members.

[Notification No. 1-CA(7)/154/87 dated 19th May, 1987—published in "The Chartered Accountant" for June, 1987].

3. Amendment of Regulations 48A(4) and 48A(5), with effect from 1-7-1987, increasing the remuneration payable to an audit clerk to a minimum of Rs. 500/- per month, where his normal place of service it situated in a city with a population of two million and above and Rs. 350/- per month in other cases. [Notification No. 1-CA(7)/154/87 dated 19th May, 1987—published in "The Chartered Accountant" for June, 1987].

4. The Codified Regulations intended to simplify and rationalise the existing regulations, remove anomalies and inconsistencies and to minimise procedural delays, are under discussion with the Central Government. The draft regulations have again been notified in the Gazette of India for public comments. When approved, these new Regulations will be enforced in place of the existing Regulations of 1964.

4.7 Annual Meeting of the Council

The 30th Annual Meeting of the Council was held on 16th September, 1986 in Vigyan Bhavan at New Delhi under the Chairmanship of Shri P.A. Nair, the then President of the Institute. Hon'ble Shri Janardhana Poojary, Union Minister of State for Finance was the Chief Guest at the function. The Hon'ble Minister presented shields and plaques to the companies and financial institutions which had won the awards for their entries in the contest organised by the Institute for best presented accounts. Prizes and medals were also given to the meritorious students in the examinations of the Institute by the Hon'ble Minister. Shri R. Balakrishnan, the President-elect proposed a hearty vote of thanks. The function was attended by a large number of members and other invitees.

4.8 Library

During the year 674 books were added to the Central Council Library at New Delhi bringing the total number of books to 21,232. Increasing use of the library facilities was made by both members and students.

4.9 Representations on Outside Bodies

The Institute continues to be represented on several national and international bodies through its representatives. The details of such representations are given in APPENDIX VII to this report.

4.10 Members at the Helm of Affairs

The members of the Institute, on account of their high degree of expertise and knowledge in the field of Accounting and Finance, have come to occupy very important positions in different walks of life including companies in the public and private sector and Government Corporations. The Public Relations Committee of the Council is publishing photographs and particulars of members appointed to senior positions like Director (Finance), Managing Director and Chairman in public and private sector companies, nationalised banks and nationalised

insurance companies in the Institute's Journal, "The Chartered Accountant".

The President (Shri R. Balakrishnan) has been nominated as a member of the Industry Minister's Advisory Group on Public Enterprises. The Group would consider the various aspects of operations of public enterprises and make suitable recommendations for consideration of the Industry Minister. This appointment is a matter of great honour to the profession.

4.11 Meetings of the President and the Vice-President with imporant dignitaries and visits to the branches.

The President and the Vice-President met various dignitaries including Central Ministers and officials of the Government Departments during the year under review. Special mention may be made of the meeting with the Hon'ble Minister for Finance along with the industrialists, prior to the presentation of the Union Budget for 1987-88. The President also participated in the post-budget discussions held by the Finance Minister. A meeting was also held with the Union Minister for Industry, Shri J. Vengal Rao, on 28th January, 1987 at which the President explained to the Hon'ble Minister at some length the role played by the profession in the national affair and the efforts made by it in assisting the government in differnt directions. The Hon'ble Minister was requested for help in setting up computer centres all over the country. The Hon'ble Minister showed keen interest in the educational Programmes and other activities of the Institute.

The President had the honour of meeting the President of India Hon'ble Giani Zail Singh on 6th May, 1987 with the Chairman of the Northern India Regional Council.

The President and the Vice-President also met the Governor and Dy. Governor of Reserve Bank of India to apprise them of the contribution made by the profession in national affairs. Opportunity was also taken of discussions with the Senior Officers of the Reserve Bank of India regarding apointment of bank branch auditors and the criteria for determining the audit fee for long-from Audit Report.

The President and the Vice-President visited all the regional councils and large number of branches of the regional councils and discussed matters concerning the development of professional opportunities and educational facilities for the members and students.

4.12 Chartered Accountants' Benevolent Fund

The Chartered Accountants' Benevolent Fund was established in December 1962 for providing financial assistance for maintenance, education and other similar purposes to needy persons who have been members of the Institute and their dependents. The number of Life members has increased from 2718 as on 1.9.1986 to 3537 as on 1.9.1987.

A sum of Rs. 1,15,900 was disbursed during the year to members in distress or the families of deceased members in distress. With the increase in the corpus of the Fund, the rate of financial assistance was increased from Rs. 300/-to Rs. 400/- p.m. from October, 1986.

The balance of the credit of fund as on 31.3.1987 was Rs. 20,28,518.79 as against Rs. 6,66,221.00 as on 31.3.1986. The balance as on 1.9.1987 is Rs. 23,86,000.

4.13 S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund

During the year 1986-87, 50 scholarships of the value of Rs. 100/- each per month were given to the students undergoing the Chartered Accountancy Course. It is proposed to award another 50 scholarships to students undergoing Chartered Accountancy Course during the year 1987-88.

The membership of the Fund was 162 as on 31.3.1987. The balance to the credit of the fund was Rs. 1,06,133.08 as on 31.3.1987 as against Rs.77,364.10 as at 31.3.1986.

5. MEMBERS

5.1 Membership

4716 new members were enrolled during the year bringing the figure of memgership as on 31.3.1987 to 44634. During the year 1380 Associates were admitted as Fellows as compared to 1330 Fellows admitted in the previous year. APPENDIX VIII gives the details with classification of membership.

5.2 Guidelines for Approval of Trade/Firm names

The Couniell had laid down certain guidelines for registration of trade/firm names and these were printed in "The Chartered Accountant" for February 1984. In order to remove the hardships faced by members, the Council liberalised the guidelines and the revised guidelines were published in September 1986 issue of "The Chartered Accountant". The guidelines and the procedure to be followed for geeting approval of trade/firm names were again published in June 1987 issue of "The Chartered Accountant" for the information and guidance of the members.

5.3 Deceased Members

The Council records with deep regret the sad demise of Shri C.C. Chokshi, a former President of the Instituted on 17.10.1986; Shri R.K. Seth, former member of the Council on 27.9.1986.

Shri N. N. Veeraraghavan former member of the Council on 3.1.1987 and Shri M.P. Puri, former nominated member of the Council on 27.6.87.

The Council also records with deep regret the sad demise during the year, of members whose names are listed in APPENDIX IX.

5.4 Disciplinary Action

The number of "complaints" and "information" cases dealt with under Section 21 is given below: —

1. No of cases pending for hearing by the Disciplinary Committee as on 17.9.1986 (including 10 cases pending on account of Court orders, etc.)	16
2. No. of cases placed before the Council for its prima facie opinion (from 1.4.1986 to Council Meeting in July, 1987)	97
3. No. of cases referred to Disciplinary Committee for enquiry out of 2 above (From 17.9.1986 to Council Meetting held in July, 1987)	20
4. No. of cases heard by the Disciplinary Committee from 17.9.1986 to date of report	11
5. No. of cases remaining to be heard by the Disciplinary Committee as on date (including 8 cases which are pending on account of Court Orders, etc.)	24

Supreme Court Judgement—consideration of reports of the Disciplinary Committe —opportunity of being heard.

As has been reported earlier, the Institute had appealed against the judgement of the Bombay High Court to the effect that before considering the reports of the Disciplinary Committee, the Council should give an oppottunity of being heard to the Respondent as to why the report of the Committee should not be accepted.

The appeal was heard by the Supreme Court in February 1986 and the judgement was delivered on 21st October, 1986. According to the judgement of the Supreme Court, the Respondent is entitled to a hearing by the council, when on receipt of the Report of the Disciplinary Committee, it proceeds to find whether he is or is not guilty. The judgement was considered by the Council in its meetings held in December, 1986 and February, 1987.The Council decided to give opportunity of being heard both to the Respondent and the Complainant, before taking a decision on the report of the Disciplinary Committee. Both the parties are asked to send their representations, in writing if they so desired. In addition, they could, if they so wished appear before the Council in person and/or through a member of the Institute, duly authorised. Pursuant to the above decision of the council special meetings of the Council were held in April 1987, June 1987 and August 1987 for considering reports of the Disciplinary Committee, which were remaining to be considered because of the pendency of the appeal before to Supreme Court. At the above Council meetings 98 out of the 128 reports have been disposed of under the revised procedure.

6. ARTICLED AND AUDIT CLERKS

6.1 Registration

The following is the figure of articled and audit clerks registered during the year ending 31st March 1987 with the corresponding figure for the previous year.

	1985-86	1986-87
Articled & Audit clerks	10666	1064?

6.2 Remuneration to Audit Clerks

Regulations 48 A(4)and 48 A(5)earlier provided that the minimum remuneration payable to audit clerks shall be Rs. 150 per month. The Regulations have been amended to increase this remuneration to Rs. 500 per month in cities with a poulation of 2 million and above and Rs. 350 per month in other places.

6.3 Employment Assistance to Articled/Audit Clerks

Employment assistance service continued to be provided to all students who have completed their period of articled/audit service and have also passed the Intermediate examination of the Institute. For this purpose, an Employment Register is being maintained by the decentralised offices at each of the regional centres at Bombay, Madras, Calcutta Kanpur and New Delhi . Students desirous of availing of the above facility and fulfilling the requirements can contact personally or write to the concerned Assistant Secretary of the Institute for the form of particulars to be submitted to the Institute

6.4 Board of Studies

(a) The number of students enrolled during the year ended March 31, 1987 and March 31, 1986 are as under:

Course	1986-87	1985-86
Intermediate	10642	10813
Final	6354	6202

The total number of students on the rolls as at 31st March 1987 was 46140 as against 44284 as at March

31, 1986. The details of such enrolments are given in APPENDIX X.

(b) Intensified/revisionary classes for the Final and Intermediate Course students were, as usual, conducted at regional and other important centres.

(c) During the year ended March 31, 1987, the following scholarships have been granted:—

(i) Merit Scholarships:

@Rs 75/- p.m. to 10 students for a maximum of 18 months.

@Rs. 75/- p.m. to 4 students for a maximum of 12 months.

(ii) Merit-cum-need-based Scholarships @Rs.75/- p.m. to 4 students for a maximum of 12 months

(iii) Need-based Scholarships @Rs 50/- p.m to 100 students for a maximum of 30 months

(iv) Partial freeship viz., waiver of the second instalment of tuition fee to 76 students

(v) S. Vaish Memorial Scholarship @Rs. 100/- p.m. to 2 students for a period of one year.

(d) The Board has made available Suggested Answer Volumes to students at 33 places in the country, to remove the students' difficulty in getting the volumes.

(e) The Board took special measures to make Revisional Test Papers available to all the regional sales counters about 7 weeks before the commencement of the Examinations. These were also sent to all eligible students at the same time.

(f) Though the Board is not providing any correspondence course for the students of Entrance Examination, it continued to provide study material and assistance for the benefit of such students. The complete set of this material is priced at Rs. 100/-.

(g) The Board of Studies continued to make regular contribution to the Journal by giving digest of Income-tax and Company cases and current readings, besides articles, clarification/announcements and other write-up for the Students' Section.

(h) Special efforts were successfully made to make available study material to the students in complete form and on a timely basis.

(i) The Chairman of the Board of Studies and the Director of Studies visited the following places to meet the students:

1. Calcutta
2. Bombay
3. Madras
4. Kanpur
5. Poona
6. Allahabad
7. Patna
8. Nagpur

(j) The facility of local distribution of study material has been extended to two more places i.e. Ernakulam and Coimbatore. Previously, apart from the Regional offices, the Bangalore Branch office and the Hyderabad Branch office used to distribute study material to the students.

(k) The centralised evaluation scheme for evaluation of the test paper answers continued during the year.

7. EXAMINATIONS

7.1 Entrance, Intermediate and Final Examinations

The Chartered Accountants Entrance, Intermediate and Final Examinations were held in May and November, 1986 at various centres all over India. The statistics relating to the number of candidates who appeared and who were declared successful in the said examinations are given in APPENDIX XI.

7.2 New Examination Centres

(i) In order to remove the difficulties faced by the Napalese students who pursued the Chartered Accountants Course in India and are at present employed in Nepal, it has been decided to open an examination centre for the Intermediate and Final Examinations at Kathmandu in May and November 1987. The decision will be reviewed thereafter.

(ii) It has been decided to open examination-centres at Mysore, Meerut and Ambala, on an experimental basis, for the Examinations to be held in May and November, 1987. The continuance of these centres after the November 1987 examinations will depend upon the prescribed minimum number of candidates (250) taking the examinations from these centres.

7.3 Prizes and Certificates of Merit

The names of candidates who were awarded prizes and certificates of Merit in the examinations held in May and November 1986 are given in APPENDIX XII.

The following three new prizes have been instituted from the May, 1987 Examinations:—

(i) A.J. Shah—Amita Memorial Prize for the best paper on Direct Tax Laws of the Final Examination.

(ii) K.C. Khanna Prize for the best paper on Advanced Accounting (Paper I) of the Final Examination.

(iii) K.C. Khanna Prize for the best paper on Auditing of the Intermediate Examination.

7.4 Action against Examinees

Eight candidates who were found to have resorted to or attempted to resort to unfair means were debarred from appearing in the examinations for varying periods.

7.5 Option to use Hindi in the Intermediate and Final Examinations

Commencing from the May, 1986 examinations, candidates of the Intermediate Examination were allowed to exercise option for answering questions in Hindi. Candidates of the Final Examination were allowed to exercise option for answering question papers in Hindi effective from the May 1987 examination.

8. REGIONAL COUNCILS AND BRANCHES OF REGIONAL COUNCILS

8.1 New Branches

Subsequent to the last report, the following new branches have been set up during the year under report:

Western Region	: Jalgaon and Sangli
Southern Region	: Vellore and Quilon
Central Region	: Ranchi and Gwalior
Northern Region	: Yamuna Nagar and Jammu

With the setting up of the above branches, the total number of branches of Regional Councils has risen to 65.

8.2 Regulation 136 earlier provided that the Council may set up a branch of a Regional Council in a State or Union Territory in which neither the headquarters of the Regional Council nor a branch was located provided there were not less than 100 members in that State or Union Territory, as the case may be. The Council, with the approval of the Central Government, has amended the Regulation to reduce the requirement of 100 members to 50 members. Pursuant to this amendment, a branch of the Northern India Regional Council has been set up in the State of Jammu & Kashmir in the city of Jammu & Kashmir.

8.3 Chapters of the Institute outside India

Since the last report one chapter of the Institute has been established outside the country in Muscat. With this the number of Chapters has now risen to six.

8.4 Buildings or branches of regional councils

The Council has considerably liberalised the grants payable to branches for construction of buildings. The details of the decision have been intimated to all Regional Councils and their branches. During the year the premises of the following branches were inaugurated by the President:—

1. Ernakulam branch of SIRC on 22-8-86
2. Poona branch of WIRC on 13-12-86
3. Alleppey branch of SIRC on 17-6-87
4. Ahmedabad branch of WIRC on 22-6-87
5. Coimbatore branch of SIRC on 8-8-87
6. Calicut branch of SIRC on 12-9-87

In addition, the building of Kottayam branch of SIRC is nearing completion and the same will be inaugurated by the President shortly. The Surat branch of WIRC has also acquired a flat which will be inaugurated in due course.

The premises of the following branches are under construction and their Foundation Stone laying ceremonies were held on the dates indicated against their names:—

1. Trivandrum branch of SIRC on 22-8-86
2. Lucknow branch of CIRC on 14-1-87
3. Cochin branch of SIRC on 17-6-87
4. Trichur branch of SIRC on 18-6-87
5. Madurai branch of SIRC on 22-8-87

Efforts are under way to acquire premises at several other places e.g. Agra, Udaipur, Faridabad, Ludhiana, Hyderabad, Jaipur, Nagpur, Kolhapur, Aurangabad and Solapur.

8.5 Rotating Shield for the Best Branch of Regional Councils

In its effort to activate the branches of Regional Councils and to ensure greater involvement of members of the branches in the affairs of the profession, the Institute had set up certain norms for minimum performance of the branches of Regional Councils. Under this scheme, the branches are required to submit quarterly reports of their activities/performance. The activities of the branches are evaluated and a rotating shield is awarded annually to the branch which is adjudged to be the best branch during the year on the basis of the performance and activities undertaken. The rotating shield was awarded to the Ernakulam branch of the SIRC for the year 1985-86. The shield was presented by Hon'ble Minister of State for Finance Shri Janardhana Poojary at the annual function held in September, 1986. For the year 1986-87, the rotating shield will be presented to the Poona branch which has been adjudged as the best branch. The presentation will take place at the annual function in September 1987.

8.6 Rotating Shield for the best Regional council

It has been decided that commencing from the year 1986-87, a rotating shield be awarded to the best regional council on the basis of its performance, vis-a-vis the criteria laid down. The Western India Regional Council and Southern India Regional Council have been jointly adjudged as the best regional councils for the year 1986-87. The rotating shield will be awarded to the regional councils at the annual function to be held in September 1987.

9. Finance

The Balance-sheet as at March 31, 1987 and the Income and Expenditure Account for the year ended

on that date have been approved by the Council. The income and expenditure account shows a surplus of Rs. 41.71 lakhs as against the surplus of Rs. 9.56 lakhs in the preceding year.

10. Appreciation

(a) The Council is grateful to all members of the Institute who functioned as co-opted members of the Institute's committees and non-members who assisted the Council during the year in the conduct of its educational and technical activities and in its examinations.

(b) The Council wishes to place on record its appreciation of the continued assistance and support of the Government and its nominees on the Council throughout the year.

(c) The Council would also like to acknowledge its appreciation of the sincere and devoted efforts put in throughout the year by all the officers and staff of the Institute.

R.L. Chopra	S.K. Dasgupta	R. Balakrishnan
Secretary	Vice-President	President

New Delhi
September 15, 1987.

APPENDICES TO THE ANNUAL REPORT

APPENDIX I

(Ref. Para 1.1 of the Report)

1. MEMBERS OF THE COUNCIL—1986-87

Agarwal, K.M.	(New Delhi)
Balakrishnan, R.	(Madras)
Banerjee, Bhaskar	(Calcutta)
*Bansal, R.N. (From 1-8-1986)	(New Delhi)
Bhandari, S.S.	(Jaipur)
Chakraborty, A.K.	(Calcutta)
Chhajed, S.P.	(Bombay)
Chitale, M.M.	(Bombay)
Dalal, A.H.	(Bombay)
Dasgupta, S.K.	(Calcutta)
*Dugar, S.M. (Dr.) (Upto 31-7-1985)	(New Delhi)
*Ghosh, A.	(Bombay)
Jain, I.C.	(Bombay)
*Jain, S.B. (Upto 31-10-86)	(New Delhi)
Kale, Y.M.	(Bombay)
*Mehta, Kanti	(Jamshedpur)
*Murthy, K.S. (Upto 30-4-86)	(New Delhi)
Nair, P.A.	(Bombay)
Nandagopal, S.	(Madras)
Narayanaswamy, G.	(Madras)
Patel, Manubhai, G.	(Ahmedabad)
Poddar, N.K.	(Calcutta)
*Raman, B.N. (From 25-2-1987)	(Hyderabad)
*Ranganadham, K. (Upto 30-6-87)	(New Delhi)
Rathi, Anand	(Bombay)
Rao, B.P.	(Bangalore)
Sharma, Laxminiwas	(Hyderabad)
Somani, K.G.	(New Delhi)
Sundararajan, N.C.	(Madras)
*Tikku, C.K.	(New Delhi)
Vaish, R.C. (Dr.)	(Kanpur)
Vasudeva, S.C.	(New Delhi)
Vishwanath, T.S.	(New Delhi)

*Nominated by the Central Government.

2. MEMBERS OF THE COMMITTEES—1986-87

A. STANDING COMMITTEES

Executive Committee

Shri Balakrishnan, President	(Madras)
Shri S.K. Dasgupta, Vice-President	(Calcutta)
Shri P.A. Nair	(Bombay)
Shri Laxminiwas Sharma	(Hyderabad)
Shri T.S. Vishwanath	(New Delhi)

Shri R.L. Chopra (Secretary to the Committee)

Examination Committee

Shri R. Balakrishnan, President	(Madras)
Shri S.K. Dasgupta, Vice-President	(Calcutta)
Shri S.S. Bhandari	(Jaipur)
Shri B.P. Rao	(Bangalore)
Shri S.C. Vasudeva	(New Delhi)

Shri K. Kalyanaraman (Secretary to the Committee)

Disciplinary Committee

Shri R. Balakrishnan, President	(Madras)
Shri S.K. Dasgupta, Vice-President	(Calcutta)
Shri R.N. Bansal	(New Delhi)
Shri N.K. Poddar	(Calcutta)
Shri N.C. Sundararajan	(Madras)

Shri R.L. Chopra (Secretary to the Committee)

Shri G.D. Khurana (Additional Secretary to the Committee)

B. NON-STANDING COMMITTEES

Research Committee

Shri Y.M. Kale, Chairman	(Bombay)
Shri N.C. Sundararajan, Vice-Chairman	(Madras)
Shri R. Balakrishnan, President, Ex-officio	(Madras)
Shri A. Ghosh	(Bombay)
Shri N.K. Poddar	(Calcutta)
Shri Anand Rathi	(Bombay)
Dr. R.C. Vaish	(Kanpur)

Shri T.S. Vishwanath (New Delhi)

Shri D. Vasudeva Rao, Co-opted (Madras)
Shri Y.H. Malegam, Co-opted (Bombay)
Shri J.E. Dastur, Co-opted (Bombay)

Shri Avinash Chander (Secretary to the Committee)

Auditing Practices Committee

Dr. R.C. Vaish, Chairman (Kanpur)
Shri Bhaskar Banerjee, Vice-Chairman (Calcutta)
Shri R. Balakrishnan, President, Ex-officio (Madras)
Shri S.K. Dasgupta, Vice-President, Ex-officio (Calcutta)
Shri I.C. Jain (Bombay)
Shri Y.M. Kale (Bombay)
Shri K. Ranganadham (New Delhi)
Shri K.G. Somani (New Delhi)
Shri N.C. Sundarajan (Madras)

Shri M.M. Khanna, Co-opted (New Delhi)
Shri K. Ganesan, Co-opted (Madras)
Dr. Dharmendra Bhandari, Co-opted (Jaipur)

Dr Kamal Gupta (Secretary to the Committee)

Continuing Professional Education Committee

Shri A.K. Chakraborty, Chairman (Calcutta)
Shri I.C. Jain, Vice-chairman (Bombay)
Shri R. Balakrishnan, President, Ex-officio (Madras)
Shri S.K. Dasgupta, Vice-President, Ex-officio (Calcutta)
Shri K.M. Agarwal (New Delhi)
Shri S.P. Chhajed (Bombay)
Shri B.N. Raman (Hyderabad)

Shri Laxminiwas Sharma, Co-opted (Hyderabad)
Shri H.M. Damania, Co-opted (Bombay)
Shri Sukumar Bhattacharya, Co-opted (Calcutta)

Dr. N.L. Dhameja (Secretary to the Committee)

Accounting Standards Board

Shri Bhaskar Banerjee, Chairman (Calcutta)
Shri A.H. Dalal, Vice-Chairman (Bombay)
Shri R. Balakrishnan, President, Ex-officio (Madras)
Shri A.K. Chakraborty (Calcutta)
Shri M.M. Chitale (Bombay)
Shri Y.M. Kale (Bombay)
Shri K. Ranganadham (New Delhi)
Shri C.K. Tikku (New Delhi)
Shri S.C. Vasudeva (New Delhi)

Shri C.K. Hazari, Co-opted (New Delhi)
Shri M.N. Goiporia, Co-opted (Bombay)

Dr. Kamal Gupta (Secretary to the Committee)

Professional Development Committee

Shri G. Narayanaswamy, Chairman (Madras)
Shri I.C. Jain, Vice-Chairman (Bombay)
Shri R. Balakrishnan, President, Ex-officio (Madras)
Shri A. Ghosh (Bombay)
Shri M.G. Patel (Ahmedabad)

Shri K. Ranganadham, Co-opted (New Delhi)
Shri S.K. Bansal, Co-opted (New Delhi)
Ch. G. Krishnamurthy, Co-opted (New Delhi)

Dr. N.L. Dhameja (Secretary to the Committee)

Board of Studies

Shri M.M. Chitale, Chairman (Bombay)
Shri K.M. Aggarwal, Vice-Chairman (New Delhi)
Shri R. Balakrishnan, President, Ex-officio (Madras)
Shri A.K. Chakraborty (Calcutta)
Shri A.H. Dalal (Bombay)
Shri B.N. Raman (Hyderabad)

Shri Kanti Mehta, Co-opted (New Delhi)
Shri B.P. Rao, Co-opted (Bangalore)
Shri D.L. Suresh Babu, Co-opted (Bangalore)
Shri Anil S. Dani, Co-opted (Nagpur)

Shri A.K. Majumdar (Secretary to the Committee)

Taxation Committee

Shri S. Nandagopal, Chairman (Madras)
Shri M.G. Patel, Vice-Chairman (Ahmedabad)
Shri R. Balakrishnan, President, Ex-officio (Madras)
Shri I.C. Jain (Bombay)
Shri G. Narayanaswamy (Madras)
Shri N.K. Poddar (Calcutta)
Shri C.K. Tikku (New Delhi)
Shri S.C. Vasudeva (New Delhi)

Shri P.N. Shah, Co-opted (Bombay)
Shri K.P. Rao, Co-opted (Bangalore)

Shri C.R.T. Varma (Secretary to the Committee)

Company Law Committee

Shri K.C. Somani, Chairman (New Delhi)
Shri S.P. Chhajed, Vice-Chairman (Bombay)
Shri R. Balakrishnan, President, Ex-officio (Madras)
Shri S.K. Dasgupta, Vice-President, Ex-officio (Calcutta)
Shri R.N. Bansal (New Delhi)

Shri A.H. Dalal (Bombay)
Shri S. Nandagopal (Madras)
Dr. R.C. Vaish (Kanpur)
Dr. S.M. Dugar } Co-opted (New Delhi)
Shri N.K. Bafna } Co-opted (Bombay)
Shri S.K. Chakravertty (Secretary to the Committee)

International Affairs Committee

Shri R. Balakrishnan, Chairman (Madras)
Shri S.K. Dasgupta, Vice-Chairman (Calcutta)
Shri Bhaskar Banerjee (Calcutta)
Shri Y.M. Kale (Bombay)
Shri P.A. Nair (Bombay)
Shri S. Nandagopal (Madras)
Dr. Kamal Gupta (Secretary to the Committee)

Expert Advisory Committee

Shri S.P. Chhajed, Chairman (Bombay)
Shri T.S. Vishwanath, Vice-Chairman (New Delhi)
Shri S.K. Dasgupta, Vice-President, Ex-officio (Calcutta)
Shri S. Nandagopal (Madras)
Shri Anand Rathi (Bombay)
Shri K.G. Somani (New Delhi)
Shri P.D. Khona } Co-opted (Bombay)
Shri A. Roy Chowdhury } Co-opted (Calcutta)
Shri Avinash Chander (Secretary to the Committee)

University Liaison Committee

Shri K.M. Agarwal, Chairman (New Delhi)
Shri B.P. Rao, Vice-Chairman (Bangalore)
Shri S.K. Dasgupta, Vice-President, Ex-officio (Calcutta)
Shri S.S. Bhandari (Jaipur)
Shri M.M. Chitale (Bombay)
Shri B.N. Raman (Hyderabad)
Shri R. Ranga Rao } Co-opted (Madras)
Shri Rattan Gupta } Co-opted (New Delhi)
Dr. N.K. Agarwal (Secretary to the Committee)

Ethical Standards Committee

Shri R. Balakrishnan, Chairman (Madras)
Shri S.K. Dasgupta, Vice-Chairman (Calcutta)
Shri R.N. Bansal (New Delhi)
Shri A.K. Chakraborty (Calcutta)
Shri G. Narayanaswamy (Madras)
Shri M.G. Patel (Ahmedabad)
Dr. R.C. Vaish (Kanpur)
Shri Y. Soli } Co-opted (New Delhi)
Shri S.C. Bafna } Co-opted (Bombay)
Shri G. Banerjee (Secretary to the Committee)

Public Relations Committee

Shri R. Balakrishnan, Chairman (Madras)
Shri S. K. Dasgupta, Vice-Chairman (Calcutta)
Shri K.M. Agarwal (New Delhi)
Shri S. S. Bhandari (Jaipur)
Shri Kanti Mehta (New Delhi)
Shri Laxminiwas Sharma (Hyderabad)
Shri K. Ananthachari } Co-opted (Madras)
Shri N. K. Gupta } Co-opted (Kanpur)
Shri R. L. Chopra (Secretary to the Committee)

Committee on Unjustified Removal of Auditors

Shri R. Balakrishnan, Chairman (Madras)
Shri S. K. Dasgupta, Vice-Chairman (Calcutta)
Shri R. N. Bansal (New Delhi)
Shri A. Ghosh (Bombay)
Shri K. Ranganathan (New Delhi)
Shri G. D. Khurana (Secretary to the the Committee)

Editorial Board

Shri R. Balakrishnan, Editor-inChief (Madras)
Shri S.K. Dasgupta, Joint Editor (Calcutta)
Shri K. M. Agarwal (New Delhi)
Shri Bhaskar Banerjee (Calcutta)
Shri S.S. Bhandari (Jaipur)
Shri B. P. Rao (Bangalore)
Shri Anand Rathi (Bombay)
Shri Laxminiwas Sharma (Hyderabad)
Shri T. S. Vishwanath (New Delhi)
Shri H. C. Dhagat } Co-opted (Bombay)
Shri K. M. Azad } Co-opted (New Delhi)
Shri R. L. Chopra (Secretary to the Committee)

Committee for Review Education and Training

Shri P. A. Nair, Chairman (Bombay)
Shri R. Balakrishnan, Co-Chairman (Madras)
Shri S. K. Dasgupta, Vice-Chairman (Calcutta)
Shri A.K. Chakraborty (Calcutta)
Shri A. Ghosh (Bombay)
Shri G. Narayanaswamy (Madras)
Shri M. G. Patel (Ahmedabad)
Dr. R. C. Vaish (Kanpur)
Shri Bansi S. Mehta } Co-opted (Bombay)
Shri P. K. Mallik } Co-opted (Calcutta)
Shri S. K. Agarwal } Co-opted (New Delhi)
Shri A. K. Majumdar (Secretary to the Committee)

Committee for Members in Industry

Shri Anand Rathi, Chairman (Bombay)
Shri Bhaskar Banerjee, Vice-Chairman (Calcutta)
Shri R. Balakrishdan, President, Ex-Officio. (Madras)
Shri R. N. Bansal (New Delhi)
Shri B. N. Raman (Hyderabad)

Shri N. C. Sundararajan (Madras)
Dr. R. C. Vaish (Kanpur)
Shri R. J. Khambata } (Bombay)
Shri R. Chandresekharan } (Co-opted) (Madras)
Shri R. C. Agarwal } (Bombay)

Dr. N. L. Dhameja (Secretary to the Committee)

General Purposes Committee

Shri R. Balakrishnan, Chairman (Madras)
Shri S. K. Das gupta, Vice-Chairman (Calcutta)
Shri I. C. Jain (Bombay)
Shri P. A. Nair (Bombay)
Shri Anand Rathi (Bombay)
Shri Laxminiwas Sharma (Hyderabad)
Shri T. S. Vishwanath (New Delhi)
Shri R. L. Chopra (Secretary to the Committee)

I.C.A.I.—I.C.W.A.I. Co-ordination Committee

Shri R. Balakrishnan, Leader (Madras)
Shri S.K. Dasgupta, Deputy Leader (Calcutta)
Shri M.M. Chitale (Bombay)
Shri N.K. Poddar (Calcutta)
Shri S.C. Vasudeva (New Delhi)
Shri R.L. Chopra (Secretary to the Committee)

I.C.A.I.—I.C.S.I. Co-ordination Committee
Shri R. Balakrishnan, Leader (Madras)
Shri S. K. Dasgupta, Deputy Leader (Calcutta)
Shri S.P. Chhajed (Bombay)
Shri M.G. Patel (Ahmedabad)
Shri K.G. Somani (New Delhi)
Shri S. Kumar co-opted (Bombay)
Shri R.L. Chopra (Secretary to the Committee)

Conference Committee
Shri P.A. Nair, Chairman (Bombay)
Shri R. Balakrishnan, Vice-Chairman (Madras)
Shri S.K. Dasgupta (Calcutta)
Shri Bhaskar Banerjee (Calcutta)
Shri A. K. Chakraborty (Calcutta)
Shri N. K. Poddar (Calcutta)
Shri S.S. Bhandari (Jaipur)
Shri S.C. Vasudeva (New Delhi)
Shri A. J. Gangopadhyay } (Calcutta)
Shri K.P. Khandelwal } Co-opted (Calcutta)

APPENDIX II

(Ref. Para 2.5 of the Report)
Names of delegates who attended the 11th CAP Conference at Melbourne, Australia.

1. Shri R. Balakrishnan
2. Shri P.A. Nair
3. Shri Bhaskar Banerjee
4. Shri A.K. Chakraborty
5. Shri S.P. Chhajed
6. Shri N.C. Sundararajan
7. Shri Laxminiwas Sharma
8. Shri R.L. Chopra
9. Shri S.K. Bansal
10. Shri B.B. Jindal
11. Shri P.K. Gupta
12. Shri Mahendra Ashei
13. Shri Akhileswar Prasad
14. Shri N. Krishnaswamy
15. Shri G.B. Rao
16. Shri P.G. Pradhan
17. Shri J.P. Joshipura
18. Shri Avdesh Mittal
19. Shri Rakesh Kapoor
20. Shri S.C. Vyas
21. Shri B.N. Basu
22. Shri Alec Piccado
23. Shri Amarraj Singh
24. Mrs. Gagan Makkar
25. Shri Brij Roy
26. Shri Ashwini Shah

APPENDIX III

[Ref. Para 3.9(a) of the Report]
Details of the Seminars & Courses organised by the C.P.E. Committee

Sl. No.	Programme	Place	Date
1	2	3	4
1.	Govt. Course on 'Financial Management and Management Accounting'	New Delhi	6th to 4th October, 1986.
2.	Programme on Corporate Financial Management (Residential Course) in collaboration with AIMA	Srinagar	25th to 29th Sept., 1986.
3.	In-house Programme for Finance & Non-Finance Executives of Bharat Pumps & Compressors	Allahabad	6th & 7th November, 1986.
4.	Seminar on Accounting Systems in Public Utilities and Non-Profit Making Institutions.	Madras	29th & 30th November, 1986.

1	2	3	4
5.	Seminar on Aspects of FERA, Customs Duty and Excise Duty.	Delhi	6th & 7th December. 1986.
6.	In-house Programme for Accounts Officers of Indian Petro-chemicals Corporation Ltd.	Baroda	8th & 9th January. 1987.
7.	In-house Programme for Accounts & Finance Executive of S.T.C.	New Delhi	20-22nd January, 1987.
8 & 9.	Course on Financial Management and Management Control Systems for IAS Officers.	Institute New Delhi	2-7 February & 9-14, February 1987.
10.	Joint Progrmme with ICSI on Corporate Finance & Law.	Jaipur	4-5th April. 1987.
11.	Seminar on Aspects of FERA, Customs Duty and Excise Duty	Bombay	4-5th July. 1987.

APPENDIX IV

[Ref. Para 3.9(b) of the Report]

Summary of the Results of Post Graduate Courses

	M.A.C. Part I Exam., Nov. 86	C.M. Course Part I Exam., Nov. 86	T.M. Course Part I Exam.,	MAC. Part I Exam., May-87
1. Both Group				
Number of the candidates appeared.	16	1	5	13
Passed in Both Groups.	3	1	1	2
Percentage	18.75%	100%	20%	15.38%
Passed in Group I only.	8	—	Nil	1
Passed in Group II only.	4	—	1	4
2. Group-I				
Number of the candidates appeared.	22	2	4	20
Passed	17	2	2	4
Percentage	77.27%	100%	50%	20%
3. Group II				
Number of the candidates appeared	6	nil	2	10
Passed	4	nil	1	3
Percentage.	66.66%	nil	50%	30%

APPENDIX V

[Ref. Para 3.9(f) of the Report]

Summary of Computer Courses conducted by Madras, Calcutta and Bombay Computer Centres

S. No.	Name of Computer Centre	No. of courses con-ducted	No. of days covered	No. of Members Trained	No. of students and Non-members Trained
1.	Madras	30	1037	272	568
2.	Calcutta	13	336	111	528
3.	Bombay	22	86	248	60
	Total	65	1459	631	1156

APPENDIX VI

(Ref. Para 4.2 of the Report)

11th All India Conference of Chatered Accountants Calcutta—December, 1986.

Statement Containing the titles of the Plenary Sessions, Titles of the Papers discussed, Paper-writers, Commentators, Chairmen and Key-note Speakers

SESSION I—MEASUREMENT & COMMUNICATION

Chairman : Shri Y. H. Malegam—Former President of the Institute of Chartered Accountants of India.

Key-note Speaker : Shri V. Dixit, Chairman-cum-Managing Director—Industrial Reconstruction Bank of India.

Titles of Paper	Paper Writer	Commentator
Standard Setting & Implementation	Shri P.R. Khanna, New Delhi	Shri N.H. Mirza Calcutta
Systems approach to auditing	Shri M.R. Rao, Bombay	Shri Ashok Mahindra, New Delhi
Prevention & Cure of Industrial Sickness	Shri Shekhar Chatterjee, Calcutta.	Shri N.P. Sarda Bombay.

SESSION II—FISCAL POLICY & CORPORATE LEGISLATION

Chairman : Shri C.K. Tikku, Chairman Central Board of Direct Taxes.

Key-note Speaker : Dr. Raja J. Chelliah, Senior Member, Planning Commission

MODVAT—Concepts & applications	Shri V.H. Mehta, Bombay	Shri S.R. Bal Calcutta
Simplification & Rationalisation of Direct Tax Laws—A Critical Appraisal	Shri G.V. Raman Madras.	Shri Sukumar Bhattacharya, Calcutta.
Liability of Directors—Recent Trends.	Shri D.K. Sen Calcutta.	Shri G. Sitaraman, Madras.

SESSION III—EMERGING ROLE OF ACCOUNTANTS IN MANAGEMENT

Chairman : Shri A. Ghosh, Deputy Governor, Reserve Bank of India.

Key-note Speaker : Shri R.P. Goenka, President FICCI.

E.D.P. As An Aid to Management.	Shri Roopen Roy, Calcutta.	Shri S.B. Pandit Poona.
Profit Management in Public Sector.	Shri B.K. Madan, New Delhi.	Shri N. Swaminathan, Bangalore.
Corporate Financing—Avenues for Fund Raising.	Shri P.J.M. Panikar, Bombay.	Shri Bhaskar Banerjee, Calcutta.

SESSION IV—PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Chairman : Shri P.K. Mallik—Former President, The Institute of Chartered Accountants of India.

Key-note Speaker : Shri Rameshwar Thakur—Former President, The Institute of Chartered Accountants of India and Member of Rajya Sabha.

Title of the Paper	Paper Writer	Commentator.
Society's Expectations from Auditors.	Shri C.L. Jhanwar . Jaipur.	Shri M.M. Khanna, New Delhi.
Accounting Education and Training.	Shri P.P. Gururaja Upadhyaya.	Shri H. C. Dhagat Bombay.
Review of the Code of Conduct.	Shri D. Chatterji, Calcutta.	Shri V. Jagadisan, Madras.

APPENDIX VII

(Ref. Para 4.9 of the Report)

Representatives of the Institute on outside bodies

Name of the Body	Name of the Representative
1. General Council of the Institute of Applied Manpower Research.	Shri R. Balakrishnan
2. Informal Advisory Committee of the Department of Company Affairs on matters relating to Cost Accounting Record Rules.	Dr. R. C. Vaish
3. National Productivity Council.	Shri S. K. Dasgupta
4. Farm Accounts Sectional Committee AFDC 49 of the Indian Standards Institution	Shri S. P. Chhajed
5. Central Advisory Committee of Direct Taxes.	Shri R. Balakrishnan
6. All India Board of Management Studies.	Shri R. Balakrishnan
7. UGC Panel on Commerce Education.	Shri A. C. Chakrabortti
8. Council of International Federation of Accountants (IFAC)	Shri A. C. Chakrabortti (From 1-1-1987)
9. International Auditing Practices Committee of IFAC.	Shri R. Balakrishnan (From 1-4-1987)
10. Education Committee of IFAC.	Shri P.A. Nair (From 1-1-1987)
11. South Asian Federation of Accountants.	Shri R. Balakrishnan (From 1-1-1987)
12. IASE Steering Committee on "Disclosure in Financial Statements of Banks."	Shri P. A. Nair

APPENDIX VIII

(Ref. Para 5.1 of the Report)

Statistics—Members as on 1-4-1987

Fellows	:In Full Time Practice	11,762	
	:In Part Time Practice	1,640	
	:Not in Practice	1,232	14,634
Associates	:In Full Time Practice	13,251	
	:In Part Time Practice	5,750	
	:Not in Practice	10,999	30,000
GRAND TOTAL			44,634

Region	FELLOWS: In Practice: In Full Time Practice	In Part Time Practice	Not in Practice	Total of Col. 2, 3, & 4	ASSOCIATES: In Practice: In Full Time Practice	In Part Time Practice	Not in Practice	Total of Col. 6, 7 & 8	Grand Total of Col. 5 & 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	3,715	655	365	4,735	4,494	2,930	3,022	10,446	15,181
II	2,935	347	312	3,594	2,739	1,090	3,882	7,711	11,035
III	1,686	214	237	2,137	1,384	593	2,048	4,025	6,162
IV	1,147	155	103	1,432	1,515	343	820	2,678	4,110
V	2,252	269	215	2,736	3,119	794	1,227	5,140	7,876
	11,762	1,640	1,232	14,634	13,251	5,750	10,999	30,000	44,634

APPENDIX IX

[Ref. Para 5.3 of the Report]

Statement of removal of names from the Register of Members on account of death during the year 1986-87

Sl. No.	M.No.	Name of the Member	Date
1.	18	Shri S. D. Nagarwala, New Delhi	7-8-86
2.	44	Shri B.C. Kundu, Calcutta	15-3-87
3.	79	Shri A.K.S. Aiyar, Bombay	29-7-86
4.	158	Shri R. B. Shah, Calcutta	14-4-86
5.	228	Shri D.N. Panday, Bombay	10-11-86
6.	237	Shri S. Ghosh, Calcutta	16-10-86
7.	292	Shri C.V. Shah, Bombay	18-12-86
8.	330	Shri R.B. Bhagwat, Kolhapur.	27-6-86
9.	417	Shri D.N. Banerjee, Calcutta	12-1-87
10.	436	Shri A.K. Rajagopalan, Madras.	18-2-87
11.	459	Shri R.N. Majumdar, Calcutta.	4-2-86
12.	538	Shri T. Muthukumaraswamy, Tiruvour.	25-5-86
13.	608	Shri K.K. Nayar, Bangalore	1-10-86
14.	657	Shri C.C. Chokshi, Bombay	18-10-86
15.	661	Shri M.R. Gulati, Bombay	1-11-86
16.	682	Shri N.N. Veeraghavan, Madras.	3-1-87
17.	744	Shri K.N. Chandla, Chandigarh	22-8-86
18.	805	Shri J.C. Bhalla, New Delhi	5-1-87
19.	904	Shri S.C. Kapur, New Delhi	20-12-86
20.	1138	Shri H.R. Bahl, Jaipur	10-3-87
21.	1203	Shri A. Kandaswamy, Tiruchirapalli.	21-4-86
22.	1224	Shri R.C. Jain, Poona	18-10-85
23.	1284	Shri R.P. Vyas, Madras	1-8-86
24.	1452	Shri B.S. Soni, Ahmedabad	1-9-86
25.	1506	Shri M.S. Venkataraman, Madras.	4-11-86
26.	1550	Shri S.P. Saksena, Bhopal	28-2-86
27.	1609	Shri H. Gupta, Calcutta	22-12-85
28.	1624	Shri N.C. Bhattacharyya, Calcutta.	5-5-86
29.	1640	Shri V. Natarejan, Madras	22-11-86
30.	1713	Shri U.S. Lkehi, Jaipur	19-6-86
31.	1728	Shri K. Ganapathi, Bangalore	10-6-86
32.	1856	Shri M.L. Jain, Jaipur	22-4-86
33.	1880	Shri G.S. Mathur, New Delhi	25-5-86
34.	1906	Shri M. Narayanaswamy, Madras.	28-6-86
35.	1962	Shri S. Rajan, Madras	14-3-86
36.	2043	Shri S. Swaminathan, Middlx England	24-11-86
37.	2254	Shri R.K. Gohosh, Calcutta	10-3-87
38.	2426	Shri N.N. Murthy, Berhampur	25-8-86
39.	2588	Shri D.R. Ghalla, Bombay	21-4-86
40.	2704	Shri K.L. Datta, Alwar	13-5-85

41.	2745	Shri A.K. Mukherjee, Calcutta.	23-10-86
42.	2782	Shri J. P. Thakkar, Vadodora	9-11-85
43.	3068	Shri N.C. Srinivasan, Madras	10-12-86
44.	3099	Shri T.L. Desai, Bombay	4-2-87
45.	3119	Shri S.N. Mallya, Bombay	18-12-86
46.	3200	Shri T.D. Tuteja, New Delhi	23-7-86
47.	3331	Shri S. Viswanathan, Madras	18-3-86
48.	3797	Shri D.L. Prasad, Madras	3-11-86
49.	3890	Shri A.J. Thomas, Mavelikara	13-11-86
50.	3916	Shri V.V. Varadarajan, Bangalore.	17-12-86
51.	3957	Shri R.K. Seth, Kanpur	28-9-86
52.	4086	Shri C. Vaidyanathan, Madras.	22-8-86
53.	4226	Shri P.G. Panikar, Alleppey	30-8-86
54.	4382	Shri V. Sivaramakrishnan, Bombay.	6-11-85
55.	4393	Shri J.M. Bhandari, New Delhi.	29-7-86
56.	4874	Shri T.R. Chochalingam, Pudukottai.	9-8-86
57.	4999	Shri B.N. Pal, Calcutta	26-5-86
58.	5060	Shri H.A. Vaidya, Bombay	14-12-83
59.	5213	Shri P.D. Parakh, Bombay	1-1-86
60.	5554	Shri R.M. Sabaratnam, Madurai.	9-7-86
61.	5575	Shri H.M. Surana, Jodhpur	16-10-84
62.	5623	Shri B.V. Chokshi, Bombay	19-5-86
63.	5693	Shri K.V. Sundram, Palghat	31-10-86
64.	5842	Shri K.K. Rai, Bombay	11-4-86
65.	5867	Shri S.S. Ghosh, Barrackpore	13-7-84
66.	5943	Shri L.C. Jain, Vijayawada	30-12-86
67.	6071	Shri M. Thomas, Madras	23-6-86
68.	7240	Shri S.K. Bahri, New Delhi	4-11-86
69.	7865	Shri S. Kuppaswamy, New Delhi.	15-12-86
70.	8451	Shri N. Ghosh, Calcutta	15-10-86
71.	8923	Shri N. Radhakrishba Raja, Madurai.	14-9-86
72.	9186	Shri M.N. Krishna, Bangalore.	15-12-86
73.	9812	Shri A. Fernandes, Calcutta	8-2-86
74.	10004	Shri C.M. Bahri, New Delhi	22-12-86
75.	10440	Shri S.S. Arora, Chandigarh.	28-6-86
76.	10919	Shri M.C. Jain, Kota	22-6-86
77.	12042	Shri S. Madhu, Bangalore	26-12-85
78.	12300	Shri H. Jayantilal, Erode	9-4-86
79.	12977	Shri H.G. Doshi, Bombay	16-12-86
80.	13606	Shri V.P. Singh, New Delhi	16-6-86
81.	13685	Shri M.M. Joseph, Alleppey	6-10-86
82.	14234	Shri M.S. Chandramuilswaram, Madras.	10-5-86
83.	14363	Shri S.J. Kulkarni, Thane	13-5-85
84.	16138	Shri R.K. Goel, New Delhi	6-5-84
85.	16476	Shri A. Chakrabarti, Calcutta	24-4-86
86.	16625	Shri P.D. Mukherjee, Calcutta.	27-6-86
87.	17068	Shri P. Venkateswaran, Bombay.	7-3-85
88.	18198	Shri B. Kalyanaraman, Madras.	17-12-86
89.	19848	Shri S. Krishnaswamy, Kovilpatti.	20-4-86
90.	24889	Shri K. Devanathan, Madras	23-2-87
91.	34917	Shri S.J. Karve, Pune	19-8-86
92.	50001	Shri T. S. Srinivasan, Tirunalveli Town.	24-12-86
93.	72188	Shri S.K. Agarwal, Kanpur	20-9-86
94.	81260	Shri H.T. Idmani, Lucknow	27-1-87
95.	82471	Shri R.K. Khanna, New Delhi	16-3-86
96.	85014	Shri Puran Chand, Patiala	10-2-87

APPENDIX X

[Ref. Para 6.4(a) of the Report,
Details of enrolments of student

	Inter	Final
No. of candidates who were enrolled on 1-4-1986.	28981	15303
Enrolled during the year 86-87	10642	6354
	39623	21657
No. of students who completed tution in the year 86—87 (May 86 & November 86)	—8875	—5065
	30748	15392

APPENDIX XI

[Ref. Para 7.1 of the Report]

SUMMARY OF RESULT—MAY, 1986

ENTRANCE EXAMINATION

Total No. of candidates appeared	1500
No. of candidates declared successful	251
Percentage	16.73

INTERMEDIATE EXAMINATION

Total No. of candidates appeared in Group I	12376

No. of candidates declared successful in Group I.	2715
Percentage	21.94
Total No. of candidates appeared in Group II.	12467
No. of candidates declared successful in Group II.	2945
Percentage	23.62
Total No. of candidates appeared in Both Groups.	4670
No. of candidates declared successful in Both Groups.	612
Percentage ...	13.11

FINAL (OLD SYLLABUS) EXAMINATION :

Total No. of candidates appeared in Group I.	1366
No. of candidates declared successful in Group I.	66
Percentage	4.83
Total No. of candidates appeared in Group II.	774
No. of candidates declared successful in Group II.	185
Percentage	23.90
Total No. of candidates appeared in Both Groups.	403
No. of candidates declared successful in Both Groups.	3
Percentage	0.17

FINAL (NEW SYLLABUS) EXAMINATION :

Total No. of candidates appeared in Group I.	6798
No. of candidates declared successful in Group I.	2494
Percentage	36.67
Total No. of candidates appeared in Group II.	6949
No. of candidates declared successful in Group II.	1860
Percentage	
Total No. of candidates appeared in	26.76
Both Groups.	3387
No. of candidates declared successful in Both Groups.	502
Percentage	14.82

SUMMARY OF RESULTS—NOVEMBER, 1986

ENTRANCE EXAMINATION

Total No. of candidates appeared	2896
Total No. of candidates declared successful	374
Percentage	12.91

INTERMEDIATE EXAMINATION

Total No. of candidates appeared in Group I.	14054
No. of candidates declared successful in Group I.	3529
Percentage	
Total No. of candidates appeared in	25.11
Group II.	13437
No. of candidates declared successful in Group II.	3293
Percentage	
Total No. of candidates appeared in	24.50
Both Groups.	5623
No. of candidates declared successful in Both Groups.	937
Percentage	16.66

FINAL EXAMINATION :

Total No. of candidates appeared in Group I.	7504
No. of candidates declared successful in Group I.	2429
Percentage	32.36
Total No. of candidates appeared in Group II.	7592
No. of candidates declared successful in Group II.	3348
Percentage	44.10
Total No. of candidates appeared in Both Groups.	3483
No. of candidates declared successful in Both Groups.	697
Percentage	20.01

APPENDIX XII

(Ref. Para 7.3 of the Report)

PRIZE WINNERS

FINAL (OLD SYLLABUS) EXAMINATION : MAY—1986

Certificate of Merit : NIL

FINAL (NEW SYLLABUS) EXAMINATION : MAY—1986

The following candidates will be awarded certificates of merit :

Rank	Roll No.	Name
I	8814	AMITAVA GUHA ROY (Total 561 marks out of 800).
II	11604	AWATI VINAYAK BALKRISHNA (Total 544 marks out of 800).
III	10546	MISS JASMINE FIDAHUSAIN BERARWALLA (Total 543 marks out of 800).

1. The G. P. Kapadia First President Prize Gold Medal will be awarded to Amitava Guha Roy (Roll No. 8814)—Final (New Syllabus) Examination.

2. The Ramachandra Singhi Prize for the best candidate will be awarded to Amitava Guha Roy (Roll No. 8814)—Final (New Syllabus) Examination.

3. The Sir Shapoorji Bilimoria Prize for the best paper on Accountancy will be awarded to Awati Vinayak Balkrishna (Roll No. 11604)—Final (New Syllabus) Examination—(Total 174 marks out of 200).

4. The J. K. Doshi Prize for the highest marks in the paper of Management Accounting will be awarded to S. Subramanian (Roll No. 3454)—Final (New Syllabus) Examination—(97 marks).

5. The A. F. Ferguson Prize and the R. Venkatesan Memorial Prize for the best paper on Auditing will be awarded to Sunil Kumar Gupta (Roll No. 7422)—Final (New Syllabus) Examination—(60 marks).

6. The Kerala Verma Prize for the best candidate in Group I will be awarded to Amitava Guha Roy (Roll No. 8814)—Final (New Syllabus) Examination—(286 marks).

7. The U. C. Majumdar Prize and the S. M. Shah Prize for the best paper on Company Law will be awarded to Nilesh Bansilal Mehta (Roll No. 9756)—Final (New Syllabus) Examination—(71 marks).

8. The N. M. Shah Prize and Suri Memorial Prize for the best paper on Direct Tax Laws will be awarded to Hasit Ashok Jagasheth (Roll No. 10455) and C. Sathia Jeeva Krishnan (Roll No. 5138) Final (New Syllabus) Examination—(71 marks).

9. The Venkatachalam Mohan Prize for the best paper on Economics will be awarded to Sunil Kumar Navinchandra Patel (Roll No. 9933) Final (New Syllabus) Examination—(78 marks).

10. The P. N. Ghosh Memorial Prize for the best candidate in Group—II of the Final (New Syllabus) Examination will be awarded to J. Srinivasan (Roll No. 6113—284 marks).

11. The Jayantilal K. Thakkar Memorial Prize for the candidate who secured the second highest marks in the Final Examination will be awarded to Awati Vinayak Balkrishna (Roll No. 11604—544 marks).

12. The R.V.K. Umarjee Prize for the best paper on Cost Accounting will be awarded to Prabal Basu (Roll No. 8832)—Final (New Syllabus) Examination—(92 marks).

13. The R. Sivabhogam prize for the best lady candidate will be awarded to Miss Jasmine Fidahusain Berarwalla (Roll No. 10546)—Final (New Syllabus) Examination—(543 marks out of 800).

INTERMEDIATE (NEW SYLLABUS) EXAMINATION—MAY, 1986 :

The following candidates will be awarded certificate of merit :

Rank	Roll No.	Name
I	2885	BHARATH KRISHNA SANKAR (Total 522 marks out of 700).
II	12241	MISS SADHANA SHARADCHANDRA DESAI (Total 518 marks out of 700).
III	1004	P. VENKATESH (Total 484 marks out of 700).

1. The G.P. Kapadia First President Prize will be awarded to Bharath Krishna Sankar (Roll No. 2885).
2. The Dinesh Himatlal Shah Prize for the best paper on Auditing will be awarded to Nirav Mansukhlal Gandhi (Roll No. 12113—67 marks out of 100).
3. Prof. T.S. Grewal Award for the best paper on Accounting will be awarded to Bharath Krishna Sankar (Roll No. 2885—91 marks).

PRIZE WINNERS

FINAL EXAMINATION—NOVEMBER, 1986

The following candidates will be awarded certificates of merit :

Rank	Roll No.	Name
I	3442	ASHISH MAHENDRA PARIKH (576 marks out of 800)
II	2763	NARESH GOEL (553 marks out of 800)
III	8862	K. SUBRAMANIAN (552 marks out of 800)

1. The G.P. Kapadia First President Prize will be awarded to Ashish Mahendra Parikh, Roll No. 3442.
2. The Ramachandra Singhi Prize for the best candidate will be awarded to Ashish Mahendra Parikh, Roll No. 3442.
3. The G. Basu Foundation award for the best student of the year 1986 will be awarded to Ashish Mahendra Parikh, Roll No.3442 November, 1986 Examination.
4. The N.N. Das Prize for the best student of the year 1986 in Group I will be awarded to Amitava Guha Roy, Roll No.8814 May, 1986 Examination (286 marks out of 400).
5. The Sir Shapoorji Billimoria Prize for the best paper on Accountancy will be awarded to Bangera Ramesh Chinnaya Roll No. 4661 (158 marks out of 200).

6. The J.K. Doshi Prize for the highest marks in the paper on Management Accounting will be awarded to Bharat Moosaddee, Roll No. 9700 (89 marks out of 100).

7. The A.F. Ferguson Prize and the R. Venkatesan Memorial Prize for the best paper on Auditing will be awarded to S. Sundharababu, Roll No. 6531 (78 marks out of 100).

8. The Kerala Verma Memorial Prize for the best candidate in Group I will be awarded to Ashish Mahendra Parikh, Roll No. 3442 (279 marks out of 400).

9. The U.C. Majumdar Prize and the S.M. Shah Prize for the best paper on Company Law will be awarded to Shah Himanshu Anantrai, Roll No 4577 (73 marks out of 100).

10. The N.M. Shah Prize & Suri Memorial Prize for the best paper on Direct Tax Laws will be awarded to Miss Seetha Lakshminarayan, Roll No. 3878 (77 marks out of 100).

11. The P.N. Ghosh Memorial Prize for the best candidate in Group II will be awarded to Naresh Goel, Roll No. 2763 (298 marks out of 400).

12. The Jayantilal K. Thakkar Memorial Prize for the candidate who secures the second highest marks will be awarded to Naresh Goel, Roll No. 2763.

13. The R.V.K. Umarjee Prize for the best paper on Cost Accounting will be awarded to Naresh Goel, Roll No. 2763 (88 marks out of 100).

14. The R. Sivabhogam Prize for the best lady candidate will be awarded to Miss Seetha Lakshminarayan, Roll No. 3878.

15. The T.R. Chadha Prize for the best paper on Systems Analysis & Data Processing will be awarded to Bhatia SamirVijay Roll No. 4642 (86 marks out of 100).

16. The Sukh Nandan Gupta Kapoori Devi Prize to the lady candidate who secures the highest marks in the paper on Auditing will be awarded to Miss N. Sandhya, Roll No. 6500 (69 marks out of 100).

INTERMEDIATE EXAMINATION—NOVEMBER, 1986 :

The following candidates will be awarded certificates of merit :

Rank	Roll No.	Name
I	6908	R. RAMESH (525 marks out of 700)
II	896	RAM KUMAR SHANKAR (513 marks out of 700)
III	22380	PIYUSH V. GOYAL (512 marks out of 700)

1. The G.P. Kapadia First President Prize will be awarded to R. Ramesh, Roll No. 6908.

2. The Suri Memorial Prize for the best student of the year 1986 will be awarded to R. Ramesh, Roll No. 6908, November, 1986 Examination.

3. The Dinesh Himatlal Shah Prize for the best paper on Auditing will be awarded to T.K. Balakrishnan, Roll No. 3186 (71 marks out of 100).

4. Prof. T.S. Grewal award for the best paper on Accountancy will be awarded to V. Senthil Kumar, Roll No. 6911 (95 marks out of 100).

5. The Suresh C. Mathur Prize for the best Paper on Mercantile Law, Company Law & Industrial Law will be awarded to Ram Kumar Shankar, Roll No. 896 (77 marks out of 100).

ANNUAL ACCOUNTS

1986-87

AUDITORS' REPORT

We have audited the Balance Sheet of the Institute of Chartered Accountants of India, as at 31st March, 1987 and also the annexed Income & Expenditure Account for the year ended on that date incorporating the accounts of the Institute's offices, Regional Councils and their Branches and Students' Associations and their Branches audited by other auditors and report that:—

1. We have obtained all information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

2. The Balance Sheet and the Income & Expenditure Account dealt with by the report are in agreement with the books of accounts;

3. In our opinion, the accounts are maintained in conformity with the requirements of the Charatered Accountants Act, 1949; and

4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the statements together with the schedules attached and read with notes give a true and fair view:
   (i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs as at March 31, 1987; and
   (ii) in the case of the Income & Expenditure Account of the Surplus for the year ended on that date.

New Delhi
Dated: 3rd September, 1987

M.R. Venkataraman
Chartered Accountant

C.P. Mehra
Chartered Accountant

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
Accounting Policies

1. The admission fee from fellow members and a major portion of the entrance fee received from associate members are capitalised. An appropriate portion of the surplus arising out of students activities is transferred to Education Fund and to the extent this fund is utilised on fixed assets, transferred to Capital Reserve.
2. Inventories of paper, publications and study materials are valued at lower of cost or net realisable value. For this purpose cost is ascertained on the basis of direct cost method.
3. Provision for Gratuity to staff is made on accrual basis. A gratuity-cum-group insurance policy has been taken from the Life Insurance Corporation of India. Any shortfall in the payment of gratuity is debited in the year of payment.
4. Investments have been valued at cost.
5. Income & Expenditure from Seminars, Symposiums and Conferences held during the year have been accounted for on cash basis.
6. Depreciation: Fixed assets are shown on historical cost basis and have been depreciated on the diminishing balance method. Library books at the Head Office have been depreciated on the straightline method.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
BALANCE SHEET AS AT MARCH, 31, 1987

	Schedule	31-3-1987		31-3-1986	
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
FUNDS EMPLOYED :					
1. Fixed Assets :					
Gross Block		260,21,507		228,17,981	
Less: Depreciation		99,65,156		85,37,312	
Net Block	(A)		160,56,351		142,80,669
2. Earmarked Investments	(B)		67,39,181		51,13,823
3. Other Investments :					
(a) Fixed Deposits with Banks, Bonds & UTI		208,91,799		152,32,002	
(b) Govt. Securities		—	208,91,799	2,506	152,34,508
4. Net Current Assets	(C)		15,81,183		28,27,419
Total			452,68,514		374,56,419
FINANCED BY:					
1. Capital Reserve	(D)		231,99,951		207,31,061
2. General Reserve	(E)		133,94,063		99,07,150
3. Other Reserves	(F)		19,35,319		17,04,385
4. Earmrked Funds	(G)		67,39,181		51,13,823
Total			452,68,514		374,56,419

NOTES: FORMING PART OF THE ACCOUNTS AS AT MARCH 31, 1987 :

(1) Unaudited accounts of one branch of Regional Council and two Students' Associations have been incorporated.

(2) Students tution fee received in instalments is accounted on receipt basis as against accrual basis followed in previous year.

P.C. JAIN
Sr. Deputy Secretary

R.L. CHOPRA
Secretary

R. BALAKRISHNAN
President

As per our Report of even date attached.

New Delhi
Dated 3rd Sept., 1987
87/1257 GI—8

S.K. DASGUPTA
Vice-President

M.R. VENKATARAMAN
Chartered Accountant

C. P. MEHRA
Chartered accountant

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1987

		1986–87 Rs.	1985–86 Rs.
I. INCOME—Schedule H			
(a) Members		196,67,517	131,23,752
(b) Students		250,06,300	221,48,913
	TOTAL	446,73,817	352,72,665
II. EXPENDITURE—Schedule I			
(a) Members		168,64,320	140,96,921
(b) Students		236,38,868	202,19,458
	TOTAL	405,03,188	343,16,379
III. Surplus for the year:			
(i) Transferred to Education Fund—Schedule G		6,83,716	9,64,727
(ii) Transferred to General Reserve—Schedule E		34,86,913	(—)8,441
	TOTAL	41,70,629	9,56,286
	TOTAL	446,73,817	352,72,665

P C. JAIN, Sr. Deputy Secretary
R.L. CHOPRA, Secretary
R. BALAKRISHNAN, President

As per our Report of even date attached.

New De hi
Dated 3rd Sept., 1987

S.K. DASGUPTA, Vice-President

M.R. VENKATARAMAN, Chartered Accountant
C.P. MEHRA, Chartered Accountant

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE 'A'—FIXED ASSETS

(Amounts in Rupees)

S. No.	Assets	Oost as at 1-4-1986	Adjustments	Additions during the year	Cost as at 31-3-1987	Depreciation as at 31-3-1987	Book value as at 31-3-1987	Book value as at 31-3-1986
1.	Land	8,15,073	..	2,95,467	11,10,540	..	11,10,540	8,15,073
2.	Buildings	98,89,011	(2,55,628)	5,29,794	1,01,63,177	22,67,561	78,95,616	79,97,352
3.	Buildings (work-in-progress)	1,17,134	(1,17,134)	5,10,564	5,10,564	..	5,10,564	1,17,134
4.	Electric installations & Fittings	15,00,918	..	2,18,221	17,19,139	8,91,963	8,27,176	7,17,150
5.	Air Conditioning installations	16,40,825	..	1,90,615	18,31,440	10,73,819	7,57,621	7,04,700
6.	Furniture & Fixtures	34,35,042	..	8,63,233	42,98,275	17,54,359	25,43,916	19,40,152
7.	Lifts	3,09,912	..	..	3,09,912	1,76,901	1,33,011	1,47,790
8.	Office Equipments	14,77,504	..	2,03,992	16,81,496	9,71,487	7,10,009	6,22,088
9.	Vehicle	76,985	..	..	76,985	51,759	25,226	31,533
10.	Library	34,38,412	..	4,43,777	38,82,189	26,75,152	12,07,037	10,93,965
11.	Computers	1,17,165	..	320,625	4,37,790	1,02,155	3,35,635	93,732
TOTAL		228,17,981	(3,72,762)	35,76,288	260,21,507	99,65,156	160,56,351	142,80,669

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
SCHEDULE 'B'—EARMARKED INVESTMENTS

(Amounts in rupees)

	Fixed Deposits with Banks		Balance in Schedule Bank Accountts		Govt. Securities		Total	
	31-3-1987	31-3-1986	31-3-1987	31-3-1986	31-3-1987	31-3-1986	31-3-1987	31-3-1986
(A) Education Fund Investments								
Total (A)	34,47,709	28,64,653	..	..	..	..	34,47,709	28,64,653
(B) Other Earmarked Investments :								
(a) Research Fund	6,80,250	6,80,250	..	..	..	..	6,80,250	6,80,250
(b) Medals & Prizes Funds	3,16,528	2,08,211	86,345	40,525	..	80,025	4,02,873	3,28,761
(c) Scientific Research Fund	2,28,682	2,28,682	..	..	..	..	2,28,682	2,28,682
(d) Others	19,20,352	9,47,372	59,315	64,105	..	..	19,79,667	10,11,477
Total (B)	31,45,812	20,64,515	1,45,660	1,04,630	..	80,025	32,91,472	22,49,170
Grand Total (A+B)	65,93,521	49,29,168	1,45,660	1,04,630	..	80,025	67,39,181	51,13,823

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
SCHEDULE 'C'—NET CURRENT ASSETS

(Amounts in Rupees)

Particulars		31-3-1987		31-3-1986
Current Assets:				
(a) Publications, Study materials & Stationery		34,69,360		29,34,128
(b) Amounts Receivable:				
(i) Interest on Investments	12,10,400		9,83,565	
(ii) Interest on Housing & Vehicles Loans	8,08,239		6,60,234	
(iii) Others	20,34,837	40,53,476	21,68,621	38,12,420
(c) Loans & Advances:				
(i) Advances to Staff:				
Housing & Vehicle Loans	39,74,909		33,16,428	
Others	2,11,936		2,08,555	
	41,86,845		35,24,983	
(ii) Loan Scholarships to Students	46,019		73,055	
(iii) Others	19,19,544	61,52,408	8,32,602	44,30,640
(d) Cash & Bank Balance		49,63,905		70,28,660
TOTAL		186,39,149		182,05,848
Less: Current Liabilities:				
(a) Fee received in advance		1,07,65,518		107,88,509
(c) Creditors for expenses		44,82,473		30,28,116
(c) Other liabilities		18,09,975		15,61,804
TOTAL		170,57,966		153,78,429
Net Current Assets		15,81,183		28,27,419

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE 'D' CAPITAL RESERVE

(Amounts in Rupees)

Particular			31-3-1987	31-3-1986
(A)	General:	(A)		
	Balance as per last account		154,34,434	140,77,250
	Add: Admission Fees & Allocated Entrance Fee (After adjustment of Rs. 7680 written off)		12,00,920	11,47,400
	Add: Donations receivedfor Madras, Viswas Nagar (Delhi) Poona, Calicut, Trichur and Ernakulam Buildings		9,17,970	2,09,784
		TOTAL (A):	175,53,324	154,34,434
(B)	Education :	(B)		
	Balance as per last account		52,95,627	46,99,627
	Add: Transfer from Education Fund		3,50,000	5,97,000
		TOTAL (B)	56,46,627	52,96,627
		GRAND TOTAL (A)+(B)	231,99,951	207,31,61

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE 'E' GENERAL RESERVE

(Amounts in Rupees)

Particulars	31-3-1987	31-3-1986
Blance as per last account	99,07,150	99,20,632
Surplus/Deficit transferred from Income & Expenditure Account	34,86,913	(—)8,441
	133,94,063	99,12,191
Less: Transferred to Earmarked Funds	...	(—)5,041
TOTAL	133,94,063	99,07,150

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE 'F'—OTHER RESERVES

(Amounts in Rupees)

Particulars	31-3-1987	31-3-1986
Balance as per last account	17,04,385	14,86,427
Add. Net Accretion/Adjustments during the year	3,62,086	2,17,958
	20,66,471	17,04,385
Less: Transferred to Earmarked Funds	1,31,152	—
TOTAL	19,35,319	17,04,385

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE 'G'—EARMARKED FUNDS

(Amounts in Rupees)

	Particulars	31-3-1987	31-3-1986
(A)	Education Fund :		
	Balance as per last account	28,64,653	26,30,413
	Transferred from Income & Expenditure Accounts	6,83,716	9,64,727
	Interest earned during the year	1,56,200	1,42,017
		37,04,569	37,37,157
	Transferred to Capital Reserve	(—)3,50,000	(—)5,97,000
	Adjustments	93,140	(—)2,75,504
	TOTAL (A)	34,47,709	28,64,653
(B)	Other Earmarked Funds :		
	(a) Research Fund	6,80,250	6,80,250
	(b) Medals & Prizes Fund-Balance as per last account	3,28,761	3,00,647
	Additions during the year	59,676	14,848
	Income earned during the year	33,938	30,079
		4,22,375	3,45,57
	Less: Cost of Metals & Prizes awarded	(—)19,502	(—)16,813
		4,02,873	3,28,761
	(c) Scientific Research Fund—Balance as per last account	2,28,682	2,28,682
	(d) Others—		
	1. Balance as pr last account	10,11,477	10,33,396
	2. Additions during year	7,13,690	15,500
	3. Transferred from General Resereve	..	5,041
	4. Transferred from other Reserves	1,31,152	—
	5. Adjustments	(—)6,000	(—)1,10,000
	Add: Income earned during the year	1,29,798	70,646
		19,80,117	10,14,583
	Less : Expenditure during the year	(—)450	(—)3,106
		19,79,667	10,11,477
	TOTAL (B)	32,91,472	22,49,170
	GRAND TOTAL (A)+(B)	67,39,181	51,13,82

SCHEDULE 'H'

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
ANNEXURE TO INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1987

(Amounts in Rupees)

	TOTAL		MEMBERS				STUDENTS	
			Regulatory		Professional Development & Research			
	31-3-1987	31-3-1986	31-3-1987	31-3-1986	31-3-1987	31-3-1986	31-3-1987	31-3-1986
INCOME								
1. Entrance Fee (Allocated)	4,70,500	4,40,900	4,70,500	4,40,900	..	—	—	—
2. Membership Fee	157,68,063	97,01,977	157,68,063	97,01,977	—	—	—	—
3. Post Graduate Course Fee	21,250	19,700	—	—	21,250	19,700	—	—
4. Student's Registration Fee	12,98,605	13,32,740	—	—	—	—	12,98,605	13,32,740
5. Student's Association Fee	1,07,870	1,06,660	—	—	—	—	1,07,870	1,06,660
6. Coaching Fee	89,72,232	98,14,291	—	—	—	—	89,72,232	98,14,291
7. Examination Fee	102,05,405	71,30,634	—	—	—	—	102,05,405	71,30,634
8. Journal & News Letter	4,60,681	4,60,152	—	—	—	—	4,60,681	4,60,152
9. Publications	39,77,843	32,35,142	—	—	16,94,258	14,04,458	22,83,585	18,30,684
10. Interest on Investments . .	1,74,007	1,71,336	—	—	1,04,058	1,01,480	69,949	69,856
11. Nomination Fee for Election to Council & Regional Councils	—	97,400	—	97,400	—	—	—	—
12. Others	7,13,556	9,53,129	1,105	—	5,45,478	4,22,765	3,66,973	3,30,364
SUB-TOTAL	423,70,012	332,64,061	162,39,668	102,40,277	23,65,044	19,48,403	237,65,300	210,75,381
13. Income from General Fund Investments (Allocated)	21,70,417	16,57,007	9,98,392	8,78,214	—	—	11,72,025	7,78,793
SUB-TOTAL	445,40,429	349,21,068	172,38,060	111,18,491	23,65,044	19,48,403	249,37,325	2,18,54,174
14. Prior Period Adjustments	,33,388	3,51,597	—	—	64,413	56,858	68,975	2,94,739
TOTAL	446,73,817	352,72,665	172,38,060	111,18,491	24,29,457	20,05,261	250,06,300	221,48,913

SCHEDULE I'

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
ANNEXURE TO INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1987

(Amounts in Rupees)

	TOTAL		MEMBERS				STUDENTS	
			Regulatory		Professional Development Research			
	31-3-1987	31-3-1986	31-3-1987	31-3-1986	31-3-1987	31-3-1986	31-3-1987	31-3-1986
II. EXPENDITURE :								
1. Salaries & Staff Expenses	147,59,392	116,27,340	29,07,378	23,73,521	31,25,192	24,32,173	87,26,822	68,21,646
2. Printing & Stationery	12,30,560	11,50,034	1,33,453	1,40,157	6,14,182	5,27,066	4,82,925	4,82,811
3. Publications	19,71,839	20,86,806	4,73,861	5,93,295	6,40,393	5,83,936	8,57,585	9,09,525
4. Journal & News Letter	30,31,586	25,65,272	—	—	25,66,647	21,75,804	4,64,939	3,89,468
5. Coaching (Excluding Salaries & Staff Exepenses)	31,10,145	32,83,703	—	—	—	—	31,10,145	32,83,703
6. Examination (Excluding Salaries & Staff Expenses)	58,01,311	51,63,490	—	—	—	—	58,01,311	51,63,490
7. Postage, Telegrams & Telephones	14,17,591	10,31,507	3,11,783	2,25,017	4,39,627	3,20,080	6,66,181	4,856,410
8. Rent, Rates & Taxes	19,54,988	14,15,176	3,95,121	2,82,930	6,75,999	4,95,522	8,83,868	6,36,724
9. Repairs & Maintenance	6,15,105	5,54,990	1,23,832	1,21,237	2,13,666	1,73,769	2,77,607	2,59,984
10. Depreciation	14,90,976	11,27,221	3,72,744	2,81,805	3,72,744	2,81,806	7,45,488	5,63,610
11. Travelling & Conveyance:								
a) Council Members	12,56,386	10,45,080	2,53,136	2,23,768	6,45,802	5,06,383	3,57,448	3,14,929
b) Staff & Others	7,05,892	4,88,135	1,39,245	1,00,017	2,58,344	1,71,783	3,09,303	2,16,335
12. Library Maintenance	1,03,942	85,675	—	—	57,862	38,928	46,080	46,747
13. Overseas Relations	4,89,182	4,03,476	—	—	4,89,182	4,03,476	—	
14. Professional Fees	2,57,793	2,41,295	1,03,324	34,659	87,052	1,08,700	67,417	97,936
15. Elections	—	7,01,385	—	7,01,385	—	—	—	
16. Others	19,13,554	12,96,353	—	—	13,05,271	7,63,801	6,08,283	5,32,552
SUB-TOTAL	401,11,242	342,66,938	52,13,877	50,77,791	114,91,963	89,83,277	234,05,402	202,05,870
17. Prior period adjustents	3,91,946*	49,441	21,825	—	1,36,655	35,853	2,33,466	13,588
TOTAL	405,03,188	343,16,379	52,35,702	50,77,791	116,28,618	90,19,130	236,38,868	202,19,458

*Includes arrears of pay from January to March 1986 on implementation of IVth Pay Commission.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
ANALYSIS OF EXPENSES ON MEMBERS FOR THE YEAR 1986-87

Sl. No.	Particulars	1986-87	1985-86
1.	(a) No. of Members	44,634	40,331
	(b) Total Expenditure*	Rs. 16,863	Rs. 14,097
2.	Total Expenditure per member	Rs. 378	Rs. 350
3.	Regulatory		
	(a) Total Expenditure*	Rs. 5,236	Rs. 5,078
	(b) Expenditure per member	Rs. 117	Rs. 126
	(c) Percentage	31%	36%
4.	Professional Development & Research		
	(a) Total Expenditure*	Rs. 11,628	Rs. 9,019
	(b) Expenditure per member	Rs. 261	Rs. 224
	(c) Percentage	69%	64%

*Rupees in thousands.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1987

(Rupees in lakhs)

	1986-87	1985-86
SOURCE OF FUNDS:		
Net Income from Investments (both on capital & revenue accounts)	26.46	20.57
Capital Receipts in the form of Entrance fee, donations etc.	33.42	12.20
Release of Investments	—	15.11
Decrease in working capital	12.47	—
SUB-TOTAL	72.35	47.88
Surplus for the year without charging depreciation and considering non-operational income from Investments	35.61	02.32
TOTAL	107.96	50.20
APPLICATION OF FUNDS		
Increase in working capital	—	32.11
Acquisition of Fixed Assets	35.14	18.09
Acquisition of Investments	72.82	—
	107.96	50.20

STATEMENT OF CHANGE IN WORKING CAPITAL

(Rupees in lakhs)

	1986-87	1985-86
CURRENT ASSETS		
a) Publications, study materials & stationery	05.35	(—)04.08
b) Amounts Receivable		
i) Interest on Investment	02.27	01.22
ii) Interest on Housing Loans	01.48	01.27
iii) Others	(—)01.34	02.85
c) Loans & Advances		
i) Advances to Staff	05.62	03.92
ii) Loan Scholarships to students	(—)00 27	(—)03.31
iii) Others	10.87	02.64
d) Cash & Bank Balances	(—)[illegible]0.65	05.97
TOTAL	04.33	11.48
CURRENT LIABILITIES		
a) Fees received in advances	(—)00.23	(—)14.25
b) Creditors for expenses	14.54	01.68
c) Other liabilities	02.49	(—)08.05
TOTAL	16.80	(—)20.63
Net Decrease/Increase in working capital	(—)12.47	32.11

R.L. CHOPRA, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987